लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation
12-8-
Fumigated
On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 46, सोमवार, 26 जुलाई, 1971/4 श्रावण, 1893 (शक)

No. 46, Monday, July 26, 1971/Sravana 4, 1893 (Saka)

विषय Subject पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

1352. नेपाल को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Nepal ..	1—2
1354. सिंगरौली में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of Coal based Fertilizer Factory at Singrauli ..	2—3
1356. अफ्रीका एशियाई एकता संघ की बैठक में बंगला देश के शरणार्थियों के बारे में पाकिस्तानी प्रतिनिधि का सुझाव	Suggestion of Pakistani Representative at meeting of Afro-Asian Solidatrity Organisation regarding Bengla Desh Refugees	3—5
1357. पश्चिम बंगाल में मकानों की अत्यधिक कमी	Acute shortage of Houses in West Bengal ..	5—8
1358. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में पेट्रोलियम के निक्षेपों की खोज	Exploration of Petroleum Deposits in Andaman and Nicobar Islands	8—9
1360. पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जन संख्या में वृद्धि	Population growth in Rural Areas of West Bengal ..	9—10
1362. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना	National Health Service Scheme ..	10—11
1365. भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा के लिये 'वीसा' के विनियमों में परिवर्तन	Change in Visa regulations for Travel between India and Pakistan ..	11—12
1366. शरणार्थियों के मामले में भारत पाकिस्तान युद्ध	Indo-Pak War on Refugees	12—13
1367. परिवार नियोजन कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि को देखते हुए उसका प्रभाव	Cost effectiveness of Family Planning Programme ..	14—17

*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
1368. उत्तर प्रदेश के रानीखेत आयुर्वेदिक फार्मेसी और केरल में आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट	National Ayurvedic Pharmacy in Ranikhet in U. P. and Ayurvedic Research Institute at Kerala ..	17—18
1370. नई दिल्ली में पट्टे वाले मकानों का दाखिलखारिज करना	Mutation in respect of Lease hold Houses in New Delhi ..	18
1371. देश में इंसुलीन की कमी	Shortage of Insulin in the country ..	19
1374. निरोध फैक्टरी में स्टाक	Stock at Nirodh Factory ..	19—20
1379. पूर्वी बंगाल की स्थिती पर विश्व बैंक मिशन के अध्ययन का प्रतिवेदन	Report of the Study made by World Bank Mission on East Bengal Situation ..	21

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
1351. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरियों में सीमित संख्या में टोकन जारी किये जाने के कारण रोगियों को विलम्ब तथा असुविधाएं	Delay and inconvenience to Patients owing to issue of limited number of Tokens by CGHS Dispensaries ..	21—22
1353. बंगला देश की समस्याओं के सम्बन्ध में ब्रिटेन के संसद् सदस्यों द्वारा किया गया अध्ययन	Study made by the British M. Ps. Problems of Bangla Desh ..	22
1355. भारत द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों की कथित गिरफ्तारी और नजरबन्दी	Alleged Arrest and Detention of Bangla Desh Refugees by India	22—23
1359. वैयक्तिक स्तर पर चीन-भारत सम्बन्ध	Sino Indian contacts on People to People Level ..	23
1361. हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की अत्यधिक कमी	Acute scarcity of Drinking Water in Himachal Pradesh ..	23—24
1363. काफी के कारण कैंसर के सम्बन्ध में लैन्सट में लेख	Article in Lancet re. Coffee causing Cancer ..	24
1364. जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में काम कर रहे कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees working in General Reserve Engineer Force ..	25
1369. आयल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Oil India Ltd. ..	25

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या Q. Nos.		
1372. दिल्ली में अस्पतालें 'स्टोर' संगठनों के कार्य की जांच के लिये सरकारी अभिकरण की नियुक्ति	Appointment of Government Agency to look into working of Store Organisation of Hospitals in Delhi ..	25
1373. दिल्ली में प्लाटों का विकास	Development of Plots in Delhi ..	26—27
1375. भारतीय नौसेना के जहाजों की विदेशों की सद्भावना यात्रा	Good will visits by Indian Navy Ships to Foreign Countries ..	27
1376. कनाडा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला देश का मामला उठाया जाना	Raising of Bangla Desh issue in UNO by Canada	28
1377. अन्तर्राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद् की बंगला देश से आये शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति	International Council of Social Welfare's sympathy for Bangla Desh Refugees	28
1378. दिल्ली के मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को दाखिला देना	Admission of Scheduled Castes to Medical Colleges in Delhi ..	28—29
1380. आसाम आयल कम्पनी, डिगबोई के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी	Payment of Bonus to Employees of Assam Oil Company, Digboi ..	29—30
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5882. नायलोन के धागे के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को लाइसेंस देना	Issue of Licence to M. P. Industrial Development Corporation for Manufacture of Nylon Yarn ..	30
5883. उर्वरक कारखानों की क्षमता बढ़ाना	Expansion of Capacity of Fertilizer Factories	30—31
5884. बंगला देश से आये शरणार्थियों की वापसी के बारे में ब्रिटेन के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के विचार	British Parliamentary Delegation's Views re. Return of Bangla Desh Refugees	31
5885. नये उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of New Fertilizer Factories ..	32
5886. नारायणा, नई दिल्ली में बनाये गये दो कमरों वाले फ्लेटों के निर्माण में उपयोग में लाई गई भवन, निर्माण सामग्री	Material used in the Construction of 2 Roomed Flats in Naraina, New Delhi .	32—33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5887. तीनमूर्ति भवन, नई दिल्ली का रखरखाव	Maintenance of Tin Murti House New Delhi ..	33
5888. दिल्ली/नई दिल्ली में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment, of Quarters to Class IV Employees, Delhi/New Delhi ..	33—34
5889. दिल्ली/नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Scheduled Castes/ Tribes in New Delhi/Delhi Scheduled ..	34—35
5890. पांचवां अल्पावधि सर्विस कमीशन (तकनीकी) पाठ्यक्रम	5th Short Service Commission (Technical) Course ..	35
5891. गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए आसाम राज्य को केन्द्रीय अनुदान	Central Grants for slum Clearance to Assam State	35—36
5892. आयल इण्डिया द्वारा स्थानीय युवकों की नियुक्ति	Appointment of Local Youths by Oil India	36
5893. मऊ छावनी से लोहे के सैनिक सामान तथा फालतू पुर्जों की चोरी	Theft of Military Hardware and other Spares from Mhow Cantonment ..	36
5894. केरल में रासायनिक उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Chemical Fertilizer Factories in Kerala .	36—37
5895. केरल में परिवार नियोजन केन्द्र के लिये जीपों का आवंटन	Criteria for Allotment of Jeeps to Family Planning Centres in Kerala	37
5896. केरल में विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centre in Development Blocks in Kerala ..	38
5897. केरल में निर्माण, आवास और नगरीय विकास कार्यक्रम के लिए दिया गया अनुदान	Grants for Works Housing and Urban Development Programmes in Kerala ..	38
5898. जापान स्थित भारतीय दूतावास में जापानी जानने वाले अधिकारी	Japanese knowing officers in India Embassy in Japan ..	38—39
5899. पंजाब में बड़ी संख्या में परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन	Mass Family Planning Camps in Punjab ..	39
5900. परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा में प्रशिक्षण के लिये पंजाब से विदेश भेजे गये अधिकारी	Officers sent Abroad for Training in family Planning, Health and Medical from Punjab	39—40
5901. बंगला देश से आये शरणार्थियों की हैजे से मृत्यु	Cholera Deaths among Bangla Desh Refugees ..	40—41

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
5902. इम्फाल-कछार रोड के निर्माण के लिये दी गई धनराशि	Amount paid for the Construction of Imphal Cachar Road	..	41
5903. सीमा सड़क संगठन द्वारा कूच बिहार-फूलवाडी रंगपुर सड़क का निर्माण	Construction of Cooch-Behar Fulbari Rangpur Road by Border Roads Organisation	..	41—42
5904. सीमा सड़क संगठन द्वारा इम्फाल-कछार सड़क के निर्माण के लिए स्थानीय श्रमिकों की नियुक्ति	Employment of Local labour for construction of Imphal Cachar Road by Border Roads Organisation	..	42
5905. विदेशों के संसदीय प्रतिनिधि मण्डलों को भारत में बंगला देश के शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के लिये आमंत्रण	Invitations to foreign Parliamentary Delegations to visit Bangla Desh refugees camps in India	..	42—43
5906. पाकिस्तान द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी के लिये शिविरों की स्थापना	Camps organised by Pakistan for return of Bangla Desh refugees	..	43
5907 बंगला देश में शिक्षकों को बड़े पैमाने पर हत्या पर विवरण का तैयार करना	Preparation of Brochure regarding mass killing of Teachers in Bangla Desh	..	43—44
5908. बंगला देश के बुद्धिजीवियों के साथ की गई बर्बरता के बारे में विदेशी विश्व-विद्यालयों को भेजा गया नोट	Note to foreign Universities regarding barbarities committed on intellectuals of Bangla Desh	..	44
5909. विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of foreign Oil Companies	..	44
5910. बिहार में आवास योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि	Amount allocated for Housing Schemes in Bihar	..	44—45
5911. रक्त में चोरबाजारी	Black Marketing in Blood in Delhi	..	45
5912. ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres in Rural Areas	..	45—46
5913. सिधि जिला (मध्य प्रदेश) के कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of Fertilizer Plant based on coal in Sidhi District (M. P.)	..	46
5914. चीनी कारखानों द्वारा खुले बाजार में सीरे की बिक्री और उसका मूल्य	Price and Sale of Molasses in Free Market by Sugar Factories	..	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

5915. मंत्रियों के बंगलों और कार्यालय के कमरों का नवीकरण	Renovation of Ministers' Bungalows and Office Rooms ..	47
5916. सीरे के निर्यात मूल्य के सम्बन्ध में चीनी मिलों और राज्य व्यापार निगम के बीच विवाद	Dispute between Sugar Factories and State Trading Corporation regarding Export Price of Molasses ..	47—48
5917. सहकारी चीनी उद्योगों द्वारा सीरे का उत्पादन	Production of Molasses by Cooperative Sugar Industries ..	48
5918. भारत में पोषाहार स्तर योजना	Nutritional Level Scheme in India ..	48—49
5919. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नैमित्तिक कर्मचारियों के वेतन-मान और उनका विनियमीकरण	Pay Scales and Regularisation of casual labourers in CPWD ..	49—50
5920. एक कारखाने की स्थापना के लिये मैसर्स जुआरी एग्रो कमीकल्स द्वारा गोआ में भूमि की खरीद	Purchase of Land in Goa by M/s Zuari Agro Chemicals for Setting up a Factory ..	50
5921. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा धन भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव	Proposal to ban remmitances by Foreign Oil Companies ..	50—51
5922. प्रधान मंत्री तथा मंत्रियों के बंगलों के बिजली और पानी के बिलों की राशि	Amount of Water and Electricity Bill's in respect of Bungalows occupied by Prime Minister and Ministers	51
5923. खाना पकाने में काम में आने वाली गैस की सप्लाई	Supply of Cooking Gas ..	51—52
5924. विदेशी तेल समवायों के साथ किये गये तेल शोधन सम्बन्धी करारों का पुनरीक्षण	Decision of Refinery Agreements with Foreign Oil Companies ..	52
5925. जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में कार्य कर रहे कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Employees working in General Reserve Engineer Force ..	52—53
5926. बालासोर जिले में चांदीपुर में "प्रूफ और एक्सपेरीमेंट केन्द्र के गैर-सैनिक कर्मचारियों में असंतोष	Unrest amongst Civilian Employees of Proof and Experiment Centre at Chandipur District Balasore ..	53
5927. प्रमाण तथा परीक्षण केन्द्र की तोपों के गोलों के खोलों की खुले बाजार में बिक्री	Shells of Canons of Proof and experiment Centre sold in open market ..	53—54

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5928. नई दिल्ली में बिहार के विशेष आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था	Quarters for staff of special commissioner for Bihar in New Delhi	54
5929. अशोधित तेल और पेट्रोलियम का आयात	Import of Crude oil and Petroleum ..	54
5930. उदयपुर में स्वास्थ्य और प्रसूती केन्द्र के लिये वित्तीय सहायता	Financial aid for Health and Maternity Centre at Udaipur ..	55
5931. केन्द्रीय मंत्रियों के बंगलों, कार्यालयों, टेलीफोनों और परिवहन सुविधाओं पर होने वाला व्यय	Expenditure on Central Ministers' Bungalows, Office, Telephone and Transport Facilities ..	55
5932. बंगला देश के शरणार्थियों के लिये इजराइल द्वारा सहायता देने का प्रस्ताव	Help offered by Israel for Bangla Desh Refugees ..	55
5933. नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय के अन्तर्गत मुद्रणालय विभाग की स्थापना	Opening of Printing Department Under Naval Hydrographic Office ..	55—56
5934. बंगला देश में बड़े पैमाने पर लूट-पाट, बलात्कार और हत्याओं के बारे में पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में लिखित प्रमाण	Documentary Proof regarding complaint by Pakistan Military Authorities about large Scale Looting, Rape and killings in Bangla Desh ..	56
5935. बिहार में 'इन्डेन' एजेंसियां	Indane Agencies in Bihar	56—57
5936. जद्दा में मुस्लिम राष्ट्र सम्मेलन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन	Support to Pakistan by Muslim Nations Conference in Jeddah ..	57
5937. डीजल के मूल्यों के सम्बन्ध में सर्विस की उचित दर निर्धारित करने के लिये राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा लागत अध्ययन	Cost Study by National Council of Applied Economic Research to Determine quantum for Fair service charges applicable to Diesel prices ..	57—58
5938. वायु दूषण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Expert Committee Report on Air Pollution ..	58
5939. गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा द्वारा गायों और भैंसों का बेचा जाना	Disposal of cows and Buffaloes by Guard Training Centre, Kotah ..	58—59
5940. गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में भवन निर्माण के लिये वृक्षों का काटना	Cutting of Trees for Construction of Building in by Guard Training Centre, Kotah ..	59

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5941. कोटा डिवीजन में कार्यालयों के लिये किराये पर ली गई इमारतें	Rented Buildings for Offices in Kotah Division	59
5942. कोटा डिवीजन में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास योजना	Housing Scheme for Central Government Employees in Kotah Division ..	59
5943. कुरेती स्थित भारत सरकार प्रेस कर्मचारी संघ को मान्यता देने के लिये अभ्यावेदन	Representations for recognition of Government of India Press Workers' Union, Koratty	60
5944. कोरट्टी में गवर्नमेंट प्रेस में बेकार पड़ी मशीनें	Machines lying Idle in Government Press at Koratty ..	60
5945. कालागढ़ के निकट की भूमि पर गैर कानूनी कब्जा	Illegal occupation of land near Kalagarh Project in U. P. ..	60—61
5946. गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल खोलना	Opening of a sainik school in Garhwal U. P. ..	61
5947. सिविल अधिकारियों को सैनिक सहायता देने के लिये पश्चिम बंगाल से व्यय की वसूली	Recovery of Expenditure from West Bengal for Military aid to civil authorities ..	61
5948. नागालैंड में और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने का प्रस्ताव	Proposals to Improve the Law and Order situation of Nagaland and Eastern Parts of the country	61—62
5949. आयुध कारखानों में कार्मिक संघों के नेताओं का प्रवेश	Union leaders' entry in Ordnance Factories ..	62
5950. संतरागाछी में भारत सरकार के प्रेस के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Staff Quarters for Press at Santragachi ..	62—63
5951. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा तदर्थ अनुसंधान योजनाओं पर व्यय	Expenditure on ad hoc Research Schemes by Indian Council of Medical Research ..	63
5952. नई दिल्ली में ओखला में राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के लिये पानी के मीटरों की खरीद	Purchase of Water Meters or the subsidised Industrial Housing Scheme at Ukhla New Delhi ..	63—64
5953. पाकिस्तान के लिये नये उच्चायुक्त की नियुक्ति	Appointment of New High Commissioner for Pakistan ..	64
5954. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा हवाई हमले से बचाव के उपकरणों तथा राडारों का निर्माण	Manufacture of Air Defence Equipment and Radar by Bharat Elrctronics Limited	64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5955. पेट्रोल पम्पों की संख्या कम करने का प्रस्ताव	Proposal to reduce number of petrol pumps	64—65
5956. जालन्धर के निकट एक दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के विमान का नष्ट हो जाना	IAF Plane Destroyed in Accident Near Jullundhur	65
5957. अमरीका में भारतीय दूतावास में कर्मचारियों की संख्या	Staff in Indian Embassy in USA	65
5958. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नेफा सर्किल में निर्माण कार्य प्रभावित कर्मचारी	Work charged Staff in NEFA Circles of CPWD	65
5959. दिल्ली प्रशासन के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत विभाग का कार्य-भार	Work load of CPWD Electrical Division of Delhi Administration ..	65—66
5960. भीमनगरी, दिल्ली में आद्यझा छात्रावास के साथ मकानों का निर्माण	Construction of Houses attached to Adya Jha Hostel in Bhimnagari, Delhi ..	66
5961. सरकारी क्वार्टरों में अधिक समय तक रुकने तथा सब लेट करने के कथित आरोप	Alleged charges of sub-letting or over-stay in Government quarters	66—67
5962. औषधियों के मूल्यों के बारे में मेडिसिनल डीलर्स एसोशिएशन की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Medicinal dealers Association regarding price scale of Medicines ..	67—68
5963. उड़ीसा में गृह निर्माण के लिये आवर्तक निधि का बनाया जाना	Setting up of revolving fund for Housing for Orissa ..	68
5964. उत्तर प्रदेश में कस्तूरी मृग के फार्म का स्थापित किया जाना	Setting up of musk deer farm in U. P.	68—69
5965. खोलाचौरी, पौड़ी-गढ़वाल, उत्तर प्रदेश स्थित औषधालय को वित्तीय सहायता	Financial aid to Kailash Dispensary at Kholachauri Pauhri Garhwal, U. P. ..	69
5966. सस्ते मकान बनाने की योजना	Plan for building cheap houses ..	69—70
5967. पेट्रोलियम उद्योग में निवेशकर्ता के रूप में बर्मा आयल कम्पनी	BOC as invester in Petroleum industry ..	70
5968. बर्मा आयल कम्पनी द्वारा लगाई गई पूंजी	Investments of Burmah Oil Company ..	70—71

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5969. अमरीका में भारतीय विद्यार्थियों का डूब जाना	Drowning of Indian students in U. S. A. ..	71—72
5970. बुरहानपुर नगर को ताप्ती नदी का पानी सप्लाई करने के लिये योजना	Scheme for supply of Tapti River water to Burhanpur City ..	72
5971. नकली दवाइयां और भेषज	Spurious Medicine and Drugs	72—73
5973. बुलन्दशहर में सैनिक स्कूल का खोला जाना	Opening of Sainik School at Bulandshahr ..	73
5974. गोआ में मेडिकल कालिज	Medical College in Goa	73—74
5975. त्वचा बैंक	Skin Bank	74
5976. दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधीन अस्पतालों में स्टोर संगठन	Store Organisations in Centrally Administered Hospitals in Delhi ..	75
5977. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित मकान, फ्लेटस और बंगले	Allotment of Houses, Flats and Bungalows built by DDA ..	75
5978. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi by Employees of Canteen Stores Department Located in Hindi Speaking Areas	75—76
5979. स्थल सेना मुख्यालय के निदेशालयों में राजभाषा की क्रियान्विति के लिये समितियों की नियुक्ति	Formation of Committees for Implementation of Official Language in directorates of Army Headquarters ..	76
5980. एम० ई० एस० द्वारा जोनल वर्कशापों का खोला जाना	Opening of Zonal Workshops by MES	76—77
5981. पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिये धन का नियतन	Allocation of funds for supply of Drinking Water to Rural Areas of West Bengal ..	78
5982. भारत सरकार के अन्य प्रेसों में कागज की कमी को पूरा करने के लिये गवर्नमेंट प्रेस, अलीगढ़ में पड़े कागज का उपयोग	Papers lying in Government Press Aligarh to meet shortage of paper in other Government of India Presses ..	78—79
5983. गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेसों में कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Staff in Government of India Presses ..	79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

5984. पश्चिम बंगाल की लोकतंत्रात्मक संयुक्त सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के लिए वातानुकूलित क्वार्टर	Air conditioned quarters and offices for Ministers of Democratic coalition Ministry in West Bengal	79
5985. मैसूर में नकली दवाइयों की बिक्री	Sale of spurious Drugs in Mysore	80
5986. बंगला देश के शरणार्थी शिविरों में काम करने वाले डाक्टर	Doctors engaged in Bangla Desh Refugee Camps ..	80
5987. भारत को सैनिक सहायता दिये जाने के लिये 50 लाख डालर की राशि नियत करना	Allocation of 5 Million dollars for Military Aid to India ..	80
5988. सरोजनी नगर, नई दिल्ली में टाइप के क्वार्टरों की बालकनी पर छत का डाला जाना	Covering of Balcony of Type II quarters in Sarojini Nagar, New Delhi ..	81
5989. आसाम राज्य सरकार को आवास और नगरीय विकास कार्यक्रम के लिये स्वीकृत ऋण	Loans sanctioned to Assam State Government for Housing and Urban Programme ..	81—82
5990. भारत स्थित उत्तर कोरिया के वाणिज्य दूत को दी गई चेतावनी	Warnning to North Korean Consulate in India ..	82
5991. लन्दन के एक रेस्टोरेंट से पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के पुत्र को बाहर फेंका जाना	West Bengal Governors son thrown out of a Resturant in London	82
5992. इजराइल को मान्यता	Recognition of Israel	83
5993. दिल्ली में अनुसूचित जातियों के डाक्टर	Scheduled Caste Doctors in Delhi ..	83
5994. भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे तथा सिंदरी स्थित कारखाने का विस्तार	Expansion of Trombay and Sindri Units of Fertilizer Corporation of India ..	83—84
5 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3874 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement Correcting Answer to USQ No. 3874 dated 5.7.1971 ..	84
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table ..	84—85
पश्चिम बंगाल बजट, 1971—72,	West Bengal Budget, 1971-72,	
अनुदानों की मांगे (पश्चिम बंगाल) 1971—72	Demands for Grants (West Bengal) 1971-72 ..	85—111

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पश्चिम बंगाल के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत,	Statutory Resolution in Relation to West Bengal—adopted,	
और पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	And West Bengal State Legislature (Delegation of Power) Bill ..	85—111
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	85
श्री डी० एन० महाता	Shri D. N. Mahata	85—87
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	87—88
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	88—90
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	90—92
श्री एस० एन० सिंह देव	Shri S. N. Singh Deo	92—93
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	93—94
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R. N. Barman	94
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhary	94—95
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	95—97
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao	97—98
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	98—100
श्री बक्शी नायक	Shri Boksi Nayak	100
श्री लुतफल हक	Shri Lutfal Haque	100—101
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazara ..	101—102
श्री एम० गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ..	102—103
श्री हेमन्द्र सिंह बनेरा	Shri Hamendra Singh Bandera ..	103
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh ..	103—104
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ..	104—106
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 ..	110—111
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ..	111
पश्चिमी बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971	West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1971 ..	111—113
पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce ..	111—112
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	112
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	112
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ..	112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	112—113
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	113
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1971	Financial (No. 2) Bill 1971	113—118
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	113
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantarao Chavan ..	113—116
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya ..	116—117
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve ..	117—118
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion—	
खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अल्यूमिनियम के आयात के बारे में	Re Import of Aluminium through MMTC ..	118—121
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai ..	118—119
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra ..	119—121

LOK SABHA

लोक-सभा

सोमवार, 26 जुलाई, 1971/4 श्रावण, 1893 (शक)
Monday, July 26, 1971/Sravana 4, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Financial Aid to Nepal

*1352. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any amount has been earmarked by India for helping Nepal in implementing her Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the amount involved and the main purposes for which it is to be given ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विषय विचाराधीन है।

(ख) राशि जब भी निर्धारित की जायेगी, तो सिर्फ ऐसी परियोजनाओं के लिये जिन पर आपसी सहमति हो।

Dr. Laxminarain Pandey : I want to know for how long this matter has been under consideration and when they would be able to take a decision thereon ?

Shri Surendra Pal Singh : It is very difficult for me to say, however the matter has been under consideration and a decision theron is likely to be taken soon.

Dr. Laxminarain Pandey : What will be the nature of purposes or plans on which the Government is going to take a decision ? Whether this help would be given in cash or in the shape of exchange of goods ?

Shri Surendra Pal Singh : We help Nepal in three ways—firstly in the shape of technical cooperation; secondly, direct execution of projects by India; and thirdly in the form of out right cash grants. These are the three ways to help. At this stage it is difficult to spell out the modes of aid or help.

श्री जगन्नाथ राव : अब तक भारत नेपाल को प्रायः 83 करोड़ रुपये का अनुदान दे चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नेपाल ने अपनी योजनाओं की क्रियान्विति के लिये कोई विशिष्ट धनराशि मांगी है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सच है कि वर्ष 1951-71 के दौरान नेपाल को प्राय: 83.50 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। जहां तक नेपाल की चालू चौथी पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, उनकी मांग लगभग 46 करोड़ रुपये की है।

Shri M. C. Daga : I want to know whether, in case of extending help to Nepal, he would keep in mind the behaviour extended to the Indians in Nepal ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

Shri Ram Deo Singh : I want to know whether the help being considered for Nepal will be in the form of loan or subsidy : that is, whether Nepal will have to repay that amount in some years and in instalments ?

Shri Surendra Pal Singh : I donot have the details at present, but as far as I understand, much will not be in the shape of loan.

Shri Hukam Chand Kachwai : Because of heavy influx of Bangla Desh refugees, our country is facing an economic crisis these days. In this context, I want to know whether you have kept this situation in view while considering this matter and whether you have suggested to that country that they should cooperate with us in this crisis ?

Mr. Speaker : It is something just opposite.

Shri Hukam Chand Kachwai : I mean whether you will proceed with talks keeping this crisis in view.

Shri Surendra Pal Singh : Naturally, we will consider whatever difficulties we have and any decision will be taken accordingly.

सिंगरोली में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना

*1354. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार देश में उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिये सिंगरोली कोयला क्षेत्रों में कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी नहीं।

श्री रणबहादुर सिंह : मैंने इस बारे में मंत्री महोदय से एक सारगभित उत्तर की अपेक्षा की थी। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि को देखते हुए—यह क्षेत्र कोयले की दृष्टि से बड़ा समृद्ध

है, यहां देश का एक बहुत बड़ा कोयला-भण्डार है और यहां प्रजनित विद्युत का भी प्राचुर्य है—तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इस क्षेत्र के लिये किसी उद्योग के सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने के बारे में है और उसका उत्तर है 'नहीं' । अन्य बातों के लिये वह कोई अन्य प्रश्न की सूचना दें ।

श्री रणबहादुर सिंह : यह देखते हुए कि पंजाब नांगल कारखाने को स्थानान्तरित कराना चाहता है, क्या यह स्थान उक्त कारखाने के लिये सर्वोत्तम स्थान नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय : उनके पास केवल वही एक है । आप चाहें तो ले लें ।

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : नांगल कारखाने को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही ऐसा करना लाभप्रद होगा । जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है । कोरबा के स्थान पर कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाने की स्थापना की बात सिद्धांत रूप में पहले ही स्वीकार की जा चुकी है । ऐसा योजना आयोग के परामर्श से किया गया है ।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या सरकार इस पिछड़े क्षेत्र को, इस क्षेत्र के कोयला भण्डारों को देखते हुए, कोई उद्योग उपलब्ध कराने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उर्वरक कारखाने के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर "नहीं" में मिल गया है । उन्हें अन्य मामलों में नहीं उलझना चाहिए । अन्य मामलों के बारे में वे अलग से प्रश्न पूछें ।

अफ्रीका-एशियाई एकता संघ की बैठक में बंगला देश के शरणार्थियों के बारे में पाकिस्तानी प्रतिनिधि का सुझाव

+

*1356. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका एशियाई एकता संघ ने डेमास्कस में हाल ही में हुई अपनी बैठक में बंगला देश के सम्बन्ध में पाकिस्तान की नीति की निन्दा नहीं की थी ; और

(ख) क्या पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने यह सुझाव दिया था कि भारत एक बड़ा देश है इसलिए वह शरणार्थियों को हमेशा के लिये अपने यहां रख सकता है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अफ्रीकी एशियाई एकता संघ ने "पूर्वी बंगाल की स्थिति और शरणार्थियों की दुखद समस्या" पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल की आपत्ति को ठुकरा कर विचार किया । प्रस्ताव की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(ख) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया था। इसके विपरीत उन्होंने शरणार्थियों की बाढ़ की विशालता को चुनौती देने का असफल प्रयत्न किया।

विवरण

पूर्वी पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव

दमिश्क में 23 से 24, जून 1971 तक अफ्रो-एशियाई लोक एकता संघ की कार्यकारिणी समिति के दसवें अधिवेशन में पूर्वी बंगाल की हालत और शरणार्थियों की दुखद समस्या पर विचार करते हुए :—

अफ्रो-एशियाई जनता की साम्राज्यवाद और शोषण के प्रति संघर्ष की महत्ता को जानते हुए, उप निवेशवाद, नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा तीसरे विश्व के असंख्य लोगों पर जो विकट मानवीय अत्याचार ढाये जा रहे हैं उनकी निन्दा करते हुए,

निम्नलिखित की प्राप्ति का आग्रह करते हैं :

1. कि शरणार्थियों की समस्या का सही और मानवीय हल निकाला जाये जिससे कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपनी मातृभूमि को लौट सकें ताकि पाकिस्तान की समस्त जनता एक होकर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ सके।

2. कि अफ्रो एशियाई लोक एकता संघ के महासचिव से निवेदन किया जाये कि वह स्थिति की घटनाओं पर ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

श्री निहार लास्कर : क्या इस गैर सरकारी संघ के मंच के अलावा हमारी सरकार कोई ऐसा सरकारी प्रयास कर रही है जिससे अफ्रोकी-एशियाई देश बंगला देश के मामले में रुचि ले सकें ? क्या इस उद्देश्य के लिए कोई अधिकारी वहां भेजा गया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह गैर सरकारी संघ है और भारत सरकार का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री निहार लास्कर : मैंने पूछा था कि क्या इस गैर सरकारी संघ के अतिरिक्त हमारी सरकार ऐसा कोई प्रयास कर रही है जिससे इन देशों में बंगला देश के मामले के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : हम दिल्ली तथा विभिन्न राजधानियों में अफ्रीका और एशिया के प्रतिनिधियों द्वारा उन देशों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं।

श्री निहार लास्कर : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है—यह समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ था— कि मलयेशिया के भूतपूर्व प्रधान मंत्री और अब इस्लाम सचिवालय के महासचिव तुकुं अब्दुल रहमान ने रावलपिंडी में कहा था कि उन्हें इस बात की आशा नहीं है कि पूर्वी बंगाल में लड़ाई के चलते रहने तक शरणार्थी वहां वापिस जाएंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको सुनिश्चित कर लिया है और पाकिस्तान सरकार को इस सम्बन्ध में कहा है···

अध्यक्ष महोदय : अब वे अफ्रीकी-एशियाई जन एकता संघ से तुकुं अब्दुल रहमान पर आ गये हैं, यह सुसंगत नहीं है।

श्री पी० गंगादेव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार उन देशों के प्रति भारत की नीति की समीक्षा करने का है जिन्होंने दमास्कस की बैठक में पाकिस्तान का समर्थन किया था यद्यपि वे संगठन के सदस्य हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को नहीं समझ सका हूं।

श्री पी० गंगादेव : कतिपय देशों ने उस बैठक में पाकिस्तान का समर्थन किया था, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह ऐसा सम्मेलन नहीं था जिसमें सम्बन्धित देशों की सरकारों ने भाग लिया था। भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी सरकारों के दृष्टिकोणों को नहीं रखा है।

पश्चिम बंगाल में मकानों की अत्यधिक कमी

*1357. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विशेष-कर कलकत्ता और उसके आस-पास के औद्योगिक क्षेत्र में मकानों की भारी कमी है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने, बृहत कलकत्ता क्षेत्र में मकानों का निर्माण करने और भूमि विकास के लिये कोई योजना, नगरीय विकास तथा आवास वित्त निगम को भेजी थी ;

(ग) यदि हां, तो भेजी गयी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या निगम ने योजना की स्वीकृति दे दी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) इन में से एक योजना अर्थात् कालीदाह भूमि अर्जन और विकास योजना, निगम द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। शेष योजनाओं पर निगम द्वारा यथा समय उनके पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने पर विचार किया जायगा।

विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	क्षेत्रफल एकड़	वास्तविक लक्ष्य प्लाट	मकान	कुल लागत लाख रुपयों में	निगम से अपेक्षित मूल पूंजी प्रथम वर्ष लाख रुपयों में	कुल लाख रुपयों में	परियोजना की अवधि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मानिकटोला आवास योजना, कलकत्ता	4.16	—	240	75.44	39.77	64.97	3 वर्ष	
2	कालीदाह भूमि अर्जन तथा विकास योजना कलकत्ता ।	36.20	385	—	44.16	14.63	29.00	3 वर्ष	योजना केवल भूमि अर्जन, विकासन तथा प्लाटों की बिक्री के लिए है ।
3	पैकपारा आवास योजना, कलकत्ता	9.7	—	480	149.79	—	149.78	3 वर्ष	
4	वैष्णव घाट एकीकृत आवास तथा भूमि अर्जन और विकास योजना	315	2,478	580	403.00	62.00	224.00	6 वर्ष	यह एक एकीकृत परियोजना है, जिसमें 3058 प्लाट विकासित किए जायेंगे ; जिनमें से 580 मकान प्राधिकारियों द्वारा बनाये जायेंगे तथा शेष प्लाटों के रूप में बेचे जायेंगे ।
	साल्ट लेक क्षेत्र	10	—	600	112.00	28.00	64.00	4 वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बृहत कलकत्ता से इतर पश्चिम बंगाल योजनायें								
1.	आसनसोल भूमि अर्जन तथा विकास योजना	1,000	8,840	—	407.15	51.48	100.42	15 वर्ष	
2.	बिधान नगर योजना दुर्गापुर ।	—	—	500	135.00	26.98	88.37	5 वर्ष	

श्री एच० एन० मुकर्जी : विवरण देख कर ऐसा लगता है कि योजना का अधिकांश भाग अर्जन, विकास और प्लाटों की बिक्री से सम्बन्धित है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि प्लाटों की बिक्री वांछनीय व्यक्तियों को हो यथा वे सहकारी समितियां हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भूमि और भवन गलत व्यक्तियों के हाथों में न पड़े और नये मकानों का पर्यावरण तथा अन्य परिस्थितियां समुचित रूप से बनाई जायें ताकि भवन निर्माण उद्देश्यों के लिए प्लाटों की बिक्री गलत परिणामों को पैदा न करें ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक योजना के ब्यौरों का सम्बन्ध है यह स्वभावतः स्थानीय राज्य सरकार और बोर्डों, जहां वे स्थापित हैं, को दे दिया गया है। उनको कार्य ब्यौरा तैयार करना है। योजना की स्वीकृति देते समय निगम उन पहलुओं की समीक्षा करता है जो नगरीय विकास के लिए उपयुक्त हैं। जहां तक आवास का संबंध है, मैं माननीय मित्र के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अतिरिक्त, जो कि निगम को सौंपा गया है, अन्य कई योजनाएं हैं। उदाहरण के लिए केवल आवास हेतु इस योजना में पश्चिम बंगाल के आवास के लिए 620 लाख रुपयों की और नगरीय विकास के लिए 66 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। बस्ती के विकास के लिए सी० एम० डी० ए० की योजनाओं के लिए 431 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : चूंकि पश्चिम बंगाल का शासन केन्द्र के पास है अतएव मैं चाहता हूं कि उनका इससे निकटतम सम्बन्ध हो। मेरा दूसरा प्रश्न है, 23 जुलाई को दिये गये उत्तर में यह सूचना दी गई थी कि जीवन बीमा निगम जैसे संगठन विभिन्न राज्य सरकारों को मकानों का निर्माण करने के लिए सहायता देती हैं परन्तु ये आंकड़े बताते हैं कि इस सम्बन्ध में भेदभाव पूर्ण नीति बरती गई है। पश्चिम बंगाल को 135 लाख से 175 लाख रुपये मिले हैं जबकि महाराष्ट्र को 650 लाख से 850 लाख रुपये मिले हैं। गुजरात को 820 लाख से 1,010 लाख रुपये मिले हैं। इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार अपनाया गया है, इस बात को देखते हुए तथा पश्चिम बंगाल का शासन केन्द्र के हाथ में होने को और पश्चिम बंगाल में कठिन आवास स्थिति को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि पश्चिम बंगाल में आवास निर्माण के कार्य में हुए विलम्ब को यथाशीघ्र तथा यथासंभव दूर किया जायेगा और केन्द्र द्वारा इस प्रकार के भेदभावपूर्ण आवंटन को समाप्त किया जायेगा ?

श्री आई० के० गुजराल : मुझे माननीय मित्र के साथ सहानुभूति है क्योंकि मेरे विचार में विशेष कर कलकत्ता एक ऐसा शहर है जिसके प्रति हमारी अधिक चिन्ता है, यह चिन्ता न केवल मकानों की कमी के कारण ही है अपितु उपलब्ध मकानों के प्रकार के कारण भी है, कलकत्ता की यह वास्तविक समस्या है। कठिनाई धन की उपलब्धता के बारे में नहीं है। कठिनाई धन के प्रयोग करने के बारे में है, उदाहरण के लिए गत वर्ष 1970-71 में हमने बस्ती सुधार योजना के लिए 150 लाख रुपयों की मंजूरी दी थी। दुर्भाग्यवश केवल 60 लाख रुपये ही खर्च किये जा सके। धन को व्यय करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, इस समय हमारी वास्तविक चिन्ता यह है कि यदि धन उपलब्ध होता है तो उसका उपयोग किया जाये और परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाये, मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिला सकता हूं कि हम कलकत्ता या पश्चिम बंगाल को धन के कारण पिछड़ने नहीं देंगे।

डा० रानेन सेन : विवरण में "कलकत्ता से बाहर योजनाएं" शीर्षक के अन्तर्गत एक आसनसोल भूमि अर्जन और विकास योजना है, यह कहा गया है कि इस परियोजना की अवधि 15 वर्ष की है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस परियोजना पर कार्य आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो इसका संचालन किस तिथि से हुआ और इसका संचालन कैसे हो रहा है और कौन सी एजेंसी इसका संचालन कर रही है ?

श्री आई० के० गुजराल : मेरे माननीय मित्र ने विवरण को ध्यानपूर्वक नहीं देखा है । यह विवरण केवल उन योजनाओं के बारे में है जिनको निगम को भेजा गया है तथा जिनके लिए धन की मांग की गई है, आसनसोल योजना एक ऐसी योजना है जिसको निगम को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में पेट्रोलियम के निक्षेपों की खोज

*1358. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ लगे हुए समुद्र में पैट्रोलियम के निक्षेपों का अनुमान लगाने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ख) यदि खोज कार्य किया गया था, तो क्या किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों को साथ लिया गया था तथा वे किस देश के थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के निकटवर्ती अतटीय क्षेत्र में पैट्रोलियम के निक्षेपों के लिए अन्वेषण करने के अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या अन्दमान द्वीप-समूह में पेट्रोलियम के निक्षेपों के बारे में मंत्रालय को कोई अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : जहां तक अन्दमान-निकोबार द्वीप समूह का सम्बन्ध है, वहां पर कोई भूकम्पीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है । हां, बम्बई सागर के सम्बन्ध में यह कार्य किया जा चुका है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अन्दमान में कोई खोज-कार्य किया गया है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री पी० सी० सेठी : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भूसर्वेक्षण दल ने वहां केवल चट्टानों की संरचना के सम्बन्ध में अध्ययन किया था । इस अध्ययन की उपयोगिता के सम्बन्ध में भी अध्ययन किया जा रहा है । जहां तक भूकम्पीय सर्वेक्षण का सम्बन्ध है, इस प्रयोजन के लिए बने जलयान से ठेके पर कराया जायेगा या ऐसे जलयान खरीदकर यह सर्वेक्षण कराया जायेगा ।

श्री पी० के० देव : सुमात्रा में, जो अन्दमान द्वीप-समूह से केवल 75 किलोमीटर दूर है तेल बहुत अधिक मात्रा में है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या अन्दमान द्वीप-समूह में कोई भूकम्पीय या हवाई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री पी० सी० सेठी : ऐसा कोई सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है। हां, सरकार का भारत से लगे सम्पूर्ण समुद्र का ऐसा सर्वेक्षण करने का विचार अवश्य है। इसके लिये हमें इस प्रयोजन के लिए बना जलयान खरीदना होगा या किराये पर लेना होगा। इसके लिए सम्बन्धित पार्टियों से बातचीत की जा रही है।

श्री जगन्नाथ राव : बड़ी तेल कम्पनियों के अशोधित तेल के मूल्य बढ़ाते रहने की प्रवृत्ति को देखते हुए क्या सरकार का विचार देश के अतटीय क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में अशोधित तेल सम्बन्धी खोज-कार्य को तेज करने का विचार है ?

श्री पी० सी० सेठी : निश्चित रूप से हम समुद्र में और स्थल के उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराना चाहते हैं जहां तेल निक्षेप होने की सम्भावना है। किन्तु यह कार्य हमारी तकनीकी जानकारी तथा अन्य संसाधनों से सम्बद्ध है। अतटीय क्षेत्रों में इसके लिए हम जितना सम्भव है उतना कार्य कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि

*1360. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों की अपेक्षा जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों तथा औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि की प्रतिशतता बहुत अधिक है ; और

(ग) जनसंख्या में इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 1971 की जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1961-70 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 27.24 प्रतिशत थी और भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उसका स्थान आठवां था।

(ख) 1971 की जनगणना के आंकड़ों का जिला-वार विस्तृत ब्यौरा तथा जनसंख्या के अन्य तथ्यों के, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है, उपलब्ध न होने के कारण, इस सम्बन्ध में अभी कोई मत व्यक्त नहीं किया जा सकता।

(ग) घनी आबादी वाले जिलों में प्रेषण और सेवाओं सम्बन्धी कार्यों पर अधिक बल देकर, प्रसवोत्तर केन्द्रों की स्थापना करके, संगठित और औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष प्रयत्न करके, तथा ग्राम क्षेत्रों में अधिक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करके इस कार्यक्रम को तेज किया जा रहा है।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि पश्चिम बंगाल में जनसंख्या में वृद्धि की दर 27.24 प्रतिशत है। इस समय परिवार नियोजन कार्यक्रम पर जितना बल दिया जा रहा है, उसके सन्दर्भ में यह वृद्धि बहुत अधिक है। वहां वृद्धि की इतनी अधिक दर होने के बारे में क्या कोई अध्ययन किया गया है ?

श्री ए० के० किस्कु : आंकड़ों से तो यह मालूम होता है कि अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल अधिक दर वाले राज्यों में बहुत ऊपर नहीं है। किन्तु कुछ वर्षों में नक्सलवादियों ने परिवार नियोजन केन्द्रों को मुख्य रूप से आक्रमण लक्ष्य बनाया। दूसरे वाणिज्य मण्डलों जैसे संगठित क्षेत्र की गतिविधियों में वहां भारी वृद्धि हुई है। अतः माननीय सदस्य ने जो कहा है वह ठीक नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन का प्रचार करने का ढंग ठीक नहीं है या वहां इसका प्रचार करने वाला विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है।

श्री ए० के० किस्कु : वहां प्रचार विभाग ठीक से काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति तेज करने के लिए अन्य उपाय भी किये गये हैं, जैसे जिला-स्तर का कार्यक्रम, प्रसवोत्तर केन्द्रों का कार्यक्रम, पौषाहार कार्यक्रम, मुख्य और उपकेन्द्रों की स्थापना आदि का कार्यक्रम। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

श्री के० सूर्यनारायण : परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार नगरों और कस्बों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों और श्रमिकों की बस्तियों में इसका अभाव है। अतः क्या सरकार पश्चिम बंगाल के गांवों और श्रमिकों की बस्तियों में इस प्रचार को तेज करने पर विचार करेगी ?

श्री ए० के० किस्कु : इस सुझाव पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री राम गोपाल रेड्डी : पश्चिम बंगाल में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि, भारत में 2.4 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है। यह वृद्धि परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता के कारण है अथवा शरणार्थियों के भारी संख्या में वहां आने के कारण ?

श्री ए० के० किस्कु : शरणार्थी आगमन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक परिवार नियोजन कार्यक्रम का सम्बन्ध है सभी क्षेत्रों में यह जोर से चलाया जा रहा है।

श्री देवेन्द्र नाथ महाता : क्या 'परिवार नियोजन' विषय पर सन्थाल भाषा में कोई पुस्तिका निकाली गई है जिसे आदिवासियों में वितरित किया जा सके ?

श्री ए० के० किस्कु : जहां तक मुझे पता है, ऐसी कोई पुस्तिका नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कुल कितना खर्च होता है और इसके लिए केन्द्र की ओर से उसे कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री ए० के० किस्कु : पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में खर्च के आंकड़े मेरे पास अभी नहीं हैं। इसके लिए यदि अलग से प्रश्न पूछा जायेगा, तो मैं अवश्य ही तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत कर दूंगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

*1362. **श्री० सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) राष्ट्रव्यापी आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना चालू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सरकार ऐसी योजना पर विचार क्यों नहीं कर रही है ?

श्री ए० के० किस्कु : वस्तुतः 'स्वास्थ्य' विषय राज्य का विषय है । किन्तु धन और जनशक्ति के अभाव में ऐसी योजना लागू करना कठिन है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : स्वयं भारत के राष्ट्रपति ने ऐसी योजना को शुरू करने की आवश्यकता पर हाल ही में अपने भाषण में बल दिया था । ब्रिटेन में भी ऐसी योजना विद्यमान है । गावों में लोगों को उचित चिकित्सा की सहायता नहीं मिलती, इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसी योजना को देश में शीघ्र ही लागू करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री ए० के० किस्कु : माननीय सदस्य की जो चिन्ता है वह मुझे भी है । किन्तु मेरा यह निवेदन है कि प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र या उपकेन्द्र हैं जहां लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं । हां कुछ केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं । सभी केन्द्रों पर डाक्टर और दवाइयां उपलब्ध करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं । अतः हम यह नहीं कह सकते कि गांवों में चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने बताया है कि 'स्वास्थ्य' तो राज्य का विषय है । क्या सरकार का यह मत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना तैयार करने में बाधक है । मैं माननीय मन्त्री से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि यह राज्य का विषय है । मुख्य प्रश्न है निधि का । केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय अनुदानों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार यथासंभव सहायता कर रही है । किन्तु हर काम की सीमा होती है जिससे परे जाना कठिन होता है । हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना को कानपुर और कलकत्ता जैसे स्थानों पर भी चालू किया जाये । यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है कि गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ऐसी कोई योजना चालू की जाये । इस समय भी यह व्यवस्था है कि गैर सरकारी कर्मचारी साधारण-सा शुल्क देकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से लाभ उठा सकता है । किन्तु देशव्यापी ऐसी व्यवस्था करना सम्भव नहीं है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस कठिनाई को स्वीकार करेंगे ।

भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा के लिये 'वीसा' के विनियमों में परिवर्तन

*1365. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच के यात्रा के लिये वीसा के विनियमों में कोई परिवर्तन किया है ; और

(ख) मुख्य रूप से वे परिवर्तन क्या हैं और वीसा नियमों में परिवर्तन के कारण क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पी० के० देव : पूर्व बंगाल से हमारे देश में भारी संख्या में आ रहे शरणार्थियों को देखते हुए प्रश्न और उसके उत्तर में कोई तारतम्य प्रतीत नहीं होता । मेरा प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों को भारत आने की अनुमति कैसे दी जा रही है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वे शरणार्थी नहीं हैं, बल्कि वे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं ।

श्री पी० के० देव : हमारे देश में तो वे शरणार्थी ही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रस्ताव है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों का सम्बन्ध है, उनका मामला बिल्कुल अलग है । वे पाकिस्तान द्वारा सताये गये लोग हैं जो भारत में शरण लेनें आये हैं । अन्यथा, पाकिस्तान के साथ वीजा व्यवस्था पूर्ववत् ही है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछा जाता है जानकारी प्राप्त करने के लिए । किन्तु अब तो तर्क के आधार पर 'नहीं' को भी 'हां' में बदल लिया जाता है ।

श्री समर गुह : क्या बंगला देश की अस्थायी सरकार ने अपनी अलग से कोई वीजा व्यवस्था शुरू की है, जिसके आधार पर बंगला देश के स्वतन्त्र वातावरण में प्रवेश किया जा सकता है । क्या सरकार इस व्यवस्था को मान्यता देने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध पाकिस्तान से है बंगला देश से नहीं ।

श्री समर गुह : क्या बंगला देश पाकिस्तान का भाग नहीं है ? क्या सरकार ने सिद्धांत रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि बंगला देश संवैधानिक दृष्टि से पाकिस्तान से पृथक है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा लगता है कि आप बंगला देश को एक पृथक देश मानते हैं । क्या अब आप संतुष्ट हैं ।

श्री समर गुह : मैं इस बात की पुष्टि सरकार से कराना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने यह कहा है कि यह प्रश्न पाकिस्तान के बारे में है, बंगला देश के बारे में नहीं । अनेक असम्बद्ध बातों को आप इसमें क्यों घसीटना चाहते हैं ?

Indo-Pak war on Refugees

*1366. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published at page 5 of the 'Hindustan Times' dated the 30th June, 1971 under the caption "Indo-Pak war on Refugees" ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार पाकिस्तान के साथ युद्ध प्रारम्भ करने का इरादा नहीं रखती है, लेकिन आशा

करती है कि विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो पाकिस्तानी सैनिक शासकों पर दबाव डालने की स्थिति में हैं, वे उन्हें पूर्व बंगाल की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ किसी राजनीतिक समझौते पर पहुंचने के लिए राजी करेंगे तथा इसके लिए दबाव डालेंगे। सिर्फ इसी से शरणार्थियों को पूर्व बंगाल में अपने घर परिवार को वापस होने के लिए पर्याप्त आत्म विश्वास प्राप्त होगा लेकिन किसी भी बहाने से पाकिस्तान शासक यदि भारत को युद्ध के लिए उत्तेजित करता है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हैं।

Shri M. C. Daga : I would like to know whether any foreign Government has asked the Pakistan Government that either they should take the refugees back or that Government would give all types of help to India ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Shri M. C. Daga : I want to know whether any foreign Government has pressurised Pakistan for taking the refugees back and if so, the names thereof ?

Mr. Speaker : Please do not ask irrelevant questions.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : जबसे शरणार्थियों की समस्या आरम्भ हुई है, क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है और यदि हां, तो क्या ?

श्री स्वर्ण सिंह : बंगला देश में पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा अब भी अत्याचार किये जा रहे हैं और वहां से शरणार्थियों का भारतीय क्षेत्रों में आना अब भी जारी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The problem of refugees in becoming very serious. The entire country is of the opinion that Government of India should recognise Bangla Desh and get rid of refugees problem. May I know the hurdles before the Government in recognising Bangla Desh ?

श्री स्वर्ण सिंह : मान्यता के सम्बन्ध में एक गैर सरकारी संकल्प पर ब्योरेवार चर्चा की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The only solution to the economic problem created by the influx of refugees is to recognise Bangla Desh. In case they do not want to accord recognition then what are the difficulties ?

Mr. Speaker : He has already answered this question.

Shri Hukam Chand Kachwai : The situation has been changed considerably. It has been reported in the Press that there is possibility of war with Pakistan. I want to know the reaction of the Government thereto ?

Mr. Speaker : The speech of the hon'ble Member will not be recorded.

Shri Hukam Chand Kachwai : ***

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बतायें कि इस अभद्रता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय। यह अक्सर इस हाउस में स्पीकर को डेफाई करते हैं।

*** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
*** Not recorded.

परिवार नियोजन कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि को देखते हुए उसका प्रभाव

*1367. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गत तीन वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव का विशेष कर इस प्रयोजन के लिये खर्च की गई राशि को ध्यान में रखते हुए कोई अध्ययन किया है; और

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित होने के अनुपात में राज्य-वार जनसंख्या की वृद्धि में कितनी कमी हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के० किस्कु) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम पर किए गये खर्चे का समूचे देश पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बारे में कोई खास अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी, कुछ भारतीय और विदेशी विद्वानों ने तदर्थ अध्ययन और लागत-लाभ अनुमान लगाने के प्रयत्न किए हैं। अनुमान है कि 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में 41.74 लाख जन्म रोके जा सके। इसी अवधि के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम पर अनुमानतः कुल 9323.02 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(ख) कार्यक्रम का जनसंख्या वृद्धि पर कितना प्रभाव पड़ा, उसका सही अनुमान उपलब्ध नहीं है। फिर भी जनसंख्या वृद्धि की दर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम का कुछ प्रभाव दर्शानेवाली उपलब्ध सूचना (विवरण के अनुसार) सभा पटल पर रख दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1 अप्रैल 1971 को अनुमानित जनसंख्या	1961 जनगणना की दशवार्षिक प्रगति दर और 1971 में 1 मार्च तक अनुमानित जनसंख्या	1 अप्रैल, 1971 तक जनगणना के अनुसार जनसंख्या	दशवार्षिक प्रगति दर (प्रतिशत) 1961-71
1.	आन्ध्र प्रदेश	44009167	+22.06	43394951	+20.60
2.	आसाम	16044167*	+34.71	1584065*	+32.77@
3.	बिहार	53905167	+26.49	56387296	+21.38
4.	गुजरात	27165167	+31.31	26660929	+29.21
5.	हरियाणा	10332167	+35.72	9971165	+31.36

*मेघालय सहित

@प्रगति दर आसाम और मेघालय की औसत पर आधारित है।

1	2	3	4	5	6
6.	जम्मू तथा कश्मीर	4093333	+14.80	4615176	+29.60
7.	केरल	21752333	+28.38	21280397	+25.89
8.	मध्य प्रदेश	41591333	+28.16	41449729	+28.04
9.	महाराष्ट्र	51123167	+28.94	50295081	+27.16
10.	मैसूर	29902000	+26.48	29224046	+23.90
11.	उड़ीसा	22041167	+25.32	21934827	+24.99
12.	पंजाब	15155333	+35.71	13472972	+21.00
13.	राजस्थान	26895000	+33.07	25724142	+27.63
14.	तमिलनाडु	40101333	+18.84	41103125	+22.01
15.	उत्तर प्रदेश	92583833	+25.26	88299453	+19.73
16.	पश्चिम बंगाल	45923833	+31.14	44440095	+27.24
17.	नागालैंड	439311	+18.78	515561	+39.64
18.	हिमाचल प्रदेश	3699926	+31.21	3424332	+21.76
19.	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	96141	+50.66	115090	+81.11
20.	चण्डीगढ़	163082	+35.64	256979	+114.36
21.	दादर और नगर हवेली	73830	+27.08	74165	+27.95
22.	दिल्ली	4397609	+64.59	4044338	+52.12
23.	गोआ, दमन और दीव	693673	+10.59	857180	+36.78
24.	लकदीव, मिनिकाय अमीनदीवी द्वीपसमूह	27993	+15.95	31798	+31.90
25.	मनीपुर	1153946	+47.32	1069555	+37.12
26.	नेफा	400465	+18.78	444744	+32.14
27.	पांडिचेरी	456661	+23.47	471347	+27.71
28.	त्रिपुरा	1547660	+35.12	1556822	+36.32
	टोटल इंडिया	560769297	+27.41	546955945	+24.57

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं पूछना चाहता हूं कि 9,323 ठीक है या 93.23 ठीक है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : तीन वर्षों में 93 करोड़ 23 लाख रुपये ।

श्री बी० के० दासचौधरी : यह परिवार नियोजन का प्रश्न है । उन्होंने 41.74 लाख सम्भावित जन्म रोकने के लिये 9,323 लाख रुपये खर्च किये हैं । यह प्रति लाख व्यक्ति औसतन लगभग 227 लाख रुपये होते हैं । इतनी राशि तो विभाग ने खर्च की है । अथवा, दूसरे शब्दों में सम्भावित प्रत्येक जन्म को रोकने के लिये इस सरकार ने 2 लाख 27 हजार रुपये खर्च किये हैं । इतनी बड़ी राशि को देखते हुए इसका कुल कितना प्रभाव पड़ा है ? मेरे विचार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । अतः मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह क्यों हुआ कि सरकार ने कोई उचित अध्ययन नहीं किया है, यह धन कहां जाता है, हमारे देश में जनसंख्या की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा है ? दूसरे मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या किसी क्षेत्र या राज्य विशेष के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि तीन,चार अथवा पांच वर्षों के अन्दर उनका क्या लक्ष्य है; यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : विवरण में दिये गये आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकालना अनुचित है कि खर्च की गई राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है अथवा भविष्य में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। विभाग द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार 1969-70 के अन्त तक किये गये कार्य के परिणामस्वरूप 50 लाख 20 हजार जन्म रोके गये हैं । भविष्य में लगभग 220 लाख जन्म रोके जाने की सम्भावना है । यह बात नहीं है कि नसबन्दी आपरेशन के बाद उस वर्ष विशेष के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़ों का पता चलेगा। आगामी अवधि का भी हिसाब लगाना पड़ता है । अतः केवल कुल खर्च तथा रोके गये जन्मों की कुल संख्या ले लेने का तरीका ठीक नहीं है । इस बारे में इस प्रकार का गणित नहीं चल सकता ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशिष्ट क्षेत्र के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ताकि कार्य को कारगर ढंग से किया जा सके ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : इस बारे में मैं तुरन्त तो कुछ नहीं बता सकता । यदि आप मुझे सूचना दें तो मैं क्षेत्रवार अपने लक्ष्यों सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दे दूंगा ।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इतनी भारी राशि खर्च करने का प्रभाव भी इसलिये नहीं पड़ा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई सघन कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया है तथा केवल जिला मुख्यालयों और राजधानियों में ही बड़े बड़े समारोह आयोजित किये गये हैं, और क्या वह यह भी स्वीकार करेंगे कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों-विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में—एक भी केन्द्र नहीं खोला गया है ? क्या मंत्री महोदय इस सारी स्थिति की पुनः जांच करेंगे तथा विभाग को निर्देश देंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के अधिकाधिक केन्द्र खोले जायें ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : जैसा कि मैं सभा में पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कहना चाहूंगा कि निरोध के वितरण के लिये अत्यधिक प्रबन्ध किये गये हैं उपभोक्ता सामग्री के दैनिक उपयोग से सम्बन्धित निकायों को एजेंसियों के रूप में चुना गया है । इसलिये, पारम्परिक उपाय के रूप में यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक के भागों में पहुंचा है ।

अन्य बातों के बारे में, जैसाकि मैंने पहले कहा, यद्यपि किसी सीमा तक स्थायित्व आया है और प्रगति की गति कम रही है, तथापि हमारा नवीनतम अनुभव यह है कि इस उद्देश्य के लिये चल-अस्पतालों के प्रबन्ध से बड़े उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं। केरल में यह कार्यक्रम कुछ दिनों से चल रहा है। पिछली योजना में 15,000 का लक्ष्य था जबकि वस्तुतः 20,000 आपरेशन किये गये और चालू योजना में 20,000 के लक्ष्य के समक्ष 50,000 आपरेशन किये जा चुके हैं। कुछ तो बड़े ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आये हैं। यह प्रक्रिया हम दूसरे राज्यों में भी लागू करना चाहते हैं। परन्तु भवनों के निर्माण के लिये एक प्रकार की अवस्थापना हेतु, बड़ी संख्या में कर्मचारियों आदि के बारे में विदेशी विशेषज्ञों ने जो परामर्श दिया है, वह सब कुछ अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहुत बड़ी बात मालूम देती है। परन्तु हम लगातार नये साधनों की खोज कर रहे हैं। जैसाकि उस दिन मैंने विस्तार से बताया था, हम अनुभव करते हैं कि पारम्परिक तथा अन्य उपायों के मामले में एक क्रान्ति सी आ रही है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हम स्वीकार करते हैं कि एक क्रान्ति सी आई है और अन-जन्मे बच्चों पर जो खर्च किया गया है, वह बहुत कम है, परन्तु मंत्री महोदय ने जो इतनी कम संख्या में अन-जन्मे बच्चों की गणना की है, उसका क्या आधार है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : ये आंकड़े देश में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये अनुमानित आंकड़े हैं और यह संख्या कोई निश्चित संख्या नहीं है।

श्री चपल भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन गतिविधियों के अन्य तरीकों पर किये खर्चों का तुलनात्मक क्या प्रभाव पड़ा है ? मैं विशिष्ट रूप से से यह जानना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र बिहार के लोगों ने नसबन्दी को किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह ब्यौरा देने के लिये मुझे सूचना चाहिए।

Shri Bhan Singh Bhaura : May I know whether the hon. Minister is aware that there have been press reports to the effect that in order to complete their prescribed quota the doctors in our Punjab have been operating upon even the 70 year old persons and also mad-men quite often ?

Shri Uma Shanker Dikshit : We have not received any such reports, and the modern science has also not agreed that fertility ceases to exist after a particular age. Though this conclusion is not very much trusted.

उत्तर प्रदेश के रानीखेत में नेशनल आयुर्वेदिक फार्मेसी और केरल में आयुर्वेदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट

*1368. : **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीखेत में औषधियों के पौधों का सर्वेक्षण करने वाले एक एकक तथा त्रिचुर, केरल में आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट स्थापित करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इनके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) रानीखेत (उत्तर प्रदेश) स्थित औषधीय पादप एकक का सर्वेक्षण जुलाई, 1964 से चल रहा है। त्रिचुर (केरल) स्थित केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान 21 जून, 1971 को खोला गया था।

(ख) त्रिचुर (केरल) में इस केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना का काम इस वर्ष पूरा हो जाने की सम्भावना है।

श्री नरेन्द्र सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि देश में चिकित्सा का आयुर्वेदिक पद्धति के विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के अधीन चौथी पंचवर्षीय योजना में 150 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और इन परियोजनाओं के अधीन क्या देश में और अधिक फार्मेसी तथा अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है। ये केन्द्र कहां खोले जाने हैं ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने कई स्थानों पर अनुसंधान कार्य आरम्भ कर रखे हैं। औषधपूर्ण पौधों का सर्वेक्षण करने का कार्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, असम, जम्बू, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश में भी आरम्भ कर दिया गया है। मुख्य प्रश्न के उत्तर में हम बता चुके हैं कि त्रिचूर में एक केन्द्रीय अनुसंधान की स्थापना की जा चुकी है और यह इस वर्ष पूरा हो जायेगा।

नई दिल्ली में पट्टे वाले मकानों का दाखिलखारिज करना

*1370. **श्री नदेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि तथा विकास कार्यालय नई दिल्ली, को यह स्वविवेकी अधिकार दिया गया है कि वह पट्टे वाले उन मकानों को जिनके बैनामे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बाद रजिस्टर कराये गये हों, दाखिलखारिज करने से इन्कार कर दे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। निर्धारित पद्धति के अनुसार, नामान्तरण की अनुमति भूमि और विकास कार्यालय द्वारा दी जाती है। जब कभी विक्रय विलेख में कोई त्रुटि होती है अथवा पट्टेदार या खरीददार से कुछ अतिरिक्त सूचना अथवा दस्तावेज अपेक्षित होते हैं, तो कभी-कभी देर हो जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Narendra Singh Bist : Since the borrower of the houses under this system have to waste a lot of their time and have also to face inconveniences, would the Government make the provision to the effect that all these things should be decided upon at the time of President's approval instead of taking them up at the time of mutation.

श्री आई० के० गुजराल : मैं अपने मित्र की भावना से सहानुभूति रखता हूं। अभी हाल ही में, हमने इन सभी बातों को ठीक करने तथा इस प्रक्रिया को शीघ्रतापूर्ण तथा कठिनाई रहित बनाने के उपाय सुझाने हेतु भूमि प्रबंध से सम्बन्धित एक समिति गठित की है। ये सब बातें ध्यान में रखी जायेंगी।

देश में इंसुलीन की कमी

*1371. **श्री हरी सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंसुलीन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिये कौन से कदम उठाये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। कुछ किस्मों एवं मार्कों के लिए।

(ख) इस औषधि के लिए बढ़ती हुई मांगों को पूर्णतया पूरा करने के लिए देशीय उत्पादन पर्याप्त नहीं हैं।

(ग) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्लेन इन्सुलीन क्रिस्टल्स के आयात के लिए प्रबन्ध किये गये हैं। 1971-72 के लिए इम्पोर्ट ट्रैड सैण्ट्रल पालिसी में अत्यावश्यक औषधियों की सूची में इंसुलीन लेण्टे और आइसोफेन दोनों को सम्मिलित किया गया है ताकि, वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा किये गये प्रपुंज औषधियों के आयात के अतिरिक्त, इनका ऐम्पूल्स या शीशियों के रूप में प्रतिष्ठित आयातकर्ताओं द्वारा आयात किया जा सके। इंसुलीन के सूत्रयोगों का विर्निमाण करने वाली फर्मों को भी, इंसुलीन, विशेषरूप से इसकी उन किस्मों जिनकी कम सप्लाई होती है, के आयात में सहायता दी जा रही है।

Shri Hari Singh : The hon. Minister has just now agreed that there is shortage of Insulin in India. I, therefore, want to know the steps he is taking to meet this shortage as soon as possible ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : The shortage of Insulin is due to the non completion of the established capacity of one thousand mega units. This year only 317 mega units have been produced. So, we are trying to meet this shortage by resorting to import. Then, for future, we are making efforts to ensure the achievement of the completion of the established capacity in the country.

निरोध फैक्टरी में स्टाक

*1374. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित हिन्दुस्तान लेटक्स लिमिटेड की निरोध फैक्टरी में भारी स्टाक जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) त्रिवेन्द्रम स्थित कारखाने के पास लगभग 1 करोड़ 70 लाख निरोधों का स्टाक है जोकि इस आकार के कारखाने के पास सामान रहने की सामान्य इन्वेंट्री है। इस समय यह कारखाना पहले से प्राप्त आर्डरों को पूरा करने के काम में पूर्णतः व्यस्त है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० गंगा रेड्डी : जैसा कि समाचार पत्रों में देखने को आया है क्या यह सच है कि "निरोध" का इतना अधिक स्टाक होने पर भी, सरकार इसके उत्पादन में वृद्धि करना चाहती है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी नहीं, मांग और परियोजित मांग को दृष्टिगत रखते हुये, इस कारखाने को जो आर्डर दिया गया है, वह अधिक नहीं है।

श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या यह सच है कि यह कारखाना त्रिवेन्द्रम में स्थित है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका महाप्रबन्धक एक ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी है जोकि अपाहिज और अयोग्य है और ऐसे कुप्रबन्ध के फलस्वरूप ही वहां स्टाक इकट्ठा होता चला जा रहा है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : प्रबन्धक के अपाहिज होने की हमें कोई सूचना नहीं है। फिर भी हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या निरोध की सप्लाई पर इस बात का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether one reason for piled stock of Nirodh is that it is not supplied properly and the other is that it is not used by a certain section of community ? The Social Workers have failed to make propaganda for it properly which has lead to piling up of stock. What action is being taken by the Government to exhaust the existing stock of Nirodh ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले ही यह बात कह चुका हूं कि स्टाक इकट्ठा नहीं हो रहा है। मांग और सप्लाई की प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुये, इतना स्टाक बनाये रखना तो नितान्त आवश्यक है। जहां तक एक विशेष वर्ग द्वारा निरोध का प्रयोग न करने का सम्बन्ध है, हमें पहले ही इसकी सूचना है और मैं सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो आंकड़े सरकार को उपलब्ध होते हैं, उनमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं होता कि अमुक जाति या वर्ग इसका प्रयोग करती/करता है और अमुक जाति या वर्ग द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार निरोध की इच्छानुसार खपत करने की बात अवश्य की जाती है परन्तु यह ठीक नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether four Social Workers have failed to make propaganda for it properly. This has not been replied.

श्री एस० बी० गिरी : हमें मालूम है कि हमारे देश में कुछ जातियां ऐसी हैं जो परिवार नियोजन को नहीं अपना रहीं जब कि अन्य जातियां इसे अपना रही हैं। हमें यह भी मालूम है कि हमारे देश में एक ऐसा विधान भी है जिसके अन्तर्गत एक विशेष जाति के लोग दो से अधिक और चार तक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। क्या सरकार का कोई ऐसा विधान प्रस्तुत करने का कोई विचार है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर परिवार नियोजन कार्यक्रम को कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मूल प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कारखाने में कुछ स्टाक एकत्रित हो गया है परन्तु माननीय सदस्य ने परिवार नियोजन के गुण दोषों की चर्चा आरम्भ कर दी है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : माननीय सदस्य यही पूछना चाहते हैं क्योंकि कुछ जातियां निरोध का प्रयोग नहीं कर रही हैं तो क्या इसका प्रयोग अनिवार्य बनाने के लिए सरकार कोई विधान प्रस्तुत करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

पूर्वी बंगाल की स्थिति पर विश्व बैंक मिशन के अध्ययन का प्रतिवेदन

*1379. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 जुलाई, 1971 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में श्री पीटर कारगिल की अध्यक्षता में विश्व बैंक मिशन द्वारा तथ्यों का पता लगाने के लिये पूर्वी बंगाल के दौरे के दौरान घटना स्थल पर किए गए अध्ययन के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारत ने प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त कर ली है : और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत समेत बैंक के सभी कार्यकारिणी निदेशकों द्वारा रिपोर्ट की प्रति गुप्त आधार पर दी गई है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री सी० चित्तिबाबू : यह ठीक है कि यह प्रतिवेदन एक गोपनीय दस्तावेज है, परन्तु क्योंकि भारत का इस बैंक में एक कार्यकारी निदेशक है अत: हम यह जानना चाहते हैं कि इस प्रतिवेदन में भारत के रवैये की कोई प्रशंसा की गई है या नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह दस्तावेज एक गोपनीय दस्तावेज के रूप में परिचालित किया गया हैं। हमें इसके विषय की जानकारी है परन्तु यदि हमें इसकी विषयवस्तु बताने के लिए कहा जाये, तो यह निश्चय ही हमें बहुत विषम स्थिति में डालने वाली बात होगी।

श्री सी० चित्तिबाबू : दस्तावेज में भारत के रवैये की प्रशंसा की गई है या नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि इस दस्तावेज का हमारे रवैये से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Delay and Inconvenience to Patients Owing to Issue of Limited Number of Tokens by C. G. H. S. Dispensaries

*1351. **Shri Brijraj Singh Kotah** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Government Health Scheme Dispensary doctors issue limited number of tokens to the patients which cause delay and inconvenience to them ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to take any remedial steps in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) No limit has been placed on the number of tokens to be issued to the patients

who visit a dispensary during working hours. Totkens are issued to ensure orderly and systematic examination of patients on the principle of 'first come, first served'; and not to limit their number. In case of an emergency however, any patient can go to any doctor without a token number.

(b) and (c). Do not arise.

बंगला देश की समस्याओं के सम्बन्ध में ब्रिटेन के संसद सदस्यों द्वारा किया गया अध्ययन

*1353. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बद्ध ब्रिटिश संसद के अनेक सदस्यों ने हाल ही में बंगला देश और भारत में शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था ;

(ख) क्या स्थिति का स्वयं अध्ययन करने के बाद उन्होंने नई दिल्ली में भारत सरकार से बात की थी ; और

(ग) स्थिति के सम्बन्ध में उनका मूल्यांकन क्या था ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व बंगाल में जो कुछ देखा और भारत में शरणार्थी शिविरों में शरणार्थियों से जो कुछ सुना, उससे वह स्तब्ध रह गया था। पूर्व बंगाल में उन्होंने बहुत से उजड़े हुए गांवों को देखा और वहां विद्यमान स्थिति के बारे में एक ने उसे 'अशान्त, भय और आशंका' की स्थिति बताया। प्रतिनिधि मंडल को यह बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि 'पाकिस्तान में स्थिति सामान्य नहीं है। जब तक वहां पर सैनिक शासन है तब तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। उनका विचार था कि पाकिस्तानी सेना ने पूर्व बंगाल में भय का वातावरण बना रखा है, जिससे' वहां की जनता सैनिक शासन से पूर्णतः विमुख हो गई है। इसी वजह से 67 लाख से अधिक लोगों को अपना घर और परिवार छोड़कर भारत में अस्थाई शरण लेनी पड़ी है। इन लोगों को पूव बंगाल में सैनिक प्राधिकारियों के हाथों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। शरणार्थियों की दशा से और भारत पर जो विशाल बोझा जबरदस्ती लाद दिया गया है, उससे प्रतिनिधिमंडल बहुत प्रभावित हुआ था। उनका विचार था कि विशाल दबाव व कठिनाई के अन्तर्गत भारत एक असाधारण कार्य कर रहा है। उनका कहना था कि केवल राजनीतिक समाधान के जरिए ही पूर्व बंगाल में शान्ति कायम हो सकती है, जो शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में पूर्व बंगाल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सहयोग से निकाला जाए।

भारत द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों की कथित गिरफ्तारी और नजरबन्दी

*1355. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध एक नया प्रचार आरम्भ किया है कि उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जिन्हें बंगला देश से मजबूर होकर भारत की सीमा में आना पड़ा था, भारत में गिरफ्तार कर लिया है और जेल में नजरबन्द कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्भावनापूर्ण प्रचार के विरुद्ध भारत सरकार ने क्या जवाबी कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इस बात से संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अवगत कराया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। कुछ पश्चिम पाकिस्तानियों की नजरबन्दी को जो अवैध रूप से भारत आ गए थे, पाकिस्तान ने प्रचार का साधन बना लिया है।

(ख) से (घ). सरकार यह समझ नहीं पाती कि पाकिस्तान सरकार इन थोड़े से लोगों के लिये क्यों विशेष रूप से परेशान है जबकि उन्होंने 70 लाख लोगों को जबरदस्ती पूर्व बंगाल से खदेड़ दिया है।

यह और भी आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान अपने थोड़े से राष्ट्रिकों के बारे में प्रचार करने का प्रयत्न कर रहा है जबकि वह अपनी जेलों में नजर बन्द बहुत से भारतीय राष्ट्रिकों के बारे में, उन्हें मुक्त करने की बात तो दूर रही, सूचना देने में असफल रहा है।

इन तथ्यों की हमारे सभी मिशनों को जानकारी है और पाकिस्तानी प्रचार का मुकाबला करने के लिये वे इनका उपयोग करते हैं।

वैयक्तिक स्तर पर चीन-भारत सम्बन्ध

*1359. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 1971 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पीकिंग ने अपने राजनयिकों को 'सहायक' भारतीयों से वैयक्तिक स्तर पर सम्बन्ध बनाने के नये आदेश भेजे हैं ;

(ख) क्या सरकार को पीकिंग स्थित अपने मिशन से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने 27 जून के इण्डियन एक्सप्रेस में उसके हांगकांग स्थित संवाददाता द्वारा हांगकांग से भेजी गई रिपोर्ट देखी है। सरकार इससे अवगत नहीं है कि पीकिंग द्वारा ऐसा कोई अनुदेश भेजा गया है, लेकिन हाल के महीनों में भारत सहित अन्य अधिकांश विदेशियों के प्रति चीनी राजनयिक एवं प्रतिनिधि सामान्य और सही रुख अपना रहे हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में पीकिंग से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हांगकांग स्थित हमारे कमीशन ने इस विषय में हमें रिपोर्ट भेजी है।

हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की अत्यधिक कमी

*1361. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों के एक दल ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर तहसील के कुछ गांवों का जिनमें पीने के पानी की अत्यधिक कमी है, सर्वेक्षण करने हेतु दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के अनुसार दल की सिफारिशें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां।

(ख) इस दल के निष्कर्षों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर तथा सरकाघाट तहसीलों में पेय जल पूर्ति, सिंचाई, सड़कों तथा बिजली देने के बारे में हिमाचल क्षेत्र विकास कार्य कारी दल के प्रतिवेदन के प्रारूप प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

1. इन क्षेत्रों में कुएं नहीं हैं अतः लोगों को पीने का पानी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है।

2. इस समय पहाड़ों से मैदानों की ओर बहकर आने वाले जल को रोक कर खट्टियों (भूमिगत मटका जल टैंकों) में एकत्र किया जाता है। इन खट्टियों में एकत्र किये गये जल में कीड़े पड़ जाते हैं और वह जल मनुष्यों के पीने के उपयुक्त नहीं रहता।

3. हिमाचल प्रदेश सरकार ने झरने के जल (बोरू नाम से विख्यात) के उपयोग की 42 लाख रुपये की लागत की एक योजना की पहले ही मंजूरी दे दी है। हमीरपुर के कठिनाई वाले क्षेत्रों में वैसे 17 गांव इस योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे। खंड की ओर वाले हमीरपुर क्षेत्र के शेष गांवों को एक अन्य जलपूर्ति योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा जिसमें व्यास नदी, जो कि इस क्षेत्र में केवल मात्र विश्वसनीय जल स्रोत है, से जल दिया जायेगा।

4. आवादेबी के समीप सबसे ऊंचे स्थान पर जो कि व्यास नदी से लगभग 8 मील की दूरी पर है, सरकाघाट के गांवों को पानी सप्लाई करने के बहुचरण पम्पिंग योजना की विस्तृत जांच करनी पड़ेगी।

Article in "Lancet" Re. Coffee Causing Cancer

*1363. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Coffee can cause cancer as per article written by an American Scientist and published in the latest issue of the British Medical Magazine 'Lancet'; and

(b) whether Government have conducted any research in this regard and if so, the results thereof?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) and (b). Government have seen press reports to the effect that Coffee may cause cancer. No research has been undertaken to substantiate this by Indian Scientists. Even Dr. Cole who has made this observation has stated that the cancer problem may not be related to Coffee at all.

जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में काम कर रहे कर्मचारियों की छंटनी

*1364. **श्रीमती विभा घोष** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में काम कर रहे बहुत से कर्मचारियों की अप्रैल, 1971 में छंटनी कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

आयल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

*1369. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा आयल कम्पनी के आयल इंडिया लिमिटेड में 50 प्रतिशत शेयर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई करार है और उसकी अवधि के समाप्त होने की तारीख क्या है; और

(ग) क्या करार की अवधि कीं समाप्ति तत्काल बाद सरकार का विचार अधिकांश शेयर और उत्तरोत्तर शत प्रतिशत शेयर लेने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). जी हां । करार एक फारमेशन करार है जिसके फलस्वरूप समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत आयल इंडिया लि० नामक कम्पनी का गठन हुआ है और जिसमें भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के बराबर-बराबर शेयर हैं । इस करार के लिये समय की कोई सीमा नहीं है ।

दिल्ली में अस्पतालों के 'स्टोर' संगठनों के कार्य की जांच के लिये सरकारी अभिकरण की नियुक्ति

*1372. **श्री मुल्कीराज सैनी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुशलता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय प्रशासित अस्पतालों के 'स्टोर' संगठनों में कार्याकरण की दशा की जांच करने के लिये कोई सरकारी अभिकरण नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस अभिकरण ने क्या सिफारिश की थी; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) दिल्ली में केन्द्रीय शासित अस्पतालों यानी सफदरजंग और विलिंगडन अस्पतालों के भण्डार संगठनों के काम को देखने के लिए विशेष रूप से कोई सरकारी एजेन्सी नियुक्त नहीं की गई थी ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में प्लाटों का विकास

*1373. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से दिल्ली और उसके आस-पास किन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है ; और

(ख) प्लाटों, फ्लैटों और बंगलों का आवंटन किस आधार पर किया जा रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई बंगला नहीं बनाया जा रहा है । निम्न और मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों को आवंटन के लिये लाटरी द्वारा नकद या किराया-खरीद आधार पर फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है । "अग्रिम पंजीकरण योजना" के अधीन, फ्लैटों के इच्छुक खरीददारों को अपने नाम प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराने के अपेक्षित हैं ।

नीति के तौर पर, विकासित प्लाट नीलामी द्वारा बेचे जाने हैं । तथापि, रिहायशी प्लाट भी निम्न और मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित दरों पर लाटरी द्वारा आवंटित किये जाते हैं । जिन व्यक्तियों की भूमि दिल्ली के नियोजित विकास के लिये अर्जित की जाती है, उन्हें भी पूर्व निर्धारित दरों पर वैकल्पिक प्लाट आवंटित किये जाते हैं ।

विवरण

विभिन्न प्रयोजनों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकासित किये जा रहे क्षेत्रों की सूची ।

रिहायशी

1. वजीराबाद
2. शालीमारबाग
3. रोहतक रोड पर पंजाबी बाग के समीप
4. नरायणा
5. ईस्ट आफ कैलाश
6. फ्रेन्ड्स कालोनी
7. मस्जिद मोठ
8. सफदरजंग
9. पंखा रोड
10. झिलमिलिया
11. महरोली बदरपुर रोड के उत्तर में
12. शेख सराय
13. प्रसाद नगर

14. बोडेला
15. एच 5 और एच 4 क्षेत्र (जोन)
16. जी-17 जोन
17. जोन जी-8 में राजोरी गार्डन के समीप
18. केशोपुर
19. शंकर रोड के समीप

औद्योगिक

1. आजादपुर के समीप जी० टी० रोड
2. बजीरपुर
3. रेवाड़ी रेलवे के समीप
4. रामपुरा
5. झिलमिल
6. नरायणा
7. ओखला
8. कीर्ति नगर (वेअर हाउजिंग और मिनरल साइडिंग के लिए)

विविध

1. चन्द्रावल वाटरवर्क्स के समीप ट्रक टर्मीनल
2. इंजीनियरिंग कालेज के दक्षिण में
3. डिस्ट्रिक्ट सेन्टर कालकाजी
4. डिस्ट्रिक्ट सेन्टर पूसा
5. डिस्ट्रिक्ट सेन्टर करमपुरा

भारतीय नौसेना के जहाजों की विदेशों की सद्भावना यात्रा

*1375. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के जहाजों की विदेशों में सद्भावना यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 में किन-किन देशों की यात्रा की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). 1970-71 वर्ष के दौरान भारतीय नौ सेना के 9 जलयानों ने विदेशों की सद्भावना यात्रा की । इन जलयानों ने मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड इण्डोनेशिया, फिलिपांइस, जापान, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बेहरान, आबुधावी, दक्षिणी यमन, इथोपिया, सूडान, ओमान और मालादीव द्वीप समूह की सद्भावना यात्रा की गयी । इसके अतिरिक्त एक जलयान हांगकांग की यात्रा पर भी गया ।

कनाडा द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ में बंगला देश का मामला उठाया जाना

*1376. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में बंगला देश का मामला उठाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि कनाडा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में बंगला देश के प्रश्न को उठाने का कोई निर्णय लिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद् की बंगला देश से आये शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति

*1377. **श्री एम० एस० हाशिम** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद ने पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों की दशा पर दुख और रोष प्रकट किया है और उनके बड़े पैमाने पर रक्तपात के प्रति सहानुभूति प्रकट की है ;

(ख) क्या परिषद ने उनके कष्टों को दूर करने के लिए कोई सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो कैसी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । इस संगठन की क्षेत्रीय बैठक इस वर्ष जून में सिंगापुर में हुई थी जिसमें पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों की हालत पर सदमा एवं दुख प्रकट करते हुए एक वक्तव्य जारी किया गया था ।

(ख) परिषद में पूर्वी बंगाल से आए पीड़ितों की सहायता हेतु मदद देने के लिए एशिया एवं पश्चिमी प्रशान्त महासागर की अपनी सभी राष्ट्रीय समितियों को केवल अपील की थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को दाखिला देना

*1378. **श्री दरबारा सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हुई प्री-मेडीकल परीक्षा में 45 प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के सभी उम्मीदवारों को एम० बी० बी० एस० की कक्षाओं में दाखिला देने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या दिल्ली के अनुसूचित जाति संगठन से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में कुल मिलाकर कम से कम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के मामले में 50 प्रतिशत) अंक होने चाहिए। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल में 26 सीटें और मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में 36 सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 10 सीटें (7 सीटें अनुसूचित जातियों और 3 सीटें अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित हैं) उम्मीदवारों को इन्ट्रेन्स परीक्षा में तभी बैठने दिया जाता है यदि उन्होंने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

(ख) जी हां। भारतीय अनुसूचित जाति समाज कल्याण संघ, नई दिल्ली से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) सरकार इस मामले पर पहले भी विचार कर चुकी है, परन्तु इस सम्बन्ध में सम्बद्ध विश्वविद्यालय ही निर्णायक प्राधिकारी है।

आसाम आयल कम्पनी, डिगबोई के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

*1380. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम आयल कम्पनी, डिगबोई गत वर्ष से अपने कर्मचारियों को पर्याप्त बोनस नहीं दे रही है और चालू वर्ष में भी वह न्यूनतम बोनस देना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें पता है कि उक्त कम्पनी के कर्मचारियों ने बोनस के मामले पर हड़ताल करने का नोटिस दे दिया है अथवा वे ऐसा नोटिस देने जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). व्यापार परिणामों के आधार पर तथा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1969 में आसाम तेल कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम बोनस (4%) देय था। क्योंकि यह बोनस कर्मचारियों को स्वीकार नहीं था अतः भारत सरकार ने, यह मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्याय-निर्णय के लिए भेजा है। वर्ष 1970 में बोनस के सम्बन्ध में, आसाम आयल कम्पनी और आसाम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन के बीच द्विपक्षीय बातचीत आरम्भ हो गई है।

(ग) 5 अगस्त, 1970 को आसाम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन ने हड़ताल का एक नोटिस दिया था किन्तु बाद में यह नोटिस 12 अगस्त, 1970 को एक समझौता बैठक में वापिस ले लिया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नायलोन के धागे के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को लाइसेंस देना

5882. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 31 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नायलोन के धागे के निर्माण हेतु सहकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के लिये इस बीच मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को लाइसेंस देने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक कारखानों की क्षमता बढ़ाना

5883. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान उर्वरक कारखानों का विस्तार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्तार कार्यक्रम सभी वर्तमान कारखानों में एक साथ चालू किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय होगी ; और

(घ) यह विस्तार कार्यक्रम किस समय तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां। वर्तमान उर्वरक कारखानों के विस्तार के लिए निम्न प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं :—

सरकारी क्षेत्र

(I) नांगल विस्तार योजना

(II) गोरखपुर में कार्यावरोध निवारण कार्यक्रम

(III) सिन्दरी आधुनिकीकरण योजना

गैर-सरकारी क्षेत्र

(I) कारोमण्डल विस्तार चरण (2)

(II) कोटा विस्तार

(III) वाराणसी विस्तार

(ख) जी नहीं ।

(ग) इन प्रायोजनाओं की लगभग लागत निम्न प्रकार अनुमानित हैं :—

प्रायोजना का नाम	**लागत (करोड़ रुपयों में)**
सरकारी क्षेत्र	
(1) नांगल विस्तार योजना	86.80
(2) गोरखपुर में कार्यावरोध निवारण कार्यक्रम	12.50
(3) सिंदरी आधुनिकी करण योजना	95.00
(4) **गैर-सरकारी क्षेत्र**	
(1) कारोमण्डल विस्तार चरण (2)	38.38
(2) कोटा विस्तार	8.70
(3) वाराणसी विस्तार	49.80

(घ) इसको पूरा करने के लिए समय सूची को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

बंगला देश से आये शरणार्थियों की वापसी के बारे में ब्रिटेन के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के विचार

5884. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पूर्व बंगाल और पूर्वी क्षेत्र के शरणार्थी शिविरों का दौरा करने वाले ब्रिटेन के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने यह टिप्पणी की है कि बंगला देश से आये शरणार्थी अपने देश छ: महीने के अंदर वापिस न जा सकेंगे जैसा कि भारत सरकार को आशा थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल की धारणा उन "दर्दनाक एवं भयानक" बातों पर आधारित है जो उन्होंने पूर्वी बंगाल में स्वयं देखी हैं ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की आस्था है और इसलिए वह इन शरणार्थियों को रख रहा है, जबकि वे उसी की जिम्मेदारी है । जैसाकि सरकार ने पहले बताया है कि इन शरणार्थियों को शीघ्रातिशीघ्र वापिस जाना है । इसे पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का यह कर्तव्य है कि वह पूर्वी बंगाल में इस प्रकार के राजनीतिक हालात पैदा करे जिससे कि शरणार्थी इज्जत और सुरक्षा के साथ वापिस लौट सकें ।

नये उर्वरक कारखानों की स्थापना

5885. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये उर्वरक कारखाने स्थापित करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में नये कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). जी हां। निम्नलिखित स्थानों पर नये उर्वरक कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन हैं :

सरकारी क्षेत्र

राज्य का नाम	स्थान
1. मध्य प्रदेश	कोरबा
2. पश्चिम बंगाल	हल्दिया

गैर सरकारी क्षेत्र

1. महाराष्ट्र	(क) काम्पटी
	(ख) कोलाबा जिला
2. गुजरात	मीठापुर
3. हरियाणा	पानीपत
4. पंजाब	भटिंडा
5. उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर
6. बिहार	हजारीबाग
7. पश्चिम बंगाल	ओंडल

नारायणा, नई दिल्ली में बनाये गये दो कमरों वाले फ्लेटों के निर्माण में उपयोग में लाई गई भवन निर्माण सामग्री

5886. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायणा, नई दिल्ली में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए गये दो कमरों वाले फ्लैटों के निर्माण में भवन निर्माण सामग्री वस्तुतः स्वीकृत 1 : 3 के बजाय 1 : 18 के अनुपात में उपयोग में लाई गई है ;

(ख) क्या ऊपर वाले फ्लैटों में एक कमरे के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दरवाजे नहीं लगाये जबकि इसके लिए मंजूरी प्राप्त थी ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) कार्य विशिष्टियों के अनुकूल किया गया है, जो कार्य की विभिन्न मदों के लिए पृथक-पृथक है ।

(ख) कार्य को अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है और दरवाजे वहीं लगाये गये हैं, जहां नक्शों में दिखाये गये थे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तीनमूर्ति भवन, नई दिल्ली का रख-रखाव

5887. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बही मूल्य के अतिरिक्त तीन-मूर्ति भवन, नई दिल्ली का बाजार मूल्य क्या है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष उसके रख-रखाव पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तीनमूर्ति हाउस का बाजार मूल्य 2,46,25,882 रुपये तथा इसका अंकित 22,92,369 रुपये है ।

(ख) अनुरक्षण का वर्षवार व्यय नीचे दिया गया है :—

1968-69	1,85,893 रुपये
1969-70	1,87,337 रुपये
1970-71	2,56,733 रुपये

दिल्ली/नई दिल्ली में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

5888. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को 110 रुपये के वेतनमान पर पहुंचने पर, यदि उनके पास टाइप I क्वार्टर हों, तो टाइप दो क्वार्टरों का आवंटन किया जाता है ;

(ख) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में टाइप III क्वार्टरों के अधिकारी टाइप II क्वार्टरों में रह रहे हैं ; और

(ग) क्या इस नीति में टाइप II क्वार्टरों के अधिकारी सरकारी कर्मचारियों को आवास की कठिनाई हो रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) वे सरकारी कर्मचारी जो टाइप I वास के दखलदार हैं, सामान्य पूल से टाइप II के वास के आवंटन के तब पात्र हो जाते हैं जब वे मूल वेतन तथा महंगाई (वेतन सहित) 175 रुपये प्रति मास की परिलब्धियां लेना आरम्भ कर देते हैं । जब ऐसे कर्मचारी टाइप II वास के आवंटन के लिए आवेदन करते हैं,

तो उनकी प्राथमिकता तिथि के आधार पर उनके नाम सम्बन्धित प्रतीक्षा सूची में दर्ज किये जाते हैं तथा उनकी बारी आने पर उन्हें वास आवंटित किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, वे सरकारी कर्मचारी जो निम्न टाइप के वास के दखल में हैं, पात्र टाइप के वास के आवंटन को अस्वीकार कर सकते हैं, किन्तु ऐसे कर्मचारियों के लिए निम्न टाइप के वास को अपने पास रखते हुए ऊंची टाइप के लिए या उनके वास की लाइसेंस फीस, इनमें जो भी अधिक हो, छः मास की अवधि तक अदा करना अपेक्षित होगा। यह नियम सामान्य पूल वास के सभी टाइपों के लिए लागू है। कुछ कर्मचारी जो अब टाइप II के पात्र हैं, वे टाइप I के दखल में भी हैं। टाइप II के मामले में 9-7-1953 की प्राथमिकता की तारीख तक वास दिए गए हैं जबकि टाइप III में ये 15-7-1946 तक की प्राथमिकता की तारीख तक दिए गए हैं।

दिल्ली/नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के क्वार्टरों का आवंटन

5889. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1969 के बाद नई दिल्ली/दिल्ली में बस्तीवार टाइप I, II और III क्वार्टरों का कितनी संख्या में निर्माण कार्य पूरा हुआ ;

(ख) उपर्युक्त क्वार्टरों में से कितने टाइप I और टाइप II क्वार्टरों का आवंटन अनुसूचित-जातियों और अनुसूचित-जनजातियों के व्यक्तियों को किया गया ;

(ग) क्या उन क्वार्टरों में से 5 प्रतिशत आरक्षित क्वार्टर उनको आवंटित कर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में आवंटन के लिए नवम्बर 1969 के बाद, पूर्ण किये गये टाइप I से टाइप III के क्वार्टरों की संख्या इलाका अनुसार नीचे दी गई है :—

टाइप I डी० आई० जेड० क्षेत्र	=	64
टाइप II रामकृष्णपुरम	=	320
टाइप II तिमारपुर	=	400
टाइप III रामकृष्णपुरम	=	224

(ख) से (घ). इटाप I के सभी 64 क्वार्टरों को पंचकुइयां रोड के उन क्वार्टरों के आवंटियों को वैकल्पिक वास के रूप में आवंटित किया गया था, जो गिराने के लिए अपेक्षित थे, तथा इस प्रकार इनमें से 5 प्रतिशत एककों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों को आवंटन करने का प्रश्न नहीं होता। तिमारपुर में टाइप II के 400 क्वार्टरों में से, 200 क्वार्टर,

तिमारपुर के पुराने टाइप II के उन क्वार्टरों के आवंटियों को उठाने के लिए उपयोग में लाये गये थे, जो गिराने के लिए अपेक्षित थे और रामकृष्ण पुरम में टाइप II के 80 क्वार्टर भी उन सिंगल-रूम-चैमरियों, लोधी रोड में टाइप II के आवंटियों को स्थानान्तरित करने के लिए अपेक्षित थे, जो पुनर्निर्माण के लिए चाहिए थे। आवंटन के लिए मिले शेष टाइप II के 440 एककों में से 22 एकक, जो इन क्वार्टरों का 5 प्रतिशत हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों को आवंटित किये गये थे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण परिणामिक रिक्तियों में होता है तथा जब कभी नवनिर्मित क्वार्टर, उस वास के आवंटियों को वैकल्पिक वास के रूप में देने के लिए अपेक्षित होते हैं, जो गिराने के लिए अपेक्षित हैं, ऐसे क्वार्टरों में 5 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता।

पांचवां अल्पावधि सर्विस कमीशन (तकनीकी) पाठ्यक्रम

5890. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **पांचवा अल्पावधि** सर्विस कमीशन (तकनीकी) अक्तूबर 1971 से अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, मद्रास में शुरू होगा ;

(ख) क्या उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये निम्नतम अर्हता विभिन्न इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की डिग्री/डिप्लोमा (डिग्री के समकक्ष) है ; और

(ग) क्या सरकार इस पाठ्यक्रम के लिये डिप्लोमाधारियों को स्वीकार करेगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में भौतिकी में स्नातकोत्तर अर्हता भी, आवश्यक विशेष विषयों के साथ, स्वीकार की जाती है।

(ग) केवल मद्रास इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मद्रास को आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग के डिप्लोमा को ही स्वीकार किया जाता है क्योंकि डिग्री प्राप्त होने के बाद इसका पाठ्यक्रम 3 वर्षों का है।

गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए आसाम राज्य को केन्द्रीय अनुदान

5891. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए कोई योजना भजी थी और पिछले तीन वर्षों में इस कार्य के लिए अनुदान देने की प्रार्थना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कितना अनुदान दिया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). गंदी बस्ती सफाई / सुधार योजना 31 मार्च, 1969 तक, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक योजना थी। 1968-69 वर्ष के दौरान, असम सरकार ने योजना के अन्तर्गत, परियोजनाओं के निष्पादन के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी।

1, अप्रैल, 1969 से यह योजना राज्य क्षेत्र में है। राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता अब खण्ड ऋणों और "खण्ड अनुदानों" के रूप में दी जा रही है, जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है। राज्य सरकारें अपने विवेकानुसार राज्य क्षेत्र के किसी भी कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता जिस सीमा तक वे आवश्यक समझें, अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार, प्रयोग में ला सकती हैं।

आयल इण्डिया द्वारा स्थानीय युवकों की नियुक्ति

5892. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के मुख्य मंत्री ने हाल ही में आयल इण्डिया के मुख्यालय, दुलियाजान, का दौरा किया था और कम्पनी द्वारा स्थानीय युवकों की नियुक्ति सम्बन्धी नीति के बारे में सम्बद्ध अधिकारियों से विचार विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). दुलियाजन के हाल ही के अपने दौरे में, असम के मुख्य मंत्री ने आयल इण्डिया लिमिटेड के कार्यकरण, जिसमें स्टाफ की भर्ती भी सम्मिलित है, के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। विचारों का आदान-प्रदान सामान्य रूप से हुआ था और किसी निर्णय लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मऊ छावनी से लोहे के सैनिक सामान तथा फालतू पुर्जों की चोरी।

5893. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मऊ छावनी से बड़ी मात्रा में लोहे का सैनिक सामान, जिसमें प्लेटें, जंजीरें तथा टैंकों के अन्य फालतू पुर्जे भी शामिल हैं, चुरा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). मऊ छावनी से कोई सैनिक सामान चोरी नहीं हुआ है। निशाना अभ्यास के दौरान चलाए गए टैंकों के कुछ व्यर्थ और परित्यक्त टुकड़े मऊ के निकट की फील्ड फायरिंग रेंज से चोरी हुए थे।

सिविल पुलिस ने मऊ के निकट हेमा रेंज पर टुकड़ों से भरा एक ट्रक पकड़ा और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछ ताछ के बाद इन्दौर में कुछ और भरे हुए ट्रकों को पकड़ा गया। सिविल पुलिस और आगे छानबीन कर रही है।

केरल में रासायनिक उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता

5894. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में रासायनिक उर्वरक कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अभी तक विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों को उपलब्ध नहीं कराया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस राज्य में और अधिक रासायनिक उर्वरक कारखानें स्थापित करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० के उद्योगमंडल यूनिट, जिस में उत्पादन हो रहा है, की क्षमताएं निम्न-प्रकार हैं ।

उत्पाद का नाम	**क्षमता मीटरी टन प्रतिवर्ष**
1. अमोनियम सल्फेट	200,000
2. अमोनियम फास्फेट	135,000
3. अमोनियम क्लोराइड	25,000
4. सुपर फास्फेट	44,000

प्रतिवर्ष 330,000 मीटरी टन यूरिया की क्षमता के कोचीन में स्थित दूसरे यूनिट के शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है ।

(ख) उर्वरकों का देशी उत्पादन अभी भी आवश्यकताओं से कम है और इसके अन्तराल को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

(ग) सरकार ने प्रतिवर्ष 4,85,000 मीटरी टन ग्रेनुलेटेड (कणों के रूप में) एन० पी० के० के उत्पादन के लिये कोचीन उर्वरक कारखाने में विस्तार करने की अनुमति दे दी है । केरल में नये उर्वरक कारखाने की स्थापना करने का कोई और प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

केरल में परिवार नियोजन के केन्द्र के लिये जीपों का आवंटन

5895. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से प्राप्त हुई जीपों में से कितनी जीपें केरल राज्य को दी गई हैं ; और

(ख) क्या उन जीपों को प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में काम कर रहे परिवार नियोजन केन्द्रों को आवंटित नहीं किया गया और ऐसे कितने केन्द्र हैं, जिन्हें जीपें नहीं दी गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान, देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से 566 गाड़ियां प्राप्त हुईं । इनमें से 5 गाड़ियां केरल को दी गईं और इस प्रकार केरल राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास कुल गाड़ियों की संख्या 104 हो गई । राज्य में 162 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें से 58 केन्द्र बिना गाड़ियों के हैं ।

केरल में विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

5896. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में ऐसे विकास खण्डों की संख्या कितनी है, जहां प्रत्येक खण्ड में एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : केरल में 144 विकास खण्ड हैं और प्रत्येक में एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

केरल में निर्माण, आवास और नगरीय विकास कार्यक्रम के लिए दिया गया अनुदान

5897. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और नगरीय विकास सम्बन्धी मुख्य कार्यकारी दल की सिफारिश पर चौथी पंचवर्षीय योजना में विस्तार के लिये भूमि का अधिग्रहण और विकास करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए एक बड़ी राशि आवंटित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो केरल को आवंटित की गई राशि कितनी है तथा जिलेवार कितनी राशि वितरित की गई ; और

(ग) जिलेवार वितरण किन सिद्धान्तों के आधार पर किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में राज्य सरकारों को भूमि के अर्जन और विकास तथा विस्तार के लिए आवर्तन निधि स्थापित करने के निमित्त केन्द्र द्वारा ऋण/सहायता के रूप में दिये जाने वाली कोई राशि निर्धारित नहीं है। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से केरल सहित राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए मिलाकर "खंड ऋणों' और 'खंड अनुदानों' के रूप में दी जाती है। राशि का निर्धारण प्रतिवर्ष वार्षिक योजना के आकार और साधनों आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। केन्द्रीय खंड सहायता की कोई राशि किसी विशिष्ट योजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है। राज्य सरकारें अपनी निजी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी योजना में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय खंड सहायता को नियत करने में स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण भी उपलब्ध किया जाता है। जिन्हें भूमि के अर्जन और विकास तथा नगरीय क्षेत्रों में आवास के लिये भी उपयोग में लाया जा सकता है।

राज्य कर विभिन्न जिलों में उपयोग के लिये निधियों का नियतन करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है।

जापान स्थित भारतीय दूतावास में जापानी जानने वाले अधिकारी

5898. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **विदश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम श्रेणी के सब अधिकारियों को जापानी भाषा की अच्छी जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उन्हें जापानी भाषा सिखाने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त श्रेणी एक के दस अधिकारियों में से दो जापानी भाषा में दक्ष हैं और तीन इस भाषा को सीख रहे हैं ।

(ग) जापानी भाषा का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है । इसके लिए लिंग्वाफोन रिकार्ड, प्राइवेट पाठ आदि की व्यवस्था वे स्वत: करते हैं ।

पंजाब में बड़ी संख्या में परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन

5899. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1971 में पंजाब में किन-किन स्थानों पर बड़ी संख्या में परिवार नियोजन शिविर आयोजित किये गये ;

(ख) ऐसे पुरुष और स्त्रियों की संख्या अलग-अलग क्या है जिनका इन शिविरों में आपरेशन किया गया ;

(ग) उन लोगों की संख्या क्या है जो इन शिविरों में आपरेशन किये जाने के बाद मर गये ; और

(घ) क्या मृत्यु के कारण तथा मृत्यु के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा में प्रशिक्षण के लिये पंजाब से विदेश भेजे गये अधिकारी

5900. **श्री मान सिंह घोरा : क्या स्वास्थय और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की चिकित्सा सेवा के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1967-68 से 1970-71 में परिवार नियोजन, स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया ;

(ख) उन अधिकारियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र भेजे थे ;

(ग) उनका चुनाव किस आधार पर किया गया ; और

(घ) पंजाब तथा केन्द्रीय सरकार ने उनके प्रशिक्षण पर कितना धन व्यय किया ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बंगला देश से आये शरणार्थियों की हैजे से मृत्यु

5901. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय क्षेत्र में हैजा फैल जाने के परिणामस्वरूप बंगला देश से आये लगभग 1300 शरणार्थियों की मृत्यु हो गई थी, जैसा की कलकत्ता के समाचार-पत्रों में समाचार छपा है ;

(ख) बंगला देश से आये कितने शरणर्थी हैजे से रोगग्रस्त हुए और पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में और माना और अन्य शिवरों में हैजे से अलग-अलग कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) बंगला देश से आये शरणार्थियों में हैजे के प्रकोप को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	रोगियों की संख्या	मृत्यु संख्या
पश्चिम बंगाल (अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में विस्थापितों में से)	36,389	4,741 (20-7-70 तक)
मेघालय	शून्य	शून्य
त्रिपुरा	सूचना उपलब्ध नहीं है ।	1 (18-7-71 को सूचित किया गया).
मध्य प्रदेश (माना कैम्प)	38	5 (25-6-71 तक)

पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं, उनमें आंत्रशोथ के रोगी और उसके कारण होने वाली मौतें भी सम्मिलित हैं ।

(ग) अभी तक जो मुख्य कदम उठाए गये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(i) कैम्पों में रहने वाले सभी शरणार्थियों और स्थानीय लोगों को हैजा निरोधी टीके लगाये जा रहे हैं ।

(ii) बंगला देश के सीमावर्ती शहरों एवं प्रमुख नगरों तथा जिन स्थानों पर शरणार्थियों के नये कैम्प लगाए जा रहे हैं। वहां हैजा की रोक थाम के लिए टीके लगाने के लिए एक विशेष व्यापक अभियान शुरू किया गया है।

(iii) हैजा के फैलाव को रोकने के लिए पानी को विसंक्रमित करने, रोगियों को अलग रखने आदि जैसे रोग निरोधी आवश्यक उपाय बरते जा रहे हैं। सफाई सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

(iv) हैजा-निरोधी वैक्सीन, विसंक्रामक औषधियों आदि का पर्याप्त स्टाक दिया गया है।

(v) हैजे के रोगियों की तात्कालिन जांच के लिए कलकत्ता और गोहाटी में दो महामारी दल नियुक्त किए गये हैं।

इम्फाल-कछार रोड कें निर्माण के लिये दी गई धनराशि

5902. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल-कछार सड़क का निर्माण करने के लिये सीमा सड़क संगठन को अब तक कितनी धनराशि दी गई थी ;

(ख) क्या ठेके के आरम्भ में जितनी धनराशि के लिए सहमति हुई थी, यह धनराशि उससे बढ़ गई ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आजकल सीमा सड़क संगठन नये कछार रोड के जीरीवास-इम्फाल टुकड़े का ही विकास कर रहा है। इसके लिए निधि का प्रबन्ध अंशतः मनिपुर सरकार एवं अंशतः सीमा सड़क संघटन करती है। मार्च, 1971 के अन्त तक 259 लाख रु० का व्यय मनिपुर सरकार के खाते से हुआ और 178 लाख रुपये का खर्च सीमा सड़क संघटन की निधि से किया गया। कुल 437 लाख रुपये का खर्च हुआ।

(ख) कार्य का संपादन सीमा, सड़क संघठन के द्वारा विभागीय प्रणाली द्वारा किया जा रहा है ठेके पर नहीं। 437 लाख रुपये की राशि निर्माण कार्य के मूल्य के प्रारम्भिक अनुमानों से अधिक नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सड़क संगठन द्वारा कूच बिहार-फूलबाड़ी रंगपुर सड़क का निर्माण

5903. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कूच-बिहार जिले में दिनहाटा से गुजरने वाली कूच-बिहार फूल-बाड़ी-रंगपुर सड़क एक महत्वपूर्ण सीमा-सड़क है तथा सीमा-सुरक्षा के लिये रक्षा सामग्री इस सड़क से प्रायः सर पर उठा कर ले जाई जाती है क्योंकि यह एक कच्ची सड़क है।

(ख) क्या उनके मंत्रालय को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा इसके स्थान पर एक स्थायी और पक्की सड़क बनायी जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सीमा सड़क संगठन द्वारा इस सड़क पर कार्य कब आरम्भ कर दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सरकार को उक्त सड़क को सीमा सड़क संगठन द्वारा स्थायी रूप से पक्की सड़क किये जाने के लिये एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । सुरक्षा की दृष्टि से कूच-बिहार क्षेत्र में वर्तमान सड़क यातायात सुविधा पर्याप्त है ।

सीमा सड़क संगठन द्वारा इम्फा-कछार सड़क के निर्माण के लिये स्थानीय श्रमिकों की नियुक्ति

5904. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन ने इम्फाल-कछार सड़क के निर्माण के लिये स्थानीय श्रमिकों की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किये गये कारीगर और गैर-कारीगर कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इम्फाल-कछार सड़क के इम्फाल-जीरीबाम टुकड़े का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा हो रहा है । इस टुकड़े पर कुछ स्थानीय श्रमिकों की नियुक्ति की गई है ।

(ख) गत 3 महीनों में नियुक्त किए गये स्थानीय गैर-कारीगर श्रमिकों (मजदूर) की औसत संख्या 156 है । इस सड़क के लिये किसी कारीगर श्रमिक की नियुक्ति नहीं की गई है ।

विदेशों के संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को भारत में बंगला देश के शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के लिये आमंत्रण

5905. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के विभिन्न देशों से कहा गया है कि वे पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गये अत्याचारों की प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत में बंगला देश के शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के लिये अपने प्रतिनिधियों को भेजें ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बंगला देश के शरणार्थी शिविरों में संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिये विश्व के सभी देशों की सरकारों को आमंत्रित कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). हमने विश्व के सभी देशों के सांसदों राजनयिक प्रतिनिधियों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों को तथ्यों की स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिये बंगला देश के शरणार्थियों के शिविरों को देखने के लिये आमंत्रित किया है । अमरीका, यू० के०, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, आयरलैंड तथा आस्ट्रेलिया से सांसदों और इसके अलावा नई दिल्ली स्थित राजदूत एवं राजनयिक मिशनों के अन्य अधिकारियों ने हमारे निमंत्रण पर शिविरों का दौरा

किया है। सहायता कार्य से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के प्रतिनिधियों तथा अनेक विदेशी मानव कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी वहां का दौरा किया है।

(ग) ऊपर दिये गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बंगला देश से आए शरणार्थियों के शिविरों को देखने के लिये संसदीय शिष्टमंडल भेजने हेतु सभी देशों के औपचारिक नियंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी के लिये शिविरों की स्थापना

5906. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता आयुक्त को यह बताकर गुमराह करने के लिये कि बंगला देश के शरणार्थी अपनी मातृभूमि को वापिस आने शुरू हो गये हैं, स्थानीय लोगों को बसा कर सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ अस्थायी शिविर स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता आयुक्त का ध्यान पाकिस्तान की इस मक्कारी से भरी कार्रवाई की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता आयुक्त की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर ने यहां अपने विचार-विमर्श के दौरान हमें यह सूचना दी कि उन्होंने शरणार्थियों की तथाकथित वापसी के लिये ऐसे दो शिविरों को देखा, जिन्हें पाकिस्तान स्थापित करने का दावा करता है।

इस तथ्य से कि भारत में शरणार्थियों का आना जारी है और जून 1971 के दूसरे सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर की ढाका-यात्रा के बाद से भारत में बारह लाख से भी अधिक नए शरणार्थी आ गये हैं, स्पष्ट रूप से इस बात का पता चलता है कि तथाकथित स्वागत केन्द्र प्रचार मात्र हैं और जब तक कोई स्वीकार्य राजनीतिक समाधान नहीं निकलता, तब तक इससे कोई लाभ नहीं होगा।

संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अन्य देश इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि भारत में शरणार्थियों का आना जारी है। बताया जाता है कि 23 जून 1971 को शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर ने न्यूयार्क में कहा कि लोग तभी वापस होंगे जब कोई राजनीतिक समाधान निकलेगा और उन्हें विश्वास है कि पाकिस्तान इस बात से सहमत होगा कि स्थिति यही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि राजनीतिक समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे भविष्य में विश्वास उत्पन्न हो और शरणार्थियों के लौटने के लिए यही एक मात्र सच्ची प्रेरणा होगी।

बंगला देश में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर हत्या पर विवरण का तैयार करना

5907. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगला देश में पाकिस्तानी सेना द्वारा विश्वविद्यालयों कालेजों तथा स्कूलों के शिक्षकों, कलाकारों, साहित्यकारों एवं अन्य बुद्धिजीवियों की बड़े पैमाने पर हत्या किये जाने पर, संसार के विश्वविद्यालयों तथा यूनेस्को को भेजने के लिये कोई विवरणिका तैयार है की;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार बंगला देश के शरणार्थी बुद्धिजीवियों के सहयोग से बंगला देश के बुद्धिजीवियों पर पाकिस्तानी बर्बरता की तथ्यात्मक विवरणिका तैयार करने के लिये कोई समिति स्थापित करेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ग). एक पत्रिका "एक प्रश्नः मतपत्र द्वारा शासन-उत्तरः आतंक का साम्राज्य" संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा तैयार की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वी बंगाल में बुद्धिजीवियों की सामूहिक हत्या का मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। भारतीय चिंतकों एवं लेखकों ने भी "बंगला देश की व्यथा पर विश्वविवेक को अपील" का संसार के विश्वविद्यालयों एवं यूनेस्को में प्रचार किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश के बुद्धिजीवियों के साथ की गई बर्बरता के बारे में विदेशी विश्वविद्यालयों को भेजा गया नोट

5908. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश के बुद्धिजीवियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार की ओर ध्यान दिलाने के लिए संसार के विश्वविद्यालयों को कोई नोट भेजा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई ऐसी कार्यवाही करने का है ?

विदेशी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारतीय विचारकों और लेखकों ने पहले ही "संसार के जाग्रत व्यक्तियों से बंगला देश की दुर्दशा पर अपील" जारी की है। संसार के विश्वविद्यालयों का ध्यान पूर्वी बंगाल के बुद्धिजीवियों पर होने वाले अत्याचारों की ओर आकर्षित किया था। इस बात को देखते हुए सरकार का संसार के विश्वविद्यालयों को कोई नोट भेजने का विचार नहीं है।

Nationalisation of foreign Oil Companies

5909. **Dr. Laxminrain Pandey** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether he had stated in a Press Conference at Ratlam on the 18th June, 1971 that Government propose to nationalise foreign Oil Companies in the near future ; and

(b) if so, the main features of the scheme ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). It was stated that nationalisation of foreign oil companies will be considered by the Government. While there are no immediate proposals for nationalising the refineries and other operations of the foreign oil companies, the position is under detailed examination of the Government, together with other alternative ways of revising the Refinery Agreements.

Amount Allocated for Housing Schemes in Bihar

5910. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the amount given so far under the Housing Schemes to Bihar State ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : A sum of Rs. 258.93 lakhs was drawn by the Government of Bihar upto 1968-69 for implementation of the Social Housing Schemes of the Ministry of Works and Housing as Central financial assistance. From the beginning of the Fourth Five Year Plan i.e. the year 1969-70, Central financial assistance to State Governments is given in the shape of block loans and block grants for all State Sector Schemes (including Housing) taken together. The amount of Central financial assistance utilised for housing schemes by the State Governments (including Bihar) with effect from the year 1969-70 are, therefore, not available.

In addition to Central financial aisistance, the Life Insurance Corporation of India have also advanced loans totalling Rs. 707.02 lakhs to the State Government upto the end of the year 1970-71 through this Ministry for implementation of Social Housing Schemes.

रक्त में चोरबाजारी

5911. **श्री के० बालतण्डायुतम :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़े स्तर पर रक्त में चोरबाजारी होती है ;

(ख) क्या "रक्त बैंक" के सम्मानजनक नाम से काम कर रही रक्त की दुकानें राजधानी में रक्त के व्यापार का मुख्य केन्द्र हैं ;

(ग) क्या रक्त की इन दुकानों को रक्त 3.50 रुपये से 4 रुपये प्रति यूनिट भाव पर मिलता है और वे उसे 65 रुपये से 200 रुपये प्रति यूनिट के भाव पर बेचती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो राजधानी में रक्त की चोर बाजारी रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस विषय में समाचार पत्रों में छपे एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) दिल्ली के मुख्य अस्पतालों में अपने अलग-अलग रक्त बैंक हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में दो रक्त बैंक प्राइवेट डाक्टरों द्वारा चलाये जा रहे हैं।

(ग) जहां तक मालूम हुआ है प्राइवेट रक्त बैंक औसतन 300 मिली ग्राम खून के एक यूनिट के लिए 20 रुपये देते हैं। परन्तु आर० एच० नेगटिव खून दाता को वे 100 रुपये प्रति यूनिट तक देते हैं। वे गरीब रोगियों से 30 रुपये, अस्पतालों के जनरल वार्ड के रोगियों से 45 रुपये और नरसिंग होम वालों से 65 रुपये तक लेते हैं।

(घ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे प्राइवेट संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले मूल्यों का नियन्त्रण किया जा सके।

Primary Health Centres In Rural Areas

5912. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there are about 370 Community Development Blocks in the rural areas where

even Primary Health Centres have not been set up and there are 417 such Blocks where no doctor has been posted ; and

(b) if so, the action taken so far or proposed to be taken in future in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) According to the informotion available at present, there are 301 Blocks which are yet to be covered with Primary Health Centres and 203 Primary Health Centres without doctors.

(b) It is proposed to complete the establishment of Primary Health Centres in all the Community Development Blocks during the Fourth Five year Plan period, priority being given to Blocks which have entered into malaria maintenance phase. The expenditure on the existing Primary Health Centres and opening of new ones is to be met from State Sector. Central assistance is being provided for strengthening the basic health services staff at the Primary Health Centres.

The following steps are being taken by the State/Union Territory Government to overcome the shortage of doctors in rural areas :

(1) Formation of unified cadres for doctors working in rural as well as urban areas.

(2) Provision of total package of incentives such as grant of rural allowance, transport facilities, free furnished quarters, ptotected water supply, electricity etc.

(3) Improvement of physical facilities of Primary Health Centres, particularly in respect of buildings, residential quarters.

(4) Re-employment of retired doctors willing to serve in rural areas ; and

(5) Grant of advance increments.

(6) Provision of larger amounts of medicines in the Primary Health Centres.

Some States have also offered scholarships/stipends to the medical students for binding them service in rural areas for a certain number of years after completion of their education.

The Government of India have evolved a scheme for giving an allowance of Rs. 150/- p. m. to doctors taking rural service in 400 difficult rural areas. Central assistance on cent per cent basis will be admissible under this scheme out of Family Planning funds for the Fourth Five Year Plan only.

सिधी जिला (मध्य प्रदेश) के कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

5913. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्यप्रदेश के सिधी जिले में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : जी नहीं । तथापि, सरकार ने सिद्धान्त रूप में, मध्य प्रदेश के कोरबा (जिला बिलासपुर) नामक स्थान पर कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ।

चीनी कारखानों द्वारा खुले बाजार में सीरे की बिक्री और उसका मूल्य

5914. **श्री पी० गंगा रेड्डी :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरे के वर्तमान नियोजित मूल्य में वृद्धि करने को जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार चीनी कारखानों को उसके उत्पादित सीरे में से 20 प्रतिशत सीरे को खुले बाजार में बेचने की दी गई अनुमति से सम्बन्धित निर्णय पर पुनः विचार करना चाहती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) . अन्य बातों के साथ-साथ सीरे के मूल्य की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति किये जाने का निर्णय किया गया है । उपर्युक्त जांच के बाद, 20 प्रतिशत सीरे को खुले बाजार में बेचने की अनुमति के प्रश्न (अथवा अन्यथा) पर भी निर्णय किया जायेगा ।

Renovation of Ministers' Bungalows and Office Rooms

5915. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the news widely published through the press in the country is true that the new Members of the Council of Ministers have spent a large amount on renovation of their rooms ;

(b) if so, the names of the new Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers and the details of their offices in respect of which heavy evpenditure had to be incurred on the renovation of their houses and office rooms ; and

(c) the expenditure incurred in each case ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

सीरे के निर्यात मूल्य के सम्बन्ध में चीनी मिलों और राज्य व्यापार निगम के बीच विवाद

5916. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरे के निर्यात मूल्य के सम्बन्ध में चीनी मिलों तथा राज्य व्यापार निगम के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उक्त मिलों के मामले को उठाया है और केन्द्रीय सीरा बोर्ड से इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिये कहा है; और

(ग) विवाद की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश सरकार ने मई, 1971 में भारत सरकार को सूचित किया था कि "चीनी के कुछ कारखानों को यह

शिकायत है कि देश के बाहर निर्यात के लिये दिये गये सीरे के लिये राज्य व्यापार निगम से उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे हैं । उनके द्वारा दिये जा रहे दाम देश में प्रचलित खुले बाजार के दामों से कम बताये जाते हैं । उनके अनुरोध पर इस मामले को जून 1971 में केन्द्रीय सीरा बोर्ड द्वारा किये जाने वाले विचार-विमर्श की विषय सूची में शामिल किया गया था । जांच किये जाने पर यह पाया गया कि यदि राज्य व्यापार निगम परिवहन, स्टोरेज, निरीक्षण आदि मध्यवर्ती लागतों को घटा सके तो वह चीनी के कारखानों को अच्छे दाम दे सकेगा ।

सहकारी चीनी उद्योगों द्वारा सीरे का उत्पादन

5917. **श्री डी० के० पन्डा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष राज्य-वार भारत में सहकारी चीनी उद्योगों द्वारा कुल कितने सीरे का उत्पादन किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 1969-70 के शर्करा उत्पादन काल में देश में सहकारी शर्करा उद्योगों द्वारा किया गया सीरे का उत्पादन निम्न प्रकार है:—

राज्य का नाम	मात्रा (मीटरी टनों में)
आन्ध्र प्रदेश	56,000
असम	5,000
बिहार	1,000
गुजरात	49,000
हरियाणा	15,000
केरल	8,000
महाराष्ट्र	2,72,000
मैसूर	51,000
उड़ीसा	7,000
पंजाब	23,000
राजस्थान	1,000
तामिल नाडू	61,000
उत्तर प्रदेश	41,000
कुल	5,90,000

भारत में पोषाहार स्तर योजना

5918. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, अमरीका, जापान, रूस और ब्रिटेन की तुलना में एक औसत भारतीय का पोषाहार स्तर बहुत कम है ; और

(ख) क्या भारत में पोषाहार स्तर में वृद्धि करने के लिये कोई विशिष्ट योजना आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) प्रश्न में उल्लिखित देशों की तुलना में यहां पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितनी कैलोरियां और प्रोटीन प्राप्त है उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

देश	वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्धता	
		कैलोरियां (संख्या)	प्रोटीन (ग्राम)
1. अमेरिका	1968	3240	96.1
2. रूस	1964-66	3150	91.5
3. ब्रिटेन	1968-69	3180	88.0
4. जापान	1968	2460	75.7
5. पाकिस्तान	1967-68	2230	50.6
6. भारत	1969	1965	50.7

(ख) अच्छे पोषण के लिए पहला काम होगा अधिक अन्न की व्यवस्था करना। पशु पालन और मत्स्य पालन के साथ-साथ कृषि का विकास करने के लिए जो राष्ट्र व्यापी प्रयास किया जाता है उसे पोषण के लिये किए जाने वाले सभी प्रयासों का आधार माना जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा चलायी गई बालाहार, स्तनपान छुड़ाने का आहार, गेहूं से बने पदार्थों का पौष्टिकीकरण, प्रोटीन आइसोलेट और प्रोटीन आइसोलेट टोन्ड मिल्क, तिलहन का आटा आदि तैयार करने की जैसी सहायक, पूरक और स्वास्थ्य रक्षक भोजन योजनाओं के विकास में और उन्हें लोकप्रिय बनाने में आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलाजी के द्रुत उपयोग से भारत में पोषण की कमी धीरे धीरे दूर हो जाने की सम्भावना है।

Pay Scales and Regularisation of Casual Labourers in C. P. W. D.

5919. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the pay scales of labourers working on daily wages in Central Public Works Department are fixed ;

(b) whether they automatically acquire the status of labourers on monthly basis after working there continuously for some time ;

(c) if so, their fixed pay scale and the period where after they acquire status of labourers on monthly basis ;

(d) whether these casual/daily labourers are not called through Employment Exchanges ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) The muster-roll labourers of the C. P. W. D. are daily rated workers who are paid according to the rates laid down under the Minimum Wages Act, 1948.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The muster-roll labourers of the C. P. W. D. are recruited through the Employment Exchange.

(e) Does not arise.

एक कारखाने की स्थापना के लिये मैसर्स जुआरी एग्रो कैमीकल्स द्वारा गोआ में भूमि की खरीद

5920. **श्री इराज्मुद सेकैरा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जुआरी एग्रो कैमीकल्स ने कारखाने की स्थापना के लिये गोआ में "कम्युनीडेड आफ सेंकोआले" से गाओ सरकार कीं आवश्यक पूर्व मंजूरी लेकर कितने मूल्य में भूमि खरीदी थी ; और

(ख) लगभग उसी समय उसी खरीददार ने उसी क्षेत्र में दूसरी भूमि कितने मूल्य में खरीदी थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) मैसर्स जुआरी एग्रो-कैमिकल लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मैसर्स बिड़ला गवालियर प्राइवेट लि० ने गोआ प्रशासन की अनुमति से सेंकोआले कम्युनीडेड से चिरस्थायी पट्टे पर पहले 499.95 हैक्टर भूमि प्राप्त की थी। बाद में, 10.32 लाख रुपये, अर्थात् उसका 20 वर्षों का किराया देकर, मैसर्स जुआरी एग्रो-कैमिकल्स लि० ने उस भूमि पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिया था।

(ख) भूमि के निम्नलिखित खण्डों, जो समस्त क्षेत्र में गोह बनाये हुये हैं तथा जो कारखाने के निर्माण के लिए आवश्यक है, के लिये मैसर्स जुआरी एग्रो-कैमिकल्स लि० ने बात-चीत की थी और उन्हें प्रत्येक के सामने लिखे मूल्यों पर जिनमें अहातों, खड़ी फसलों तथा वृक्षों आदि का मुआवजा सम्मिलित है, खरीद लिया था।

(क्षेत्र) हैक्टर	प्रतिफल
5.2352	52,352 रुपये
4.6980	91,380 रुपये
1.9916	19,916 रुपये
4.3590	65,385 रुपये
13.9530	2,10,575 रुपये
22.7348	2,95,552 रुपये

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा धन भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

5921. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में अपने देश को धन भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पीं० सी० सेठी) : (क) और (ख). यदि विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा बाहर भेजे जाने वाली धन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का कोई विचार नहीं है, तथापि बाहर भेजी जाने वाली विशिष्ट राशियों के औचित्य को देखे जाने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है ।

Amount of Water and Electricity Bills in Respect of Bungalows Occupied by Prime Minister and Ministers

5922. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the amount of water and electricity bills in respect of the bungalows of Central Ministers including the Prime Minister, separately from 1st October, 1970 to-date ; and

(b) the expenditure borne by Government and the individuals separately ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) A statement showing the amount of water and electricity bills in respect of the residential portions of bungalows of Central Ministers, including the Prime Minister, separately from 1st October, 1970 to the date upto which bills have been received, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT—734/71]**.

(b) The Ministers have voluntarily agreed to a monetary ceiling of Rs. 2400/- per annum for the free supply of water and electricity in the private portions of their residences. They reimburse to the Government expenditure in excess of this ceiling. This ceiling does not apply to the residence of the Prime Minister.

The annual ceiling of Rs. 2400/- is applicable for the financial year commencing from the 1st of April to 31st March of the succeeding year and the amount recoverable from the Ministers concerned is billed for at the end of each financial year.

खाना पकाने में काम में आने वाली गैस की सप्लाई

5923. **श्री नरन्द्र कुमार सांधी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि जब किसी तेल कम्पनी विशेष द्वारा तैयार की गई खाना पकाने के काम आने वाली गैस के उपयोगकर्ताओं का किसी ऐसे दूसरे राज्य या क्षेत्र में स्थानान्तरण हो जाता है जहां उस तेल कम्पनी विशेष की कोई वितरण एजेंसी नहीं होती तब उन्हें इस कारण असुविधाओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि दूसरी गैस कम्पनियों के एजेंट तब तक गैस सप्लाई करने से मना कर देते हैं जब तक कि उपभोगकर्ता उस राज्य या क्षेत्र के एजेंट से चूल्हे न खरीदे ;

(ख) क्या सरकार गैस तैयार करने वाली कम्पनियों के माध्यम से एजेंटों को ऐसे अनुदेश देना उचित समझती है कि किसी भी उपभोगकर्ता को इस कारण गैस सप्लाई करने से मना न किया जाये कि वह किसी दूसरी कम्पनी के चूल्हों का उपयोग करता है ; और

(ग) उन उपभोक्ताओं को जो खाने पकाने के काम में आने वाला गैस का उपभोग करना चाहते हैं गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). हाल ही में इस सम्बंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा ऐसे उपभोक्ताओं के सम्मुख आने वाली समस्याओं पर अधिकतम सीमा तक नियंत्रण पाने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी व्यवस्था को तैयार करने के बारे में तेल कम्पनियों को परामर्श देने का प्रस्ताव है। भारतीय मानक संस्था में एक उपयुक्त भारतीय मानक (इंडियन स्टैंडर्ड) को तैयार करके, हाट प्लेट्स (स्टोव्स) के बारे में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को नियंत्रण में लाया जा रहा है। इसके पश्चात् भारतीय मानक संस्था (आई एस माई) के चिह्न वाली सारी प्लेटें, समस्त विक्रय तेल कम्पनियों की स्वीकृत सूची में स्वतः सम्मिलित हो जायेगी।

(ग) पकाने वाली गैस के उत्पादन सलैंडरों तथा इसके वितरण के लिए अपेक्षित अन्य साधनों में उत्तरोत्तर बृद्धि के लिए उपाय अपनाए गये हैं।

Decision of Refinery Agreements with foreign Oil Companies

5924. **Dr. Laxminarain Pandey :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 41 on the 24th May, 1971 and state :

(a) whether Government have since taken any decision after the informal discussions held with the foreign oil companies for the revision of Refinery agreements ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) when these are to be implemented ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir. The matter is still under consideration.

(b) and (c). Do not arise.

जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स में कार्य कर रहे कर्मचारियों का स्थायीकरण

5925. **श्री एस० के० गोपालन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (ग्रेफ) में 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों का अभी तक स्थायीकरण नहीं किया गया है ;

(ख) जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स में कार्य करने वाले कर्मचारियों का स्थायीकरण करने के लिये सरकार द्वारा क्या आधार अपनाया जाता है ; और

(ग) उनका स्थायीकरण करने के सम्बन्ध में सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (ग्रेफ) का कोई भी कर्मचारी अभी तक स्थायी नहीं किया गया है।

(ख) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स 1960 में एक अस्थायी संगठन के रूप में बनायी गई थी। नियमानुसार किसी अस्थायी संगठन में पदों को केवल तभी स्थायी किया जाता है यदि उक्त संगठन कम से कम 10 वर्ष तक रहे और निकट भविष्य में उसके टूटने की सम्भावना न हो। संगठन के भविष्य के कार्य-भार को ध्यान में रखते हुए, भर्ती के लिए अच्छे उम्मीदवारों को आकर्षित करने की आवश्यकता और उसके सदस्यों में सन्तुष्टता और योग्यता को बढ़ाने के लिए 1967 में नियमों में ढील दी गई थी। कुछ अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए स्थायी पद बनाने के लिए आदेश पास कर दिए गए थे।

(ग) 1967 में आदेश पास करने के पश्चात स्थायीकरण के लिए परिशोद्धित शर्तों को तैयार किया गया था और 1969 के अन्त में उन्हें प्रकाशित कर दिया गया था। तदुपरान्त अर्ध स्थायी और स्थायी करने के व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया गया था। यद्यपि अधिकतर पात्र कर्मचारियों को अर्ध स्थायी करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं, विभागीय पदोन्नति समिति को सिफारिशों के प्राप्त होने तक स्थायी-करण के मामले लम्बित पड़े हुए हैं। इन मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शीघ्र प्रगति करने और अन्तिम निपटान करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

बालासोर जिले में चांदीपुर में "प्रूफ और एक्सपेरीमेंट" केन्द्र के गैर-सैनिक कर्मचारियों में असन्तोष

5926. **श्री एस० एस० महापात्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर जिले में चांदीपुर में प्रूफ और एक्सपेरीमेंट केन्द्र के गैर-सैनिक कर्मचारियों में असन्तोष है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वहां इस प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। लेकिन कर्मचारी यूनियन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ शिकायतों का उल्लेख किया गया है।

(ख) ज्ञापन में उल्लिखित मदों पर विचार किया जा रहा है।

प्रमाण तथा परीक्षण केन्द्र की तोपों के गोलों के खोलों की खुले बाजार में बिक्री

5927. **श्री एस० एस० महापात्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर जिले में चांदीपुर स्थिति प्रमाण-पत्र तथा परीक्षण केन्द्र द्वारा समुद्र में छोड़े गये तोपों के गोलों के खोलों को एकत्र करके खुले बाजार में बेचा जा रहा है ; और

(ख) क्या इन खोलों पर कोई चिह्न अंकित हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) समुद्र तट से खोलों को एकत्र करने और उनको तांबे की पट्टी को हटाने के पश्चात उन्हें साल्वेज डिपो में भेज दिया जाता है जहां से उन्हें खुली नीलामी द्वारा बेचा जाता है। निसंदेह कुछ खोल सीधे ही

समुद्र-तट से स्थानीय लोगों द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं और ये भी खुले बाजार में बेच दिये जाते होंगे ।

(ख) जी हां । फायर किये जाने वाले गोलों और बमों पर चिह्न अंकित होते हैं । इन चिन्हों से उनके व्यास, स्वीकृति मार्क, भरने की प्रकृति, ढेर का नम्बर, निर्माण के वर्ष आदि का पता चलता है जिससे उनके हिसाब-किताब और पहचान में सुविधा हो ।

नई दिल्ली में बिहार के विशेष आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था

5928. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के विशेष आयुक्त के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये नई दिल्ली में कुछ आवासीय क्वार्टर आवंटित करने हेतु बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने नई दिल्ली में रहने वाले अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये नई दिल्ली में आवासीय क्वार्टर आवंटित किये हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर 'हां' में हो, तो सरकार का विचार बिहार सरकार के विशेष आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) . जी, हां ।

(ग) सामान्य पूल में रिहायशी वास की अत्यन्त कमी होने से नई दिल्ली में बिहार के विशेष आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को नई दिल्ली में वास आवंटित करने के लिये बिहार सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

अशोधित तेल और पेट्रोलियम का आयात

5929. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हम अशोधित तेल और पेट्रोलियम किन किन देशों से आयात करते हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : आयातित अशोधित तेल से परिचालित पांच तटवर्ती परिष्करणशालाओं में से, इस समय चार ईरान से अशोधित तेल आयात कर रही हैं, जबकि पांचवी तटवर्ती परिष्करणशाला साऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात कर रही है । जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का सम्बन्ध है, कच्चा तेल मुख्यत: रूस से आयात किया जाता है । मांग के घट बढ़ जाने तथा इस प्रकार के अन्य तथ्यों के कारण जब कभी आवश्यक होता है, कच्चे तेल का अनुपूरक आयात और इसी तरह भट्टी का तेल तथा अन्य उत्पाद भी, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत तथा जापान से आयात किये जाते हैं । लुब्रीकेटिंग बेस तेलों का आयात मुख्यत: अमरीका से और अंशत: रूमानिया से किया जाता है ।

Financial Aid for Health and Maternity Centre at Udaipur

5930. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleasad to state :

(a) whether the Government of Rajasthan have sought financial assistance from the Central Government for setting up a Government Health and Maternity Centre at Udaipur ; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b). No proposal for a grant-in-aid for the establishment of a Materntty and Health Centre at Udaipur has been received in this Ministry from the Government of Rajasthan.

Expenditure on Central Ministers' Bungalows, office, Telephone and Transport Facilities

5931. **Shri R. V. Bade :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the amount of expenditure incurred on each Central Minister in respect of his office, telephone and transport facilities separately from 15th March, 1971 to date ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Help Offered by Israel for Bangla Desh Refugees

5932. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Israel has condemned acts of Pakistan in Bangla Desh and has offered help to India for Bangla Desh refugees ; and

(b) if so, the reaction of Government of India thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes. Sir.

(b) The Government have accepted Israel's offer of medicines and relief material.

नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय के अन्तर्गत मुद्रणालय विभाग की स्थापना

5933. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय के अन्तर्गत देहरादून में एक मुद्रणालय विभाग स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य की देखभाल करने के लिये कोई प्रबन्धक नियुक्त कर लिया गया है ;

(ग) क्या तकनीकी अधीनस्थ कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तकनीकी देखभाल का कार्य किसे सौंपा गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) तकनीकी निरीक्षण फोरमैन एवं मानचित्रकारी स्टाफ के द्वारा किया जाता है ।

बंगला देश में बड़े पैमाने पर लूटपाट, बलात्कार और हत्याओं के बारे में पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में लिखित प्रमाण

5934. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना के सम्बन्ध में कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनमें पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों ने स्वयं बड़े पैमाने पर बंगला देश में लूटपाट, बलात्कार, आगजनी और बेगुनाह व्यक्तियों की अंधाधुंध हत्या के बारे में शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दस्तावेजों को अन्य देशों में परिचालित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . अखबारों ने अपनी सामग्री छापी है । उनके प्रचार से पूर्व बंगाल में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा किये गये अत्याचार के बारे में विदेश में पहले से उपलब्ध सूचना में वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है ।

बिहार में 'इन्डेन' एजेन्सियां

5935. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में किन किन स्थानों पर इन्डेन एजेन्सियां स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) राज्य में किन किन स्थानों पर बेरोजगार इंजीनियरों, भूतपूर्व सनिकों और सहकारी समितियों को एजेंसियां दी गई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : इस समय इण्डन गैस, बिहार में जमशेदपुर, रांची, पटना और बरौनी में बेची जा रही है । 1971-72 में भारतीय तेल निगम ने भागलपुर, गया, दरभंगा, बोकारो, जमालपुर, मेंगुर, सिन्दरी-धनबाद तथा मुजफ्फरपुर में इंडेन गैस के विक्रय का निर्णय किया है ।

(ख) **बेरोजगार इंजीनियर्स/स्नातक** : जमशेदपुर में इंजीनियरिंग स्नातकों की एक साझेदारी नियुक्त की गई है तथा वह भारतीय तेल निगम के वितरक के रूप में कार्य कर रही है भागलपुर, गया, और दरभंगा में एजेन्सियों के बारे में भारतीय तेल निगम ने बेरोजगार इंजीनियरों/स्नातकों में से चयन किये गये उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किये हैं ।

भूत-पूर्व सैनिक : मुजफ्फरपुर में वितरण एजेन्सी केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिये रखी गई है। इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो चुके हैं और वितरक के लिये चयन किया जा रहा है।

सहकारी समितियां : बरौनी में, बरौनी रिफायनरी को-आपरेटिव स्टोर्स, भारतीय तेल निगम के वितरक के रूप में कार्य कर रहा है।

जेद्दा में मुस्लिम राष्ट्र सम्मेलन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन

5936. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेद्दा में हुए मुस्लिम देशों के 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बंगला देश के बारे में पाकिस्तान का समर्थन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत ने इन 22 राष्ट्रों में स्थिति को स्पष्ट करने के लिये अपने प्रतिनिधिमण्डल भेजे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह खेद का विषय है कि जेद्दा में हाल ही में आयोजित 22 मुस्लिम देशों के सम्मेलन में पूर्व बंगाल में पाकिस्तान के पाशविक कार्य का, जिससे वहां की जनता के मानवीय अधिकारों एवं प्रजातंत्रीय आकांक्षाओं का दमन हुआ है, समर्थन किया गया है।

(ग) जिन 22 देशों ने जेद्दा सम्मेलन में भाग लिया उनमें से 13 देशों में स्थिति की सही जानकारी देने के लिये भारतीय प्रतिनिधिमण्डल गए थे। इसके अतिरिक्त अगले मास विदेश मंत्री इंण्डोनेसिया जाने वाले हैं।

डीजल के मूल्यों के सम्बन्ध में सर्विस की उचित दर निर्धारित करने के लिये राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा लागत अध्ययन

5937. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीजल के मूल्यों के सम्बन्ध में सर्विस की उचित दर निर्धारित करने के लिये राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद से लागत सम्बन्धी अध्ययन करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तथ्य के उपरान्त भी अध्ययन के लिये आदेश दे दिये गये हैं कि शान्तिलाल एच० शाह की अध्यक्षता में तेल मूल्य निर्धारण समिति ने 1969 में ऐसा ही अध्ययन किया था और सर्विस दर बढ़ाने की सिफारिश की थी ; और

(ग) उस समय इस सुझाव के न मानने के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) हाई स्पीड-डीजल आयल पर कमीशन (आढ़त) की वर्तमान दर पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त है, उसका निर्धारण करने के विचार से हाई स्पीड डीजल के प्रमुख विक्रय सहित फुटकर विक्रय पम्पों की वास्तविक अर्थ-व्यवस्था की जांच करने के लिए यह राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को सौंपा गया है। तेल-मूल्य समिति ने सिफारिश की थी कि हाई स्पीड डीजल आयल पर कमीशन की दर पर पुनरीक्षण करके उसे 37.60 रुपये प्रति किलोलिटर कर दिया जाए तथा इसके पश्चात् व्यापारियों द्वारा भविष्य में उन क्षेत्रों में, जहां पर व्यापारियों द्वारा सेवा-प्रभार लिया जा रहा था, कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जाए। सरकार ने तेल-मूल्य-समिति की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया किन्तु पुनः विचार करने पर, राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से लागत के अध्ययन का निर्णय किया गया था।

वायु दूषण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

5938. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु दूषण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मई, 1970 में गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने विधान का प्रारूप तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख इस मिति ने वायु दूषण नियन्त्रण सम्बन्धी कानन के प्रारूप को अन्तिम रूप देकर उसे सरकार के पास भेज दिया हैं। इसके अलावा वायु दूषण समस्याओं सम्बन्धी सामान्य रिपोर्ट का भी सितम्बर, 1971 के अन्त तक मिलने की सम्भावना है।

(ग) वायु दूषण नियन्त्रण सम्बन्धी कानून के प्रारूप की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(i) केन्द्रीय और राज्य वायु दूषण नियन्त्रण बोर्डों का गठन और जिन प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय/राज्य बोर्ड आवश्यक समझे, उनके लिए समितियों की स्थापना;

(ii) लोगों के स्वास्थ्य रक्षा, पशु, वनस्पति और जल जन्तुओं की सुरक्षा तथा घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि मनोरंजन तथा अन्य उपयोगों के लिए वायु की शुद्धता बनायें रखने और उसमें सुधार करने के लिए कदम उठाना ;

(iii) ऐसे वायु दूषण नियन्त्रण क्षेत्रों की परिभाषा देना जिनमें सरकार द्वारा चल और अचल स्रोतों सम्बन्धी विशेष अपेक्षायें लागू की जा सकें ; और

(iv) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड व्यवस्था।

Disposal of Cows and Buffaloes by Guard Training Centre, Kotah

5939. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of cows and buffaloes given by the Guard Training Centre at Kotah without auction during the last three years ;

(b) if so, the number of cattle there at present and the reasons for giving the cattle without auction ;

(c) whether some cattle have been given to some Sardars who still exist ; and

(d) if so, the authority under which these cattle were given to them ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Cutting of Trees for Construction of Building in by Guard Training Centre, Kotah

5940. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of acacia trees cut in the Guard Training Centre at Kotah for the construction of building for record room ;

(b) the manner in which timber worth thousands of rupees was utilised without auctioning it by inviting traders ; and

(c) if the timber was not auctioned, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No trees have been cut.

(b) and (c). Do not arise.

Rented Buildings for offices in Kota Division

5941. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of houses and office buildings taken on rent by the Central Government in Kota Division together with the names of the offices and the amount of rents paid separately ;

(b) the number of years for which Government have been paying rents for such houses and office buildings ; and

(c) the number of houses and office buildings constructed by the Central Government during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Housing Scheme for Central Government Employees in Kota Division

5942. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the housing schemes for the Central Government employees in Kota Division ;

(b) the expenditure proposed to be incurred thereon ;

(c) whether any site has been selected therefor ; if so, the location thereof ; and

(d) the facilities extended by the Rajasthan Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) There is no proposal for construction of houses in the General Pool for Central Government Employees in Kota Division.

(b) to (d). Do not arise.

कुरेंती स्थित भारत सरकार प्रेस कर्मचारी संघ को मान्यता देने के लिये अभ्यावेदन

5943. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिचूर जिले के कोरट्टी प्रेस के कर्मचारी संघ को भारत सरकार प्रेस के प्रबन्धकों ने इस कारण से मान्यता देने से इंकार कर दिया है कि इस संघ ने सितम्बर 1968 में केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लिया था ;

(ख) क्या सरकार को कर्मचारियों से मान्यता देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां । क्योंकि संघ ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सितम्बर 1968 की अवैध हड़ताल में भाग लेने के लिये एक नोटिस दिया था, अतः संघ को मान्यता देने से इन्कार कर दिया गया।

(ख) जी, हां ।

(ग) क्योंकि, अब मुद्रणालय में दो संघ कार्य कर रहे हैं, अनुशासन संहिता में की गई व्यवस्था के अनुरूप दोनों संघों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है ।

कोरट्टी में गवर्नमेंट प्रेस में बेकार पड़ी मशीनें

5944. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिचूर जिले में कोरट्टी गवर्नमेंट प्रेस में कई मशीनें बेकार पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन मशीनों के नाम क्या हैं ;

(ग) इसके क्या मुख्य कारण हैं ; और

(घ) इन मशीनों को उपयोग में लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (घ). जी, नहीं। सिवाय जब इनमें से किसी की यान्त्रिक या बिजली सम्बन्धी मरम्मत अपेक्षित होती है। ऐसी मरम्मतें यथासंभव शीघ्र की जाती हैं ।

Illegal Occupation of Land near Kalagarh Project in U. P.

5945. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether 2000 acres of land near Kalagarh project in Uttar Pradesh which was reserved for soldiers belonging to hill regions, has been illegally occupied by persons belonging to other States ;

(b) whether the persons who have occupied this land, neither belong to the families of soldiers nor are they original inhabitants of Uttarakhand ; and

(c) if so, whether the Central Government intend to direct the Government of Uttar Pradesh to investigate this matter ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). The requisite information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

(c) Does not arise.

Opening of a Sainik School in Garhwal, U. P.

5946. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2667 on the 21st June, 1971 and state :

(a) whether all Sainik Schools in the country are under the direct control of the Central Government ;

(b) if so, whether it is necessary to receive a proposal from the State Government for opening a Sainik School in that state ; and

(c) if not, whether Government propose to open a Sainik School in Garhwal so that the children of Servicemen and ex-Servicemen and also other children of this area may get education therein ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Sainik School all over the country are run by the Sainik Schools Society and not by the Central Government.

(b) Sainik Schools are opened only at the request of the State Governments who provide land and buildings for the School and also Scholarships to a large number of students selected from the States for admission into these Schools.

(c) The Uttar Pradesh State Government have not requested the Sainik Schools Society for the opening of a Sainik School at Garhwal. In Uttar Pradesh, there is already a Sainik School at Ghorakhal, Nainital District. The children of servicemen and ex-servicemen have the facility getting admission to the School to the extent of 33% of the admissions each year.

सिविल अधिकारियों को सैनिक सहायता देने के लिये पश्चिम बंगाल से व्यय की वसूली

5947. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 में पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ के समय वहां के सिविल अधिकारियों को दी गई सैनिक सहायता के लिये पश्चिम बंगाल से व्यय की वसूली की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि वसूल की गई है ; और

(ग) यह वसूली किस हिसाब में की गई थी ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

नागालैंड में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने का प्रस्ताव

5948. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी भागों में उग्रवादियों और विद्रोही नागाओं से निपटने और उसके बारे

में जानकारी देने हेतु उनके मन्त्रालय का गृह मन्त्रालय के सहयोग से संयुक्त कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सम्भवतः आदरणीय सदस्य जानते होंगे कि नागा नेताओं के साथ नागा समस्या का अन्तिम समझौता 1960 में हो गया था ।

सरकार नागालैंड के गुमराह तत्वों और देश के पूर्वी भाग में अन्य उग्रवादियों पर कड़ी नजर रखती है । उनके विरुद्ध गृह मंत्रालय, रक्षा और विदेश मंत्रालयों के निकट सहयोग से कार्रवाई करता है ।

(ख) असम और नागालैण्ड की सरकारें तथा मणिपुर और त्रिपुरा के प्रशासन कानून और व्यवस्था के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं । गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सारे क्षेत्र में सुरक्षा सेनाएं तैनात कर दी गई हैं । दुर्गम क्षेत्रों में संचार-व्यवस्था में सुधार हुआ है । शान्ति चाहने वाले ग्रामवासियों और उनके नेताओं का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त हो रहा है । इससे ग्राम सुरक्षा को सुदृढ़ करने और उपद्रवी तत्वों को सहयोग न देने तथा उन्हें रोकने में मदद मिली है ।

आयुध कारखानों में कार्मिक संघों के नेताओं का प्रवेश

5949. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक संघों के राजनीतिक नेता आयुध कारखानों में आसानी से प्रवेश कर पाने का लाभ उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या रुख है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). ट्रेड यूनियन के नेता यदि कर्मचारी नहीं हों तो आर्डनेंस कारखानों में केवल पूर्व अनुमति से ही प्रवेश पा सकते हैं । उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता है । सरकार का यह रवैया है, कि उचित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को आर्डनेंस कारखानों में प्रवेश नहीं करने दिया जाना चाहिए ।

संतरागाछी में भारत सरकार के प्रेस के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

5950. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में संतरागाछी में भारत सरकार के प्रेस के कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर बनाए गए हैं;

(ख) उन पर कितनी लागत आई;

(ग) वर्ष वार कितने क्वार्टर खाली पड़े रहे; और

(घ) इस शीर्षक के अन्तर्गत कितनी राजस्व की हानि हुई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) मई, 1968 तक 630 क्वार्टर पूरे हो गये थे।

(ख) लगभग 1,24,45,000 रुपये।

(ग) मई, 1969, मई, 1970 तथा मई, 1971 में खाली पड़े रहे क्वार्टरों की संख्या क्रमशः 293, 215 तथा 161 थी।

(घ) किराये की कुल राशि, जो क्वार्टरों के पात्र कर्मचारियों को आवंटन करने से प्राप्त होती, की ठीक-ठीक गणना करना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की परिलब्धियां और ऐसे ही वसूली की दर भी पृथक-पृथक होती है। तथापि, मोटे तौर पर गणना से मई, 1971 के अन्त तक (लगभग) 2,30,000 रुपये की राशि किराये के रूप में वसूल की जा सकती थी।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा तदर्थ अनुसंधान योजनाओं पर व्यय

5951. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गत तीन वर्षों में तदर्थ अनसंधान योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) कितनी योजनाओं पर वर्ष-वार कार्य हो रहा है; और

(ग) प्रारम्भ में निर्धारित समय के अन्तर्गत कितनी योजनाएं पूरी हुईं और उनके क्या ठोस परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई दिल्ली में औखला में राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के लिये पानी के मीटरों की खरीद

5952. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अक्तूबर-दिसम्बर 1968 के दौरान नई दिल्ली में औखला में राज सहायता प्राप्त आवास योजना के लिए ठेके की दर में अधिक टेण्डर रेट पर एक गैर सरकारी फर्म से पानी के मीटर खरीदे थे;

(ख) इस मामले में कितना अतिरिक्त व्यय किया गया;

(ग) क्या ठेकेदारों के साथ किये गये करारों में यह कहा गया था कि मीटर आई० एस० आई० के मानिक के अनुसार होने चाहियें; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). ओखला में टेनमेंट्स के निर्माण कार्य के लिये टेंडरों को आमंत्रित करने की सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ केसिंग आदि के साथ अनुमोदित क्वालिटी के $\frac{3}{4}''$ व्यास के पूर्ण वाटर मीटरों (भारत में बने) की व्यवस्था करने की मद सम्मिलित थी। निर्माण के समस्त कार्य के लिये ठेका, जिसमें पानी के मीटरों की व्यवस्था भी शामिल है, टेंडर में दी गई अनुमानित लागत से कुछ प्रतिशत अधिक पर दिया गया था। यह प्रतिशतता उस समय प्रचलित बाजार की दरों की तुलना में अच्छी थी तथा सरकार ने सम्पूर्ण कार्य पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया। इसके एक मिश्रित कार्य होने के कारण किसी एक विशेष मद को पृथक से निष्पादित करना संभव नहीं था।

ठेकेदारों द्वारा दिए गये पानी के मीटर आई० एस० आई० को विशिष्टियों के अनुसार बने हुए थे।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मामले पर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा।

पाकिस्तान के लिये नये उच्चायुक्त की नियुक्ति

5953. **श्री सी० के० चंद्रप्पन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त के स्थान पर जिसकी अवधि शीघ्र समाप्त होने वाली है, ऐसा उच्चायुक्त तुरन्त नियुक्त न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा हवाई हमले से बचाव के उपकरणों तथा राडारों का निर्माण

5954. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड हवाई हमले से बचाव के उपकरण तथा राडारों का निर्माण करेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी हां।

पेट्रोल पम्पों की संख्या कम करने का प्रस्ताव

5955. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष लगाये जाने वाले पेट्रोल पम्पों की संख्या को कम करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा पहुंचाये बिना, वर्तमान फुटकर विक्रय पेट्रोल पम्पों के उपयोग में अधिकतम सम्भव मात्रा में सुधार करने के लिए और इस प्रकार उच्चतर अग्रता प्राप्त आवश्यकताओं हेतु सीमित पूंजी संसाधनों को लगाने के लिए ।

I. A. F. Plane destroyed in accident near Jullundhur

5956. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether an I. A. F. plane was destroyed in an accident in a village near Jullundhur in the latter half of April 1971 ;

(b) whether Government have enquired into the causes of the accident ; and

(c) if so, the findings thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) An I. A. F. aircraft accident occurred on 19th April 1971 about 18 miles South of Pathankot near village Mukerian.

(b) and (c). A Court of Inquiry has been ordered to investigate the accident. Its report has not yet been finalised.

Staff in Indian Embassy in U. S. A.

5957. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state : the number of Indians and foreign citizens working in Indian Embassy in U. S. A. at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : 235 Indians and 41 foreign nationals are at present working in the Embassy of India, Washington.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नेफा सर्किल में निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारी

5958. **डा० रानेन सेन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के नेफा सर्किल में कुल कार्य प्रभारित कर्मचारी कितने हैं ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के लिये कोई स्थाई पद बनाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन कर्मचारियों के लिये स्थायी पद बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 2,031.

(ख) 100 स्थाई पद बनाये गए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत विभाग का कार्यभार

5959. **डा० रानेन सेन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली प्रशासन विद्युत विभाग I और III में कितना कार्य-भार है ;

(ख) दिल्ली प्रशासन के वातानुकूलन विभाग में कार्य-भार कितना है ;

(ग) क्या विभागों में कार्यभार को देखते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली प्रशासन क्षेत्र में (वातानुकूलन कार्य सहित) दूसरे विद्युत विभाग के निर्माण का कोई औचित्य है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या विभाग बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 1970-1971 के दौरान कार्यभार निम्नप्रकार था :

निर्माण सम्बन्धी कार्यभार (लाख रुपयों में)	अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यभार (लाख रुपयों में)
45.32	18.30

(ख) 1970-1971 के दौरान कार्यभार 17.82 लाख रुपये का था। तथापि, वातानुकूलन सम्बन्धी कार्यों की देख रेख केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वातानुकूलन प्रभाग सं० III द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ). एक प्रभाग बनाए जाने के लिये वर्तमान कार्यभार सम्बन्धी मानदण्ड पुनरीक्षणाधीन हैं। तथा पुनरीक्षित प्रतिमानों के निश्चित किये जाने के पश्चात ही यह निर्णय करना संभव होगा कि क्या अतिरिक्त प्रभाग का बनाया जाना उचित है।

भीमनगरी, दिल्ली में आद्य छात्रावास के साथ मकानों का निर्माण

5960. **डा० रानेन सेन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भीमनगरी दिल्ली में आद्य छात्रावास के साथ एक मकान बनाने की स्वीकृति दी थी ;

(ख) क्या मकान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ग) यदि हां, तो क्या पहले बनाये गए 72 मकानों के सी० और डी० ब्लाकों के बीच में और उस मकान के निकट पड़े मलबे को अभी तक नहीं हटाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस मलबे को न हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण पूरा होने वाला है।

(ग) तथा (घ). होस्टल के प्रबन्धकों के परामर्श से 'मलबे' के हटाये जाने की कार्यवाही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

सरकारी क्वार्टरों में अधिक समय तक रुकने तथा सब-लेट करने के कथित आरोप

5961. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राज सम्पदा कार्यालय द्वारा सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों

के विरुद्ध सब-लैटिंग तथा अधिक समय तक रुकने के कथित आरोपों के बहुत से मामलों के सम्बन्ध में दिए गए आदेशों को न्यायालयों में चुनौती दी गई थी और तत्पश्चात् न्यायालयों द्वारा इन आदेशों को रद्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो राज सम्पदा कार्यालय के आदेश क्या हैं जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान न्यायालयों ने अवैध ठहराया है अथवा जो न्यायालयों में अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार एस० आर० 317-बी-20 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने का है जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सब-लैट किए गए सरकारी क्वार्टरों के निरंतर रूप से रहने की अनुमति मिल जाय ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सब-लैटियों को, यदि वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हों तो सबलैट किए जाने वाले सरकारी क्वार्टर आवंटित करने का भी है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). जहां तक दिल्ली / नई दिल्ली में सामान्य पूल में वास का सम्बन्ध है, एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 735/71.]**

(ग) और (घ). फिलहाल अनुपूरक नियम (एस० आर०) 317-बी-20 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जिससे कि सरकारी क्वार्टरों में एक उप-किरायेदार को, यदि वह केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है, उप-किराये पर दिये गये वास में रहने की अनुमति दी जाय अथवा उसे उप-किरायेदार को आवंटित किया जाए।

औषधियों के मूल्यों के बारे में मेडिसिनल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन

5962. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मेडिसन डीलर्स एसोसिएशन अथवा फर्मासिस्ट्स एसोसिएशन की ओर से ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए औषधियों के वर्तमान अधिक मूल्यों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे इन औषध व्यापारियों को अधिक मूल्य देना पड़ता है अथवा बड़े कस्बों में उनके लाभ की प्रतिशतता बड़े कस्बों और नगरों में कार्य कर रहे ऐसे ही व्यापारियों की तुलना में कम है क्योंकि बड़े नगरों के व्यापारियों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं और उन्हें माल को स्थिति का पता रहता है तथा उन्हें पहले वाले व्यापारियों की भांति माल भाड़ा नहीं देना पड़ता ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इसे असमान नियंत्रण और ग्रामीण तथा उपनगरीय तुलनात्मक रूप से अधिक कठोरता समझती है ; और

(घ) क्या सरकार इस समान नियंत्रण को दूर कर तथा इन औषध व्यापारियों को राहत देने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां । भैषजिकों एवं कैमिस्टों की एसोसिएशनों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 में जितने व्यापार कमीशन की व्यवस्था की गई है, उससे फुटकर विक्रेताओं विशेषकर ग्रामीण तथा उप-नगरीय क्षेत्रों के विक्रेताओं को पर्याप्त लाभ नहीं होती ।

(ख) पूर्वोक्त आदेश में औषधियों के अधिकतम फुटकर मूल्य निर्धारित हैं । ज्ञात हुआ है कि कुछ राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के फुटकर विक्रेताओं के व्यापारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें निकटस्थ थोक व्यापारियों से उनकी पूरी आवश्यकताएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं ; और कि उन्हें प्रदायों के लिये प्रधान मुख्यालयों में स्थित निर्माताओं एवं वितरकों के पास जाना पड़ता है । बताया जाता है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों को औषधियों की सप्लाई करने से पहले प्रत्येक आर्डर के किसी न्यूनतम मूल्य की अपनी शर्त के लिये बाध्य करते हैं ।

(ग) और (घ). सरकार इस बात को निर्माताओं एवं व्यापारियों के ध्यान में लाई है कि मूल्य नियंत्रण आदेश में कमीशन की जिन दरों की व्यवस्था है वे दरें न्यूनतम है और कि उन्हें इससे अधिक दरों पर कमीशन दिए जाने पर रोक नहीं है । औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों से उन मामलों को सरकार के ध्यान में लाने का अनुरोध किया गया है जिसमें निर्माताओं ने मूल्य नियंत्रण आदेश के लागू होने के बाद कमीशन के अतिरिक्त, औषधियों की सप्लाई के सम्बन्ध में व्यापारियों पर कोई ऐसी शर्तें लगाई हों जो उनके व्यापार सम्बन्धी पिछले व्यवहार से बहुत विपरीत हों ।

उड़ीसा में गृह निर्माण के लिये आवर्तक निधि का बनाया जाना

5963. **श्री अर्जुन सेठी : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के चार स्थानों के लिये आवास, भूमि अर्जन और विकास के *लिए 200* करोड़ रुपये की आर्वतक निधि बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव निदेशकों के नये बोर्ड के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). 200 करोड़ रुपये की प्रस्तावित आवर्तन निधि समस्त देश के लिये, न कि केवल उड़ीसा राज्य के लिये, अभिप्रेत है । राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 8 प्रस्तावों में से पहले बैच में केवल तीन पर अर्थात भुवनेश्वर, गारबिल तथा रौड़केला के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से आवास तथा नगर विकास निगम सीमित द्वारा विचार किया जा रहा है । इनके लिए राज्य सरकार के अधिकारियों से प्रारम्भिक वार्ता पहले ही की जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश में कस्तूरी मृग के फार्म का स्थापित किया जाना

5964. **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी दवाओं के लिये उत्तर प्रदेश में कस्तूरी मृग का फार्म स्थापित करने का विचार है;

(ख) इस परियोजना को किस जगह पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद ने कस्तूरी मृग की वंशवृद्धि के लिए एक फार्म खोलने के बारे में प्रारम्भिक कार्रवाई करने की एक योजना 1970-71 में स्वीकार की है। यह फार्म कहां पर खोला जाये, इसके लिए उत्तर प्रदेश में हिमालय के बर्फ वाले ऊंचे स्थानों का सर्वेक्षण के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श कर फार्म का स्थान निश्चित किया जायेगा।

Financial aid to Kailash Dispensary at Kholachauri Pauri-Garhwal, U. P.

5965. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether financial assistance to the tune of Rs. 1,000 was given by his Ministry to Kailash Dispensary, Kholachauri Pauri-Garhwal, U. P. for free treatment of patients during the year 1969-70 ;

(b) whether a Member of Parliament has forwarded an application from the Vaidya of the said dispensary on the 24th May, 1971, for obtaining financial assistance during 1971-72 for the dispensary which has been rendering free treatment to the patients ; and

(c) if so, the amount of financial assistance proposed to be provided by the Central Government to the said dispensary during the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) Yes. From the Health Ministers's Discretionary Grant.

(b) and (c). Yes. Another request was received for a grant of Rs. 17,000. As recurring grants-in-aid are not permissible under the Health Minister's Discretionary Grant Rules, no further grant could be sanctioned.

सस्ते मकान बनाने की योजना

5966. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी सस्ते मकान बनाने की योजना बनाई है;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि पश्चिमी देशों में पूर्व निर्मित मकान बहुत प्रचलित हैं तथा सस्ते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उद्योग का विकास करने हेतु सहायता देने के लिये तैयार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सरकार द्वारा सस्ते मकान बनाने की कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है।

तथापि, बड़े पैमाने पर कम लागत के मकानों के निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर कम लागत के मकानों के निर्माण निष्पादित करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए, अक्तूबर 1969 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को मई 1970 में प्रस्तुत की थी। भवन के पूर्वविरचित घटकों का उत्पादन तथा

प्रयोग कमेटी की प्रमुख सिफारिशों में था । कमेटी की सिफारिशों को सम्बंधित राज्य सरकारों को तथा निर्माण विभागों को भी भेज दिया गया है ।

(ख) सरकार को यह मालूम है कि योरुपीय देशों में, विशेषकर यू० एस० एस० आर० तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में, पूर्वविरचित मकान बनाये गये हैं तथा बनाये जा रहे हैं; किन्तु वे सस्ते नहीं हैं, यद्यपि वे पुराने ढंग के निर्माण की अपेक्षा जल्दी बनाये जा सकते हैं ।

(ग) जी, हां ।

पैट्रोलियम उद्योग में निवेशकर्ता के रूप में बर्मा आयल कम्पनी

5967. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पैट्रोलियम उद्योग में अकेली बर्मा आयल कम्पनी ही सबसे बड़ी निवेशकर्ता है; और

(ख) यदि कोई और निवेशकर्ता हैं तो उनके नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां । यदि बर्मा शैल डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी में निवेश की भी गणना की जाती है ।

(ख) अन्य निवेशकर्ताओं के नाम निम्नप्रकार हैं :—

1. बर्मा-शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लि०
2. एस्सो स्टैण्डर्ड ईस्टर्न इन्कारपोरेटिड
3. कालटैक्स (इण्डिया) लिमिटेड
4. शैल इण्टरनेशनल पैट्रोलियम कम्पनी लि०
5. कालटैक्स पैट्रोलियम कारपोरेशन
6. गल्फ आयल (ग्रेट ब्रिटेन) लि०
7. जैट्टी आयल कम्पनी
8. फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी
9. नेशनल इरानियन आयल कम्पनी
10. अमोको इण्डियन
11. मोबिल पैट्रोलियम कम्पनी इन्कारपोरेटिड
12. लुब्रीजोल कारपोरेशन आफ क्लीव लैण्ड, अमरीका ।

बर्मा आयल कम्पनी द्वारा लगाई गई पूंजी

5968. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा आयल कम्पनी की पूंजी अनेक स्वतंत्र कम्पनियों में लगी हुई है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ख) क्या इन सभी कम्पनियों का संबंध तेल की खोज, परिवहन, शोधन वितरण और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन जैसे पैट्रोलियम उद्योग के सभी पहलुओं से हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) उन कम्पनियों के नाम, जिनमें बर्मा आयल कम्पनी की भारत में पूंजी लगी हुई है; निम्न प्रकार हैं :—

(1) आसाम आयल कम्पनी

(2) कैस्ट्रोल (भारत स्थित शाखा)

(3) बर्मा-शैल मार्केटिंग

(4) बर्मा-शैल रिफाइनरीज

(5) टिनप्लेट कम्पनी आफ इण्डिया

(6) आयल-इण्डिया लिमिटेड

(ख) जी हां, टिनप्लेट कम्पनी आफ इंडिया को छोड़कर।

अमरीका में भारतीय विद्यार्थियों का डूब जाना

5969. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के साउथ कारोलिमा में कोलम्बिया स्थित लेक मुरे में चार भारतीय विद्यार्थी डूब गए थे;

(ख) उन विद्यार्थियों के नाम तथा भारत में उनके पते क्या हैं;

(ग) यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई;

(घ) क्या अमरीका स्थित हमारे दूतावास में किसी अधिकारी को घटनास्थल पर भेजा था तथा दो अन्य जीवित भारतीय विद्यार्थियों से बातचीत की थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) (1) श्री नारायण त्यागेसन, आयु 27 वर्ष, उनके निकट के संबंधी श्री पार्थसार्थी, नं० 10 आरकाट मुडलाई स्ट्रीट, त्यागराज नगर, मद्रास—7

(2) श्री जार्ज जयचन्द्रन—आयु 23 वर्ष। उनके निकट के संबंधी जार्ज ज्ञानशिरोमणि, नेलम्बियम कालेज रोड, कूनूर—2 (नीलगिरी जिला) तमिलनाडु।

(3) कुमारी रेवती विश्वनाथन आयु 14 वर्ष, श्री टी० आर० विश्वनाथन की सुपुत्री, कोलम्बिया के निवासी।

(4) कुमारी सुधा सिंह, आयु 14 वर्ष, डा० विद्यापति सिंह की सुपुत्री, कोलम्बिया के निवासी।

(ग) श्री टी० आर० विश्वनाथन के अनुसार जो अभी दक्षिण कोलम्बिया विश्वविद्यालय, कैरोलिना में रहते हैं और जो स्वर्गीय श्री नारायण त्यागेसन के श्वसुर हैं और स्वर्गीय कुमारी रेवती विश्वनाथन के पिता हैं, एक दल, जिसमें श्री नारायण त्यागेसन, उनकी पत्नी विजय, श्री विश्वनाथन की सुपुत्रियां श्रीमती वासन्ती और कुमारी रेवती और साथ में उनकी मित्र कुमारी सुधा सिंह और उनके होने वाले दामाद श्री मोहन और साथ में उनके मित्र जार्ज जयचन्द्रन शामिल थे, 27 जून 1971, दिन रविवार को, लेक मुररे पिकनिक पर गया। बताया जाता है कि जब रेवती और सुधा झील के पानी में खेल रही थीं उस समय लहर उनको बहा कर ले गई। अन्य चार, अर्थात नारायण त्यागेसन जार्ज जयचन्द्रन, वासन्ती और मोहन, उन दोनों लड़कियों को बचाने के प्रयास में डूब गए। स्वर्गीय नारायण त्यागेसन की पत्नी विजय जो किनारे पर थीं, चिल्लाईं और एक नौका उन्हें बचाने आई। मोहन और वासंती को ही बचाया जा सका। एक घण्टे के बाद चार लोगों की लाशें मिलीं। मोहन और वासन्ती को जल्द अस्पताल ले जाया गया और खबर है कि अब वे ठीक हैं।

(घ) और (ङ). वाशिंगटन स्थिति हमारे राजदूतावास ने जांच के लिये एक अधिकारी को कोलम्बिया भेजने के संबंध में दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय से जहां यह दुःखद घटना घटी, विशेष रूप से पूछताछ की। उन्हें सूचना दी गई कि चूंकि स्थानीय भारतीय समुदाय के लोग और विश्वविद्यालय के अधिकारी सभी संभव सहायता देंगे अतः इसकी आवश्यकता नहीं है। दो मृतकों के मां-बाप कोलम्बिया में ही थे, अतः दो जीवित भारतीय विद्यार्थियों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।

Scheme for supply of Tapti River Water to Burhanpur City

5970. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated for supplying water of Tapti river to Burhanpur city in Madhya Pradesh ;

(b) whether the Central Government have accorded sanction to the said scheme from the technical point of view ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) to (c). In November, 1969 the Government of Madhya Pradesh had sent a scheme costing Rs. 101.01 lakhs to the Government of India for supply of water from Tapti river to Burhanpur city. The scheme was examined and in Januury, 1970, the State Government was asked to furnish some further details which have not been received so far. The scheme could not be approved technically because full particulars were not available.

Spurious Medicines and Drugs

5971. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether spurious medicines and drugs have registered an alarming increase in Madhya Pradesh ;

(b) whether any arrests have been made in this connection ; and

(c) if so, the porticulars thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

बुलन्दशहर में सैनिक स्कूल का खोला जाना

5973. **श्री हरी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर में सैनिक स्कूल खोला जायेगा जैसा कि सरकार द्वारा निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खोला जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). जी नहीं। उत्तर प्रदेश में घोड़ाखाल (नैनीताल) में पहले से ही एक सैनिक स्कूल स्थापित है। उत्तर प्रदेश सरकार से एक दूसरा स्कूल बुलन्दशहर में खोलने का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

गोआ में मेडिकल कालिज

5974. **श्री इराजयु दसेकैरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में नये मेडिकल कालिज के स्थान के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कालिज का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). बम्बोलिम परियोजना जिस पर 1968 से काम हो रहा है, गोवा की स्वाधीनता से पूर्व, पणजी में केवल एक चिकित्सा स्कूल के बारे में थी। 1963 में इस स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसे चिकित्सा कालेज कर दिया गया। यह कालेज बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। क्योंकि भूतपूर्व स्कूल वाले भवन में एक परिपूर्ण चिकित्सा कालेज और सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त अस्पताल को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था, इसलिए इसे बम्बोलिम स्थित नये स्थान पर ले जाना आवश्यक समझा गया।

इस परियोजना का कुल परिव्यय 2,04,1470 रुपये है और चौथे पंचवर्षीय योजना में इसे कई चरणों में पूरा करने का विचार है। अब तक जो प्रगति हुई है उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

I. 1969-70 में निम्नलिखित निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं :—

(1) पशुशालाओं तथा ग्रिविलनिकल विभाग (अस्थायी) के बारिकें बनाने का काम।

(2) एक छात्रावास।

(3) दो टाइप IV क्वार्टर।

II. 1970-71 में निम्नलिखित निर्माण कार्य शुरू किये गये--

(1) 60 टाइप I क्वार्टर

(2) 80 टाइप II क्वार्टर

(3) 4 टाइप IV क्वार्टर

(4) 16 टाइप V क्वार्टर

(5) 1 टाइप VI क्वार्टर

(6) एक छात्रावास

छात्रावास को छोड़कर जिसका निर्माण कार्य मई, 1971 में पूरा हो गया, अन्य कार्यों के दिसम्बर, 1971 में पूरा हो जाने की आशा है।

III. 1971-72 में निम्नलिखित कार्यों के लिए 37 लाख रुपये का आवंटन अनुमोदित कर दिया गया है :—

(1) उपस्कर	14.00 लाख रुपये
(2) बम्बोलिम भवन (कालेज भवन) का निर्माण एक सीट वाला छात्रावास भवन तथा टाइप III के क्वार्टर	20.50 लाख रुपये
(3) ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र	1.00 लाख रुपये
(4) नगर स्वास्थ्य केन्द्र	0.50 लाख रुपये
(5) अन्य कार्य	1.00 लाख रुपये
योग :—	37.00 लाख रुपये

त्वचा बैंक

5975. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हाल ही में पश्चिम जर्मनी के लुडविगशफर में एक त्वचा बैंक खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बुरी तरह से जले हुए रोगियों की सहायता हेतु देश के मध्य भाग में स्थित किसी नगर में ऐसा बैंक खोलने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं।

(ख) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के प्लास्टिक यूनिट में कई त्वचा बैंक शुरू किये गये हैं।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधीन अस्पतालों में स्टोर संगठन

5976. **श्री मुल्की राज सैनी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधीन अस्पतालों में अपने अपने स्टोर संगठन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें कर्मचारियों को किस आधार पर रखा गया है और क्या इन स्टोर संगठनों में मेडिकल स्टोर डिपो अथवा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के आधार पर कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) स्टोर संगठनों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित मकान, फ्लैट्स और बंगले

5977. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुल कितने मकान, फ्लैट्स और बंगले बनाये गये और उनसे कितने आवंटित किये गये ; और

(ख) क्या किसी योजना के अन्तर्गत संसद सदस्यों को भी फ्लैट्स आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क)

	निर्मित	आवंटित
1969-70	3,513	1,325
1970-71	778	2,102

(ख) प्रत्येक योजना में दो प्रतिशत फ्लैट स्थानीय संसद सदस्यों, दिल्ली नगर निगम के सदस्यों और नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली कैंट बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों के आवंटन करने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षित किए जाते हैं ।

Use of Hindi by Employees of Canteen Stores Department Located in Hindi speaking Areas

5978. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the officers of the Canteen Stores Department located in Hindi speaking area are permitted to do their work in Hindi or there are some Departmental restrictions in this regard ;

(b) whether the employees of the Canteen Stores Department in some cities of Uttar Pradesh have been prohibited to do their work in Hindi and some of the employees have been suspended from services on account of their doing their work in Hindi ; and

(c) the number of cases which came to the notice of his Ministry where the Officers have prohibited the staff to do their work in Hindi and the action taken against the said Offiers ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Work in CSD (I) is carried out in English. No special instructions have been issued regarding use of Hindi by employees located in Hindi speaking area.

(b) One employee of the CSD (I) was directed by the Manager of a Canteen to refrain from using Hindi in the Attendance Register. Subsequently, he was suspended from service on charges which including disregard of the above instructions.

(c) The case referred to in (b) above is the only one which has come to the notice of Government. As soon as the case came to the notice of the Ministry, orders were issued staying the departmental proceedings against the concerned employee and the order of suspension from service was revoked. Further appropriate action will be taken on receipt of the papers of the departmental proceedings and a report thereon.

Formation of Committees for Implementation of Official Language in Directorates of Army Headquarters

5979. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of the various Directorates of Army Headquarters under his Ministry where Official Language Implementation Committees have been constituted ;

(b) the time by which the said committees are likely to be constituted in the Directorates where these have not been constituted so far ; and

(c) whether meetings of these committees are held quarterly in a regular manner and if not, the arrangements being made to hold these meetings regularly ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). An Official Languages Implemetation Committee has been set up in Army Headquarters, and representatives of various Branches under it are its members. The first meeting of this Committee will be held early in August 1971. Thereafter, the meetings of this Committee will be held quarterly.

Since all the Branches of Army Headquarters are represented on the above Committee, it is not considered necessary to set up separate Committees in the Directorates under the various Branches.

एम० ई० एस० द्वारा जोनल वर्कशापों का खोला जाना

5980. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ई० एस० विभाग ने समस्त देश में क्षेत्रीय वर्कशाप खोले हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर प्रत्येक स्थान पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या उक्त विभाग मरम्मत और स्थानीय खरीद पर धनराशि खर्च कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1969 और 1970 में उपर्युक्त भाग (क) और (ग) में उल्लिखित मदों पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मरम्मत सुविधाओं का अच्छी तरह से उपयोग करने और निजी व्यापार पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से एम० ई० एस० की 8 वर्कशापों को, जो मूलत : पानी और बिजली संस्थानों और रेफ्रीजेरेशन प्लांटों की मरम्मत के लिए बनायी गई थीं, क्षेत्रीय वर्कशाप के रूप में पुर्नगठित कर दिया गया है ।

(ख) एक विवरण अनुबंध 'क' पर संलग्न है ।

(ग) क्षेत्रीय वर्कशापों की क्षमता की मरम्मत का सभी काम उनके द्वारा किया जाता है । उक्त विभाग विशेष मशीनों/टूलों और उपस्करों की मरम्मत (सामान और फालतू पुर्जों की खरीद सहित) पर केवल निजी व्यापार द्वारा ही धनराशि खर्च करता है ।

(घ) क्षेत्रीय वर्कशापें केवल अप्रैल/मई 1970 में बनायी गई थीं । इन खर्चों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी :–

(i) क्षेत्रीय वर्कशापों के पुर्नगठन और

(ii) अप्रैल/मई 1970 से 31 मार्च 1971 के दौरान क्षेत्रीय वर्कशापों की मरम्मत और निजी व्यापार द्वारा की जाने वाली मरम्मत ।

विवरण

(I) उन स्थानों के नाम निम्नलिखित हैं, जहां वर्तमान वर्कशापों को क्षेत्रीय वर्कशापों के रूप में पुर्नगठित किया गया है :—

बंगलौर, बम्बई, गोहाटी, खपरैल, अम्बाला, उदयपुर, बरेली और जबलपुर ।

(II) प्रत्येक क्षेत्रीय वर्कशाप में कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) सुपरिन्टेंडेंट ई/एम ग्रैड II	— 1
(2) चार्ज मैकेनिक	— 1
(3) चार्ज इलैक्ट्रीशियन	— 1
(4) चार्ज मैकेनिक रेफ्रीजेरेशन	— 1
(5) टर्नर	— 1
(6) बैंच फिटर	— 1
(7) इंजन फिटर/आर्टीफिशर	— 1
(8) गाड़ी मैकेनिक	— 1
(9) बेल्डर	— 1
(10) ब्लेक स्मिथ	— 1
(11) रेफ्रीजेरेटर मैकेनिक	— 1
(12) इलैक्ट्रीशियन	— 1
(13) पेन्टर	— 1

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षत्रों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिये धन का नियतन

5981. **श्री गदाधर साहा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण जल सप्लाई योजना के अधीन पश्चिम बंगाल को पीने का पानी सप्लाई करने की व्यवस्था करने हेतु कितनी राशि दी गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 में ग्रामीण जल पूर्ति योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिये धन की व्यवस्था की जाये ;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है और कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इस राशि में से वीरभूम जिले के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) चौथे पंच वर्षीय आयोजन की अवधि में योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के निमित्त 3.53 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया है।

(ख) से (घ). चौथे पंच वर्षीय आयोजन में राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता किसी खास कार्यक्रम अथवा योजना का उल्लेख किये बिना सम्पूर्ण राज्य योजना के खर्च के लिए समेकित ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है। किसी खास योजना अथवा विकास शीर्ष का उल्लेख किये बिना केन्द्रीय बजट में भी इस काम के लिए समेकित ऋण और समेकित अनुदान का भी एक मुश्त प्रावधान किया जाता है। योजना आयोग ने 1970-71 और 1971-72 में ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिए क्रमशः 43 लाख और 45 लाख रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है। योजना आयोग ने वीरभूम जिले के लिए अलग से कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किया है क्योंकि जल पूर्ति योजनाएं तैयार करना और उनका संचालन करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना तथा ऐसी योजनाओं को परिव्यय निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

भारत सरकार के अन्य प्रेसों में कागज की कमी को पूरा करने के लिये गवर्नमेंट प्रेस, अलीगढ़ में पड़े कागज का उपयोग

5982. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेसों में कागज की कमी है परन्तु गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस, अलीगढ़ में पर्याप्त मात्रा में कागज पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) भारत सरकार के अधिकांश मुद्रणालयों में कागज की कमी अनुभव की जा रही है। तथापि, हाल ही में

की गई आपूर्ति के पश्चात, अलीगढ़ मुद्रणालय में कुछ स्टाक है जो उस मुद्रणालय की आवश्यकताएं लगभग चार मास के लिए केवल पूरी कर सकता है।

(ख) भारत सरकार के समस्त मुद्रणालयों को पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेसों में कर्मचारियों को स्थायी बनाना

5983. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सभी कारखानों को बहुत पहले परिचालित गृह मन्त्रालय के आदेशों के अनुसार गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेसों की प्रत्येक शाखा में 80 प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जाना चाहिए परन्तु गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस, अलीगढ़ में यह असंगति अब भी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस असंगति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). 80 प्रतिशत अस्थायी पदों को, जो निरन्तर 3 वर्षों से अस्तित्व में हैं तथा जिनका स्थायी आधार पर होना अपेक्षित है, स्थायी रूप में बदलने के सरकारी आदेशों का अलीगढ़ के मुद्रणालय सहित भारत सरकार के समस्त मुद्रणालयों में अनुपालन किया जा रहा है। अन्तिम पुनरीक्षण 1-4-1970 को पूरा हुआ था तथा एक और पुनरीक्षण शीघ्र ही किया जायेगा। अलीगढ़ मुद्रणालय के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के 868 पदों में से केवल 59 स्थायी पद अभी तक मूलरूप से नहीं भरे गये।

पश्चिम बंगाल की लोकतन्त्रात्मक संयुक्त सरकार के मन्त्रियों और अधिकारियों के लिए वातानुकूलित क्वार्टर

5984. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की लोकतन्त्रात्मक संयुक्त सरकार के उन मन्त्रियों और राज्य मन्त्रियों के नाम क्या हैं जो सरकारी क्वार्टरों में रहते थे ;

(ख) उनमें से वातानुकूलित क्वार्टरों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) पश्चिम बंगाल के इन मन्त्रियों और राज्य मन्त्रियों के कौन-कौन से कार्यालय वातानुकूलित थे ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसूर में नकली दवाइयों की बिक्री

5985. **श्री के० लकप्पा :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पता चला है कि कुछ फर्में/कम्पनियां मैसूर राज्य में नकली दवाइयां बेच रही हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बंगला देश के शरणार्थी शिविरों में काम करने वाले डाक्टर

5986. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने के लिये शरणार्थी शिविरों में कार्य करने वाले डाक्टरों की संख्या कितनी है ;

(ख) राहत कार्य करने वाली अस्पताली गाड़ियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या इन राहत कार्यों में कुछ विदेशी लोग भी काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत को सैनिक सहायता दिये जाने के लिये 50 लाख डालर की राशि नियत करना

5987. **श्री मल्लिकार्जुन :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने वित्तीय वर्ष 1972 में भारत को सेना के लिए 50 लाख डालर की सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) क्या सरकार को इस अवधि में पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी सहायता के बारे में सरकारी रूप में कोई जानकारी मिली है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1971-72 के वित्तीय वर्ष के दौरान अमरीका प्रशासन के बजट प्रस्तावों में भारत को सैनिक भण्डारों और उपस्करों के लिए 50 लाख डालर के ऋण की सहायता का प्रस्ताव है । दोनों सरकारों के मध्य इसके बारे में किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है ।

(ख) जी, नहीं ।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली में टाइप II क्वार्टरों की बाल्कनी पर छत का डाला जाना

5988. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लक्ष्मीबाई नगर और सरोजनी नगर में सामान्य किराया बढ़ाकर टाइप III क्वार्टरों की बालकनी/बरांडे पर छत डाल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरोजनी नगर में टाइप II क्वार्टरों की बालकनी पर छत न डालने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरोजनी नगर में टाइप II क्वार्टरों की बालकनी पर छत डालने की मंजूरी को रद्द करने के क्या कारण हैं जबकि उसी बस्ती में टाइप III क्वार्टरों में छत डाली जा रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) टाइप II के क्वार्टरों के सामने की बालकोनियों को बन्द करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई कुछ स्वीकृतियों को कार्य रूप नहीं दिया गया क्योंकि वास्तुकला की दृष्टि से इसे उचित नहीं समझा गया ।

आसाम राज्य सरकार को आवास और नगरीय विकास कार्यक्रम के लिये स्वीकृत ऋण

5989. **श्री राबिन ककोटी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 से 1971 तक आसाम राज्य सरकार को निर्माण, आवास और नगरीय विकास कार्यक्रम के लिये वर्षवार कितना अनुदान और ऋण दिया गया ; और

(ख) क्या आसाम राज्य सरकार ने इस राशि को उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार खर्च किया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). 1968-69 के दौरान आवास और नगर विकास योजनाओं के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा असम सरकार को केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार से नियत की गई :—

	ऋण	अनुदान	जोड़
	(लाख रुपयों में)		
आवास	5.85	3.15	9.00
नगर विकास	—	3.00	3.00
कुल जोड़	5.85	6.15	12.00

राज्य सरकार ने उस वर्ष के दौरान 12.00 लाख रुपये की सम्पूर्ण राशि ले ली थी ।

निर्माण और आवास मन्त्रालय की सभी सामाजिक ,आवास और नगर विकास योजनाएं (बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना को छोड़कर) राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं। 1969-70 के वर्ष से राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं (आवास और नगर विकास सहित) के लिए केन्द्रीय सहायता 'खंड ऋणों' और 'खंड अनुदानों' के रूप में दी जा रही है। राशि का निर्धारण राज्य की वार्षिक योजना के आकार और साधनों आदि की उपलब्धता को ध्यान में रख कर हर वर्ष किया जाता है। केन्द्रीय खंड सहायता की कोई राशि किसी विशिष्ट योजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है, तथा राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार इसे विभिन्न योजनाओं पर नियत करने में स्वतन्त्र हैं।

निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निर्माण कार्यक्रम के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती।

2. बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना को 1970-71 के वर्ष से केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तान्तरित किया गया था। इस योजना के लिए वर्ष के दौरान नियत हुई और सरकार द्वारा ली गई तथा उपयोग में लाई गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार से है :—

ऋण सहायता

नियत तथा ली गई	उपयोग में लाई गई
30.30 लाख रुपये	22.90 लाख रुपये

भारत स्थित उत्तर कोरिया के वाणिज्य दूत को दी गई चेतावनी

5990. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने नई दिल्ली इंडियन उत्तर कोरिया के महावाणिज्य दूत को पिछले दिनों विभिन्न कारणों से कितनी बार और किस प्रकार की चेतावनियां दीं ; और

(ख) इन चेतावनियों के प्रति उत्तर कोरिया की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने समय समय पर कोरियाई लोक जन गणराज्य के प्रधान कोंसल का ध्यान उनके द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं की ओर आकृष्ट किया है। प्रधान कोंसल ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हर ऐसे मामले में मान्य राजनयिक प्रथा का पालन करेंगे।

लन्दन के एक रेस्टोरेंट से पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के पुत्र को बाहर फेंका जाना

5991. **श्री सुरेंद्र महंती** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पुत्र को रंगभेद विशेष के आधार पर 11 जुलाई 1971 की रात को लन्दन के पिकेडिला रेस्टोरेन्ट से बाहर फेंक दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटेन के विदेश और गृह कार्यालयों के साथ यह मामला उठाया गया है।

इजराइल को मान्यता

5992. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल के एक प्रतिनिधि ने ऐसा कहा है कि यदि भारत इजराइल को मान्यता देने में पहल करेगा तो वह इसका स्वागत करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए क्या भारत इजराइल को मान्यता देने के प्रश्न पर पुनः विचार करेगा ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत ने इजराइल को सितम्बर, 1950 में विधितः मान्यता दे दी थी।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के डाक्टर

5993. **श्री दरबारा सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनुसूचित जातियों के डाक्टरों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के लिये आपेक्षतया कम सुविधाएं उपलब्ध होने और उनके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण इन जातियों के बहुत कम छात्र दिल्ली में प्रि-मेडिकल परीक्षा में उच्च द्वितीय श्रेणी, अथवा प्रथम श्रेणी प्राप्त कर पाते हैं ;

(ग) क्या कम प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले जिन छात्रों को एम० बी० बी० एस० में प्रवेश दिया जाता है और उनकी प्रतिशतता नगण्य है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). सम्बन्धित अधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्रोम्बे तथा सिन्दरी स्थित कारखाने का विस्तार

5994. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे तथा सिन्दरी स्थित कारखानों के विस्तार के कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या विस्तार का अर्थ यह है कि देश में विभिन्न नयी उर्वरक परियोजनाओं को स्थगित कर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) ट्राम्बे विस्तार योजना सम्मिश्र उर्वरकों के रुपये में प्रतिवर्ष 1,32,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और प्रतिवर्ष 1,32,000 मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ के अतिरिक्त उत्पादन के लिये बनाई गई है। इस प्रायोजना पर 43.6 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

प्रतिवर्ष 1, 56,000 मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ की सीमा तक फास्फेटिक उर्वरकों का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिन्द्री उर्वरक कारखाने के युक्तिकरण की एक योजना लागू की जा रही है। इस पर 22.95 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

सिन्द्री कारखाने के आधुनिकीकरण योजना, जिसमें लगभग 95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रतिवर्ष 1,70,000 मीटरी टन का अतिरिक्त उत्पादन किया जाना निहित हैं, पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

5 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3874 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Statement Correcting Answer to U. S. Q. Nos. 3874 dated 5.7-1971

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 5 जुलाई, 1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3874 के भाग (क) में यह कहा गया था कि एच० एस०–748 वायुयान के उत्पादन लक्ष्य को 6 वायुयान से बढ़ा कर 9 वायुयान प्रति माह कर दिया गया है। सही स्थिति यह है कि उत्पादन लक्ष्य 6 वायुयान से बढ़ाकर 9 वायुयान प्रति वर्ष न कि प्रति माह किया गया है। भूल के लिये खेद प्रकट किया जाता है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (तीसरा संशोधन) विनियम

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं नौ-सेना अधिनियम 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौ-सेना समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (तीसरा संशोधन) विनियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 248 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 730/71]

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के लेखे आदि

निर्माण और आवास मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 731/71]**

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे जिसमें हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे भी सम्मिलित हैं।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 732/71**]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, के बारे में पत्र

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखें और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 733/71**]

पश्चिम बंगाल बजट, 1971-72, अनुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल), 1971-72, पश्चिम बंगाल के बारे में सांविधिक संकल्प और पश्चिम बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

WEST BENGAL BUDGET, 1971-72, DEMANDS FOR GRANTS (WEST BENGAL), 1971-72 STATUTORY RESOLUTION IN RELATION TO WEST BENGAL AND WEST BENGAL STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० एन० महाता अपना भाषण जारी रखेंगे।

***श्री डी० एन० महाता** (पुरुलिया) : यह प्रसन्नता की बात है कि बजट में केवल 19.34 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय सरकार के पांच करोड़ रुपये सहित कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार द्वारा बस्ती क्षेत्रों के सुधार के लिए 14.54 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तार.

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

यह बड़े खेद की बात है कि यद्यपि पश्चिम बंगाल राज्य एक विकसित राज्य है तथापि ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में यह बहुत पिछड़ा हुआ है। ग्रामों में पम्पिंग सेट लगाने के लिए बिजली बहुत आवश्यक है। इनके अभाव में कृषि के कार्य को धक्का लग रहा है। पश्चिम बंगाल में कुल 38,000 गांव हैं। परन्तु तीसरी योजना के अन्तर्गत केवल 2500 गांवों में ही बिजली दी गई थी। अतः ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाई जानी चाहिए। श्री राव ने हाल में कहा था कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिजली लगाने के लिए प्रत्येक राज्य को 20 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के कार्य की प्रगति की जांच के लिए प्रत्येक राज्य में एक सेल भी बनाया जायेगा।

मैं जानना चाहता हूं कि माल्दा, कूच बिहार और पश्चिम दिनाजपुर जिलों को उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जायेगा अथवा नहीं। यह बड़े खद की बात है कि पुरूलिया जिले की प्रत्येक मामले में उपेक्षा की जाती है। कुछ जिलों में बिजली लगाने के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। मेरा निवेदन है कि पुरूलिया जिले को भी उनमें शामिल किया जाये।

पश्चिम बंगाल में पुरूलिया सहित आठ राज्यों को औद्योगिक तौर पर पिछड़ा हुआ राज्य घोषित किया गया है। यदि इस जिले को बिजली नहीं दी जाती तो वहां पर उद्योगों की स्थापना का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। पुरूलिया के आसपास तो अनेक उद्योग स्थापित हो गये हैं परन्तु इस जिले के अन्दर कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। पुरूलिया में कोई औद्योगिक बस्ती भी नहीं है। जब श्री प्रफुल सेन मुख्य मंत्री थे तो हमने जयपुर से बोकारों तक 14 मील लम्बी सड़क बनाने का प्रस्ताव उनके सम्मुख रखा था। यदि यह सड़क बन जाती और इस जिले में बिजली दी जाती तो अनेक सहायक उद्योग स्थापित हो सकते थे और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते थे। पुरूलिया के युवकों को बोकारों में नौकरी नहीं दी जा रही है हालांकि वे केवल बोकारों से केवल 28 मील दूर रहते हैं। संथालीताप बिजली घर में पुरूलिया के युवकों को रोजगार के मामले में वरीयता नहीं दी जाती। अध्यापकों के पद के लिए 10,000 लड़कों ने अपने नाम पंजीकृत कराये थे। परन्तु इन पदों पर भी उनको नियुक्त नहीं किया गया है।

लगभग 25000 लोग बीड़ी उद्योग में लगे हुए हैं। इस उद्योग को बीड़ी के पत्ते नहीं मिल रहे हैं। बीड़ी के पत्ते उड़ीसा से आते हैं और अब उड़ीसा सरकार 35,000 क्विंटल श्री पत्ते लंका को निर्यात कर रही है। अतः इससे पुरूलिया के बीड़ी उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ेगा।

पुरूलिया में अनेक खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। यदि इनको उचित ढंग से निकाला जाये तो इस जिले में अनेक मध्यम तथा लघु उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए दस प्रतिशत सहायता तथा बैंकों ने 80 प्रतिशत ऋण देने की व्यवस्था की है। यह ऋण केवल उन व्यक्तियों को मिलेगा जो 50 लाख की परियोजना आरम्भ करेगा परन्तु अभी तक कोई भी गैर-सरकारी पार्टी वहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए आगे नहीं आई है।

एक योजना के अन्तर्गत हम जिले में 3,000 रुपये तथा 5,000 रुपये के दो किस्म के कुएं खोदे जाने थे। इसके लिए किसानों को सरकार से एक तिहाई अनुदान तथा शेष दो तिहाई बैंक से

ऋण के रूप में मिलना था। परन्तु ऋण की शर्तें बहुत कठिन हैं। अतः किसानों द्वारा इनको पूरा किया जाना असम्भव है। इस कारण अभी तक कोई भी कुआं वहां पर नहीं खोदा गया है।

पश्चिम बंगाल के 98 ब्लाकों के 99 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक भी डाक्टर नहीं है। पिछले पांच वर्षों से पुरुलिया के किसी भी लड़के को मेडिकल कालेज में दाखिला नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि पुरुलिया का कोई लड़का कभी डाक्टर नहीं बनेगा। मदनापुर में मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने का प्रभाव था। यदि यह कालेज स्थापित कर दिया जाता है तो पुरुलिया तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लड़कों को उसमें दाखिला मिलना सम्भव होगा।

पुरुलिया में एक अस्पताल है जिसमें केवल 100 बिस्तरे हैं। 167 रोगियों को बाहर ही सोना पड़ता है। इस अस्पताल में रक्त बैंक भी नहीं है।

पुरुलिया पहुंचने के लिए बी० डी० ओ० का बैल ठेले द्वारा 14 मील की यात्रा करनी पड़ती है। इस क्षेत्र में एक भी पक्की सड़क नहीं है सरकार को बड़ा बाजार भगवस सड़क के निर्माण के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

नक्सलवादी आन्दोलन बिहार और उड़ीसा में भी फैल गया है। हजारी बाग जेल में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से 8 नक्सली मारे गये हैं। यदि पुरुलिया के लोगों की उपेक्षा की जाती रही तो यहां के लोग भी आन्दोलन आदि करना आरम्भ कर देंगे।

पश्चिम बंगाल में शान्ति स्थापित करने के लिए सरकार को हर सम्भव कार्यवाही करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जी० विश्वनाथन (वाण्डीवारा) : श्री सिद्धार्थ शंकर राय की पश्चिमी बंगाल के कार्य के भारसाधक के रूप में नियुक्ति अभूतपूर्व है। संविधान की घोषणा के पश्चात् वहां पर 26 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। परन्तु यह पहला अवसर है जबकि किसी केन्द्रीय सरकार के मंत्री को राज्य के कार्य का भारसाधक बनाया गया है। किसी भी विधि वेत्ता ने इस नियुक्ति का समर्थन नहीं किया है हालांकि अनेक लोगों ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त की है। संविधान में भी ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे इसको उचित सिद्ध किया जा सके। इसका विरोधी दलों ने तो विरोध किया ही है। कांग्रेस के सदस्यों ने भी इसको बहुत अच्छा नहीं समझा है। इस सभा में इस नियुक्ति की घोषणा प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी। यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाये तो किसी भी मंत्री को किसी राज्य का भारसाधक बनाया जा सकता है। जहां तक राज्यपाल का प्रश्न है वह यदि पूर्णतया नहीं तो किसी हद तक तो निष्पक्ष होता है। यह नियुक्ति एक बुरा पूर्वोदाहरण स्थापित करेगी। इस नियुक्ति को अपनी प्रकार की प्रथम तथा अन्तिम नियुक्ति समझा जाना चाहिए।

लगभग तीन महीने तक अजय मुकर्जी की सरकार वहां पर रही। यह लगभग कांग्रेस मंत्रालय ही था। प्रतिदिन वहां पर बंदूकें छीनने तथा कत्ल की वारदातें होती थी।

पश्चिमी बंगाल के लोग राजनैतिक तौर पर शिक्षित हैं और वे सभी स्थानों पर राजनीति पर चर्चा करते रहते थे परन्तु अब स्थिति ऐसी नहीं है। लोग राजनीति पर चर्चा करने से डरते हैं। वहां पर स्थिति इतनी खराब है कि पुलिस की सहायता के लिए सेना भेजनी पड़ी है। लोग साक्ष्य

देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। हत्यारों को दण्ड नहीं मिल रहा है। श्री हेमन्त कुमार बसु के हत्यारे का अभी तक पता नहीं लगाया गया है। इस प्रकार की राजनैतिक हत्याओं को रोका जाना चाहिए। लोगों में विश्वास उत्पन्न किया जाना चाहिए। पुलिस के मनोबल को भी तुरन्त बढ़ाने की आवश्यकता है।

पश्चिम बंगाल में मुख्य समस्या शिक्षित बेरोजगारों की है। नक्सलवादी आंदोलन का मुख्य कारण यही है। अतः इस सम्बन्ध में सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में अनेक उद्योग बंद हो गये हैं। पूंजी पलायन को रोका जाना चाहिए। औद्योगिक शांति स्थापित की जानी चाहिए जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। मिल मालिकों तथा कार्मिक संघों को आपस में किसी प्रकार समझौता करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार कानून लागू करने का कार्य संतोषजनक नहीं है। इस कानून को सही ढंग से लागू करके खाद्य उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

शरणार्थियों के कारण इस राज्य की समस्याओं ने और भी भीषण रूप धारण कर लिया है। कलकत्ता नगर में शरणार्थियों की भरमार है। अतः कलकत्ता के विकास पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए और इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

***श्री सुबोध हंसदा** (मिदनापुर) : आपकी अनुमति से मैं पश्चिम बंगाल के बजट और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा पर बंगाली में भाषण दूंगा। महोदय ! पश्चिम बंगाल के प्रत्येक व्यक्ति के मन में आशंका है कि वहां पर शांति स्थापित हो सकेगी अथवा नहीं क्योंकि इस समय वहां औद्योगिक तथा कृषि आदि सभी क्षेत्रों के समक्ष गम्भीर समस्याएं हैं। बंगला देश से आये 70 लाख शरणार्थियों के कारण एक नई समस्या और उत्पन्न हो गई है। यदि इन समस्याओं का समाधान शीघ्र ही नहीं किया गया तो वहां शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकेगी और वहां की विकास सम्बंधी गतिविधियां भी रुक जायेंगी। अन्य राज्यों ने शरणार्थियों के इस भार को उठाने से इंकार कर दिया है जिससे पश्चिम बंगाल की जनता पर ही उनका सारा भार पड़ गया है। शरणार्थी समस्या को शीघ्र से शीघ्र सुलझाया जाए अन्यथा आगे चलकर इससे समस्त देश की विकास सम्बन्धी गतिविधियां रुक जायेंगी। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये नियत की गई 60 करोड़ रुपए की राशि अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार को अन्य राज्यों पर भी दबाव डालना चाहिए कि वे भी कुछ भार वहन करें।

पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति की उपेक्षा करते हुए जिसमें कि वहां किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है तथा लोग पेट भर भोजन के लिये संघर्षरत हैं साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के सदस्यों ने वहां शीघ्र चुनाव कराये जाने की मांग की है। मेरा विचार है कि जब तक वहां शांति और व्यवस्था कायम नहीं हो जाती तथा वहां से 70 लाख शरणार्थी लौट नहीं जाते, वहां पर चुनाव नहीं घटाये जायें। साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के लोग अशांति तथा अव्यवस्था पूर्ण स्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। 1971 के चुनावों की तरह वे अब भी चाहते हैं कि चुनाव ऐसी ही अशांतिपूर्ण स्थिति में हो जायें जिससे उनको अधिक से अधिक स्थान मिल सकें। श्री सोमनाथ चटर्जी,

* बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

जो बर्दवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, का आरोप है कि कांग्रेस (नई) पार्टी ही हत्याओं और लूटपाट के लिए उत्तरदायी है। किन्तु उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि इस दल ने हिंसा में विश्वास किया होता तो साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल का पूरे देश में कहीं भी कोई चिह्न नहीं मिलता।

मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में शांति लाने के लिये श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने जो सभी दलों की बैठक बुलाई थी उसमें साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने हृदय से भाग नहीं लिया था क्योंकि सम्मेलन के तुरंत पश्चात् उन्होंने यह घोषणा की थी कि राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध आंदोलन जारी रखा जायेगा। उन्होंने 11 अगस्त, 1971 को बंगाल बंद की भी मांग की है जिससे स्पष्ट विदित होता है कि ये लोग नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल में शांति स्थापित हो सके।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगों की स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। अब उनको कुछ वित्तीय सहायता तो प्रदान की जा रही है किन्तु उन्हें इस्पात तथा अन्य कच्चे माल की सप्लाई नहीं हो रही है। वहां पर नये उद्योग भी स्थापित करने चाहिये जिससे वहां की बेरोजगारी की समस्या हल हो सके।

छोटे स्तर के औद्योगिक कारखानों को इस्पात वितरण नीति से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि वे पांच वर्ष की लम्बी अवधि के लिए ठेके लेने में समर्थ नहीं होते और वे 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी अवधि के लिये वे आवश्यक कच्चे माल का भी अनुमान नहीं लगा सकते। अतः इस नीति में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, छोटे स्तर के कारखानों को 20 प्रतिशत इस्पात दिया जाता है किन्तु उद्योग उपनिदेशक के कार्यालय में कुछ बेईमान अधिकारियों के कारण अधिकतर इस्पात की चोर बाजारी की जाती है। ये अधिकारी जाली लाइसेंस जारी कर देते हैं तथा उनके आधार पर चोर बाजारी करते हैं। मेरा निवेदन है उन अधिकारियों का स्थानांतरण होना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में विद्यमान बेरोजगारी की गम्भीर स्थिति को देखते हुये सरकार से निवेदन है कि पैट्रो-रसायन परियोजनाओं और जहाज निर्माण यार्ड परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाये। केन्द्र सरकार से यह भी निवेदन है कि हल्दिया पत्तन और हल्दिया तेलशोधक परियोजनाओं को भी शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जाये।

केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये पर्याप्त कार्य नहीं किया है। कई राजनीतिक दल गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं तथा आदिवासियों को भी राजनीतिक हत्याएं करने के लिये उकसाया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में 1.35 करोड़ रुपये की लागत की कुछ योजनाओं का अनुमोदन किया है किन्तु राज्य सरकार के पास इनकी क्रियान्विति के लिये धन नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस कार्य के लिये अधिक धन राशि नियत की जाये तथा आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल की इमारतों और सड़कों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाये जिससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

आदिवासियों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिये तथा उनके बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं तक उनकी मातृ भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिये। खेद की बात है कि उनके बच्चों को केवल 30 रुपये

की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कम कर दी गई है। इतनी कम राशि के कारण ये विद्यार्थी छात्रावासों में रहने में असमर्थ हैं। अतः छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाये तथा छात्रावासों की संख्या में भी वृद्धि की जाये। झारगांव क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के 12 शैक्षणिक संस्थान हैं। अतः मैं अनुभव करता हूं कि झारगांव तथा इसी प्रकार के आदिवासी क्षेत्रों में जहां संस्थानों की संख्या अधिक है केन्द्रीय छात्रावास स्थापित किये जाने चाहियें। छात्राओं के लिये छात्रावासों की व्यवस्था किया जाना और भी आवश्यक है। बहुत समय पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में छात्रावासों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था किन्तु वह उसे भूल गई। अतः केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि इस कार्य को वह अपने हाथ में ले।

मिदनापुर जिले में 50 लाख व्यक्ति रहते हैं अतः वहां पर एक मेडिकल कालेज स्थापित किया जाना चाहिये। मुदालियर समिति ने भी इसी आशय की सिफारिश की थी। पश्चिम बंगाल सरकार से कई बार इस सम्बन्ध में निवेदन किया जा चुका है किन्तु सब व्यर्थ रहा।

कंगसावती जैसी सिंचाई परियोजनाओं के लिये सरकार ने बहुत से व्यक्तियों की भूमि अधिगृहीत कर ली है किन्तु उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार उन गरीब व्यक्तियों को तुरन्त मुआवजा देने की व्यवस्था करे क्योंकि वे रोटी-रोजी के लिये इधर उधर भटक रहे हैं तथा उनके पास अब कोई साधन नहीं रह गया है।

कंगसावती सिंचाई परियोजना का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। इसके अतिरिक्त, छोटी सिंचाई परियोजनाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यदि मिदनापुर, पुरूलिया और बांकुरा में पंजाब की भांति बिजली सप्लाई कर दी जाये तो वहां भी छोटी सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की जा सकती है।

महोदय ! पश्चिम बंगाल में केवल 3000 गांवों में बिजली की व्यवस्था की जा सकि है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार ग्रामीण विद्युतकरण के लिये पश्चिम बंगाल को अधिक धन का नियतन करें।

सुवर्नरेखा नदी के कारण बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी एक योजना आरम्भ की गई है। मेरा निवेदन है कि 50 गांवों के अतिरिक्त, मिदनापुर जिले के अन्य गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये उपाय किये जाने चाहियें जिससे समस्त पश्चिम बंगाल को बाढ़ से राहत मिल सके।

श्री समर गुह (कंटाई) : यह बड़ खेद की बात है कि इस समय सम्बद्ध मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं है। इस समय मैं केवल पश्चिम बंगाल में विद्यमान अशांति और अव्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा जो बंगला देश से भारी संख्या में आये शरणार्थियों के कारण गम्भीर हो गई है। हाल ही में श्री यू थांट ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होने की आशंका है। श्री याह्या खां ने भी हाल में भारत को धमकी दी है तथा ऐसी स्थिति बन चुकी है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी सेना का कर्तव्य होगा कि वह देश के मान और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करे।

इस संदर्भ में मैं सभी राजनीतिक दलों और पश्चिम बंगाल की जनता से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि सेना के लिये आवश्यक सामान की सप्लाई किये जाने का ध्यान हुये वहां शान्ति और व्यवस्था कायम की जाये ? आज पूर्व बंगाल अर्थात बंगला देश और

पश्चिम बंगाल में विरोधी स्थितियां विद्यमान है । बंगला देश में जनता घोर यातनाएं सह रही है और लोग जीवन बलिदान कर रहे हैं । इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल में अव्यवस्था, हत्या और लूट पाट का साम्राज्य है । विभिन्न राजनीतिक दल समाज-विरोधी तत्वों के पंजों में जकड़े हैं तथा सभी के मन में शंका और भय छाये हुए हैं । अत: बंगला देश के स्वतंत्रता सेनानियों की सफलता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि पश्चिम बंगाल में शांति और व्यवस्था कायम रहे ।

मैंने सदन में इस बात का उल्लेख किया था कि प्रधान मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह श्री सिद्धार्थ शंकर राय को पश्चिम बंगाल का कार्य सौंप दें तथा उन्हें इस कार्य के लिये मंत्री नियुक्त कर सकें । मैंने प्रधान मंत्री से बात चीत भी की थी तथा उन्होंने बताया कि श्री सिद्धार्थ शंकर राय राज्यपाल की शक्तियों को अपने हाथ में नहीं लेंगे ···(**व्यवधान**) । वह राज्यपाल के सलाहकार मात्र हैं । किन्तु मेरी आपत्ति है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान पिछले कई वर्षों में कभी ऐसा कदम नहीं उठाया गया । फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार बंगला देश की जनता की सहायता करती है तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्रयत्न करती है तो मैं सरकार को पूरा सहयोग देने को तैयार हूं तथा पश्चिम बंगाल की जनता भी उसे अपना पूरा सहयोग देगी ।

विपक्षी दलों का यह कार्य होता है कि वे सरकार की त्रुटियों, उसकी कठिनाइयों का लाभ उठाकर उसकी प्रतिष्ठा समाप्त करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करें तथा चुनावों में उसका पूरा लाभ उठायें, इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना नहीं करनी चाहिये अन्यथा वह उनका सहयोग प्राप्त नहीं कर सकती । इसके अतिरिक्त यदि सरकार पश्चिम बंगाल में शांति और व्यवस्था कायम करना चाहती है तथा वास्तव में बंगला देश की जनता की सहायता करना चाहती है तो उसे इस समय विपक्षी दलों की भांति ही सरकार को उनकी इस दृष्टि से आलोचना नहीं करना चाहिये तथा उन्हें यह कह कर बदनाम नहीं करना चाहिये कि वे 1972 के चुनावों में इन परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहती है । अत: सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि जब तक बंगला देश की समस्या नहीं सुलझ जाती तथा भारत में आये शरणार्थी वापस नहीं चले जाते तब तक पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय में आम चुनाव नहीं कराये जायेंगे ।

इस समय पश्चिम बंगाल के समक्ष तीन समस्याएं हैं; सामाजिक आर्थिक, शांति और व्यवस्था तथा शरणार्थियों की सहायता । सामाजिक आर्थिक स्थिति गम्भीर होने पर भी उसे सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये । मेरा सुझाव है कि भूमि सुधार अधिनियम की तुरंत क्रियान्विति तथा बन्द मिलों को चालू करने और कलकत्ता के विकास आदि कार्य को करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्त की जानी चाहिए ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय को पश्चिम बंगाल में शांति और व्यवस्था कायम करने की समस्या पर ही बल देना चाहिये ।

शरणार्थी-समस्या को सुलझाने के लिये एक प्रथम मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिये क्योंकि अकेले श्री राय वहां की जनता तथा शरणार्थियों की समस्याओं को हल नहीं कर सकते ।

प्रशासनिक पहलू के साथ-साथ विपक्षी दलों से सहयोग प्राप्त करने की भी आवश्यकता है । मेरा विश्वास है कि यदि विपक्षी दलों का सहयोग प्राप्त किया गया तो 75 प्रतिशत समस्या हल हो जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में आज यह स्थिति है कि कोई भी राजनीतिक नेता वहां निर्भय होकर बाहर नहीं निकल सकता। वहां की जनता में अब बदले की भावना उभर आई है जिसके परिणाम स्वरूप यदि किसी दल का एक कार्यकर्ता मारा जाता है तो उस दल वाले दूसरे दल के दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार वहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं।

पश्चिमी बंगाल में वास्तविक दोषी अपराध-प्रवृति के लोग हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों में शामिल होकर आतंक फैलाए हुए हैं। वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने भी आतंक फैला रखा है जो निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करती है। वहां राज्य की पुलिस भी भ्रष्ट, पक्षपाती और निकम्मी है। अतः मैं आपके द्वारा श्री राय से अपील करूंगा कि वह इस स्थिति में आवश्यक सुधार करें। इसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे। गुप्तचर विभाग में भी आमूल सुधार करना होगा।

प्रशासनिक तंत्र की भी अजीब स्थिति है। अधिकारीगण अकर्मण्य हो गए हैं। अधिकांश आई० ए० एस० और आई० सी० एस० अधिकारियों को वहां से दूसरे राज्यों में भेजने की आवश्यकता है। नए अधिकारी वहां आएं ताकि नए जोश और विचारों के साथ प्रशासन में प्राण फूंके जा सकें। श्री राय को सस्ते प्रचार और इधर-उधर की हांकने के स्थान पर ठोस कार्य करके दिखाना होगा।

राज्य में अब रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। श्री राय को इनका लाभ उठा कर राज्य के कुछ लाख युवकों को तुरन्त रोजगार प्रदान करना चाहिये ताकि वे कुछ क्रियात्मक कार्य कर सकें।

***श्री एस० एन० सिंह देव** (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय राज्य की राजनीतिक स्थिति की चर्चा न करके वहां के दो पिछड़े जिलों, पुरुलिया और बांकुरा की स्थिति का उल्लेख करूंगा और मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार इनका विकास करने में सहायता देगी।

पुरुलिया पहले बिहार में था और बिहार सरकार को सदा यही भय बना रहता था कि किसी भी समय यह बंगाल में मिला दिया जायेगा। इसलिए पहली और दूसरी योजनाओं में इसकी पूर्ण उपेक्षा की गई। वहां के लोग गरीब और अनपढ़ हैं और बिना किसी सुविधा के वे उदासीनता और उत्साहहीनता का शिकार हैं। यदि केन्द्र सरकार ने भी उनके लिए कुछ न किया तो वहां भी हिंसा भड़क उठेगी।

क्योंकि पुरुलिया मानफूम जिले का अंग था इसलिए पुरुलिया के शेष पांच थाने भी बंगाल में शामिल किये जाने चाहिये।

इन दो जिलों में भूमि समतल न होने के कारण वहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इन जिलों में नहरों और नदियों पर बांध बनाए जाएं। राज्य सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया, आशा है केन्द्र सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। कंगसावती बांध परियोजना का कार्य भी बहुत धीमे चल रहा है। इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये ताकि किसानों को समय पर पानी मिल सके। द्वारकेश्वर नदी का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है परन्तु खेद है कि यह योजना चौथी योजना में शामिल नहीं की गई, अतः इसे इस योजना में शामिल किया जाये।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

इन दो जिलों में खनिज प्रचुर मात्रा में है। यहां बढ़िया कोयले के भी भंडार हैं जिसका इस्पात कारखाने में उपयोग किया जा सकता है। पुरुलिया जिले में चूने के पत्थर का भी बड़ा भंडार है जिसका उपयोग वहां एक सीमेंट कारखाना लगा कर किया जा सकता है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

इन दो जिलों और मिदनापुर जिले में आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में हैं जिनके लिये एक विकास बोर्ड बनाया जाना चाहिये। पुरुलिया स्थित बिजलीघर से बड़े-बड़े नगरों और उप-नगरों को तो बिजली मिलती है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र इससे वंचित हैं। हम चाहते हैं कि इन जिलों के प्रत्येक गांव को बिजली मिले।

आशा है श्री राय जिन्हें पश्चिमी बंगाल राज्य के लिये मंत्री बनाया गया है, वहां की समस्याएं हल कर सकेंगे। इसके साथ ही मैं राज्य के बजट का अनुमोदन करता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : जहां मैं एक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का राज्य के लिए मंत्री बनाए जाने को अच्छा समझता हूं, वहां इसे मैं प्रधान मंत्री की तानाशाही का एक नमूना भी मानता हूं। यह स्थिति कितनी अच्छी या बुरी है यह तो वहां होने वाले कार्य से पता चलेगी। वहां की समस्याएं पूरे देश की समस्याएं बन गई हैं। बंगाल ने वे सभी विपत्तियां सही हैं जो पूरे देश ने सही हैं अतः इनका हल किया जाना अत्यावश्यक है। ऊपर से बंगला देश से आये शरणार्थियों का बोझ है। सीमा पार की घटनाओं का हमारे देश पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। यदि वहां स्वतंत्रता की लड़ाई वे जीत नहीं जाते तो यहां भी जनता लोकतंत्र को तिलांजलि दे देगी। कलकत्ता के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे परन्तु खेद है कि एक वर्ष में केवल 16 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये। इस प्रकार कलकत्ता को नहीं बचाया जा सकता। राज्य के पिछड़े जिलों के विकास की भी समस्या है। यद्यपि यह कार्य कठिन है फिर भी असंभव नहीं है। परन्तु बजट से लगता है कि कोई विशेष कार्य होने वाला नहीं है।

अब मैं राजनीतिक क्षेत्र को लेता हूं। हमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के पास बंगाल की समस्याओं की ओर ध्यान देने का समय नहीं हैं परन्तु फिर भी मैं चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। हां, उनके स्थान पर श्री पन्त भी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बंगाल में युवकों की आस्था सरकार और विद्यमान राजनीतिक दलों पर से उठ गई है और वे यह मानने लगे हैं कि कभी-कभी हिंसा से समाज को पवित्र किया जा सकता है। वे यह भी मानने लगे हैं कि हिंसा के बिना कोई क्रांति नहीं लाई जा सकती ये गलत भावनाएं उन में समा गई हैं। दूसरी ओर हमारे नेताओं ने अपनी अदूरदर्शिता से स्थिति को और भी बिगड़ने दिया। इसलिए पहले तो हमें जनता की आर्थिक दशा सुधारनी होगी और साथ ही उन्हें राजनीतिक सूझ-बूझ से ठीक मान्यताओं और भावनाओं की ओर पुनः आकर्षित करना होगा। हमें युवा-आंदोलन को गलत ठहरा कर और उन्हें असामाजिक तत्व मानकर उनका दमन न करके उनकी समस्याओं को समझना चाहिये और उन्हें हल करना चाहिये। हमारी युवा-पीढ़ी को, जो मानसिक आधार पर पागल हो गई लगती है, बातों से हिंसा त्यागने के लिये नहीं मनाया जा सकता। कांग्रेस यदि वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है तो बातें छोड़ कर उसे कार्य करके दिखाना होगा।

यह खुशी की बात है कि श्री पन्त ऐसे सिरफिरे युवकों को भी उस वार्ता में शामिल करने वाले हैं, जो वह बंगाल में करने जा रहे हैं, यदि वे पीढ़ी के अन्तर की ही बात करते रहे तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा ।

मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में संसदीय परामर्श समिति पुरानी बेढंगी चाल नहीं चलेगी अपितु इस प्रकार कार्य करेगी कि पश्चिम बंगाल की स्थिति पर संसद सदस्यों की आलोचनाओं, उनके अनुभवों और सुझावों पर सरकार शीघ्रता से कार्य कर सके ।

***श्री आर० एन० बर्मन** (बलूरघाट) : मैं पश्चिम बंगाल के बजट का समर्थन करता हूं । पश्चिम बंगाल के बजट पर विचार करते समय मैं पश्चिम दीनाजपुर जिले की समस्याओं की चर्चा करना चाहता हूं । मैं उसके एक चुनाव क्षेत्र, बलूरघाट, से चुना गया हूं । उक्त क्षेत्र की चार प्रकार की समस्याएं हैं : (1) परिवहन (2) विद्युत (3) शिक्षा तथा बेरोजगारी और (4) स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं ।

भारत में मेरा निर्वाचन-क्षेत्र ऐसा है जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है । मैं चाहता हूं कि सरकार वहां रेलवे लाइनें बनाये तथा अतारी और तंगन नदियों पर पुल बनाये । मैं सरकार का ध्यान पश्चिम दीनाजपुर जिले के कुछ शरणार्थी कैम्पों तथा राधिकापुर के सीमांत क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं । इस जिले में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये वहां पर उद्योग स्थापित किये जायें । उस जिले में सिंचाई और बिजली की सुविधाओं का भी अभाव है । उस जिले के गांवों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है । जिले के विभिन्न व्यापार केन्द्रों में परिवहन सुविधाएं भी दी जानी चाहिए । यदि सरकार उचित कार्यवाही नहीं करेगी तो मैं जनता से आन्दोलन शुरू करने को कहूंगा ।

नये स्थापित कालेजों को राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए । कुमारगंज के गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिलनी चाहिएं । इन शब्दों के साथ मैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के शासन एवं पश्चिम बंगाल बजट का समर्थन करता हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : यह बजट पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा तैयार किया गया था । उक्त सरकार का जनतांत्रिक कारणों से पतन हुआ । मैं अपने साम्यवादी (मार्क्सवादी) साथी से सहमत नहीं हूं कि उनके दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए था । मैं समझता हूं कि श्री अजय मुखर्जी की विधान सभा में पराजय नहीं हुई थी, अतएव वे सभा को भंग करने का परामर्श देने में समर्थ थे ।

प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले देश में राष्ट्रपति शासन अच्छी बात नहीं होती है, परन्तु मध्यावधि चुनाव में, केन्द्र में शासक दल को बहुमत मिलने के पश्चात भी चार राज्यों में राष्ट्रपति

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Bengali.

शासन लागू किया गया। पश्चिम बंगाल के मामलों पर ध्यान देने के लिए श्री सिद्धार्थ शंकर राय को कार्य-भार संभाला जाना अच्छी बात है।

पश्चिम बंगाल में प्रशासन व्यवस्था पूर्णतः भंग हो गई है और शिक्षण कार्य ठप्प हो रहा है। वहां पर नक्सलवादियों द्वारा योजनाबद्ध ढंग से विनाश कार्य किया जा रहा है। उसका कोई निदान नहीं किया जा सका।

राज्य में अंतर्दलीय हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। लगभग 1500 राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की, जिनमें सभी दलों के सदस्य सम्मिलित हैं, हत्या की जा चुकी है। मैं श्री सिद्धार्थ शंकर राय को इस समस्या का हल खोजने के प्रयत्न करने के लिये बधाई देता हूं। परन्तु अब तक जिन राजनीतिक दलों ने सहयोग दिया है, उससे कुछ आशा नहीं बंधती। मैं आशा करता हूं कि इन प्रयत्नों में सभी दल सहयोग देंगे।

राज्य के आर्थिक पुनर्निर्माण, रोजगार और शिक्षा पद्धितियों में सुधार-कार्य, प्रशासन में सुधार लाए बिना नहीं किये जा सकते। बाढ़ की ही समस्या को लीजिए। उसे एक बांध बना कर हल किया जा सकता था। मैंने इस सम्बन्ध में सिंचाई और जलमार्ग विभाग से सम्पर्क स्थापित किया और अधिकारियों को स्थल पर ले गया और उन्हें उसी समय सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने को कहा। पिछले एक वर्ष से मैंने उनका आराम हराम कर रखा है। मैं केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री से भी मिला। उसके पश्चात मुझे आश्वासन मिला है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

जब तक श्री राय अथवा प्रधान मंत्री अथवा यह पूरी संसद, जोकि इस समय पश्चिम बंगाल के लिए उत्तरदायी है, प्रशासन सुधार की आवश्यकता को नहीं समझती, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं किया जा सकता।

गृह-निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृत 16 करोड़ रुपए का उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में, मैं युवा इंजीनियरों से मिला तो मुझे पता चला कि सारा दोष प्रदेश सचिवालय का है। इसके लिये राजनीतिक अनिश्चितता भी उत्तरदायी है। इस बारे में वर्तमान स्थिति ऐसी है कि शान्ति से नहीं रहा जा सकता।

यदि हम कार्यों को नियमित रूप से नहीं कर पाते और समस्याओं पर गम्भीरता से विचार नहीं करते तथा चुनाव जीत कर सत्ता हाथ में लेने मात्र से ही संतुष्ट होते रहे तो बंगला देश तथा पश्चिम बंगाल जल कर राख हो जायेंगे।

यदि हम चाहते हैं कि ऐसी भयानक स्थिति पैदा न हो तो सभी नागरिकों, अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों को मिल कर संयुक्त प्रयत्न करने चाहिएं। उसके लिये दलीय स्वार्थों को गौण स्थान देना होगा। केवल इसी प्रकार हम बंगाल को बचा सकते हैं, अन्यथा ईश्वर ही हमारी रक्षा कर सकता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता—दक्षिण) : इस अवसर पर हम हजारों दिवंगत राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के प्रति अपनी सहानुभूति एवं दुःख की भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। मैं

समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति अधिकारियों की फाइलों में ही उल्लिखित नहीं है अपितु पश्चिम बंगाल के लोगों को भली प्रकार विदित है । आज वे लोग जानते हैं कि प्रदेश का भविष्य अब उज्जवल नहीं है । मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की युवा पीढी राजनीतिक शोषण के कारण दुःखी है ।

संसदीय पद्धति में कुछ कमियां अवश्य हैं । कुछ ऐसी बातें हैं जो विरोधी पक्ष को अवसर प्रदान करती हैं । स्वाधीनता संग्राम में बंगालियों ने नेताजी अथवा चित्तरंजन दास के नेतृत्व में महान बलिदान दिये थे । आज मामले पर ध्यान दिये बिना कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है । मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि पश्चिम बंगाल में छीन-झपट, लूट, आगजनी की घटनाएं हुई हैं । परन्तु बंगाल के युवकों में बलिदान की भावना विद्यमान है, जिसका कि राजनीतिज्ञ शोषण करते रहे हैं ।

इन समस्याओं का सामना करने के लिए वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को मिलकर समन्वित प्रयत्न करने चाहिएं और अच्छा वातावरण तैयार करना चाहिए ।

पश्चिम बंगाल 1967 से ही कानून और व्यवस्था की समस्या का सामना कर रहा है । मैं अपने इस मन्तव्य को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करना चाहता हूं । प्रजातंत्र का यही व्यवहार है । विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को अपनी कार्यकारी समितियों में अपने दल के कार्यकर्ताओं को यह सलाह देनी चाहिए कि उन्हें जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है । इसी रूप में उन्हें दल की नीति तथा कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए । पुराने ढंग से बनाये गये कार्यक्रमों तथा निर्धारित की गयी नीतियों से समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता ।

जहां तक पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम बंगाल से बाहर कानून और व्यवस्था का सम्बन्ध है, पत्रकारों का क्या मत है ? पत्रकार सामाजिक-आर्थिक समस्या पर विचार नहीं करते हैं । पश्चिम बंगाल से बड़े बड़े कारखानों, मुख्य-मुख्य कार्यालयों तथा एजेन्सियों को अन्यत्र ले जाया जा रहा है । नये कारखानें पश्चिम बंगाल से बाहर खोले जा रहे हैं । पश्चिम बंगाल के लोग यह समझते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है । यह एक ऐसी समस्या है जिस पर समस्त राजनैतिक दलों, भारत सरकार तथा अन्य राज्यों द्वारा विचार किया जाना चाहिए ।

आज हम बंगला देश की समस्या के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं । विभिन्न राजनैतिक दल सरकार से बंगला देश को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं । अपने भाषणों से ये दल इस मामले में कब तक उलट फेर करते रहेंगे । वे अपने अपने राज्यों में जाकर लोगों से यह क्यों नहीं कहते कि बंगाल राज्य की सीमा पर 70 लाख शरणार्थी हमारी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिये तथा इस समस्या के समाधान में सरकार की सहायता करनी चाहिये । बंगला देश को मान्यता देने के लिये कहने के स्थान पर हमें इन शरणार्थियों के लिये योजना, वस्त्र तथा आवास की व्यवस्था करनी चाहिए ।

भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने हत्याओं तथा राजनैतिक हत्याओं का वातावरण पैदा करने के लिए इस माह की 11 तारीख को बंगाल बन्द का नारा लगाया । क्या निर्वाचन को दृष्टि में रखते हुए इस समय ऐसे नारे लगाना उचित है ? यह समय सभी राजनैतिक दलों को एकत्र

करके पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या पर विचार करने का है, सीमा पर जाकर मुक्तिवाहिनी की सहायता करने का है। भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल भ्रष्ट हो चुका है।

कांग्रेस दल में सिन्डीकेट-ग्रुप ने युवा वर्ग को न समझने की जैसी गलती की थी वैसी गलती साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल मार्क्स के सिद्धान्त को गलत समझकर हत्यायें करके तथा राजनैतिक हिंसा पैदा करके कर रहे हैं।

कई सदस्य नक्सलवादी आन्दोलन से सहमत हैं। वे इसे साहसी तथा बुद्धिजीवियों का आन्दोलन बताते हैं, परन्तु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। श्री कृष्णचन्द्र पन्त द्वारा नक्सलवादियों के साथ विचार विमर्श करने की घोषणा से राज्य के लोगों में भ्रान्ति पैदा हो गई है। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि नक्सलवादियों के साथ विचार विमर्श करने की पहल कौन करे। मेरे विचार से सभी दलों के लोगों को जेलों में जाकर नक्सलवादियों से विचार विमर्श करना चाहिये, उनकी कठिनाइयां जाननी चाहियें तथा समस्या का कोई हल निकालना चाहिए। इसी प्रकार समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि आज मैं स्वयं जेल में जाकर ऐसा पग उठाता हूं तो दूसरा नक्सलपंथी दल जिसका पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है निकलते ही मेरी हत्या कर देगा। इसलिए वास्तविक स्थिति को जाने बिना इस प्रकार की घोषणा करना ठीक नहीं है।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थिति चिन्ताजनक है। जो उद्योग लाभ में चलते थे उनमें घाटा हो रहा है। सरकार को पश्चिम बंगाल की समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेना चाहिए। इसे केवल कानून और व्यवस्था की समस्या न समझकर सामाजिक आर्थिक समस्या समझनी चाहिये। मैं पश्चिम बंगाल के मामलों के प्रभारी मंत्री श्री सिद्धार्थशंकर राय से अनुरोध करूंगा कि वह पुलिस एकत्र करने के बजाय विकास कार्यक्रम को गतिशील बनायें।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : यदि सरकार वास्तव में पश्चिम बंगाल की समस्याओं को हल करना चाहती है तो कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिये। जनता के प्रतिनिधि ही राज्य की समस्याओं को समझ सकते हैं। संसद का सत्र चल रहा हो और फिर भी यह शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में रहे इससे दुःखद बात और क्या हो सकती है।

हमारे सम्पूर्ण इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां किसी मंत्री को राज्य के कार्यों का प्रभारी नियुक्त किया गया हो। पश्चिम बंगाल में साम्यवादी मार्क्सवादी तथा भारतीय साम्यवादी जैसे दल हैं। यदि सरकार वास्तव में राज्य की स्थिति में सुधार करना चाहती है तो इन दलों से परामर्श करना चाहिये। किन्तु ऐसा लगता है कि उन्हें इन लोगों में कोई विश्वास नहीं है। वह पक्षपातपूर्ण ढंग से केवल अपने दल के प्रचार कार्यों में लगे हुये हैं। यदि इस समस्या को सुलझाना है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

सम्पूर्ण भारत में यह सबसे अधिक अशांतिपूर्ण राज्य है। इसमें सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता लोकतंत्र में नहीं रह रही हैं। प्रशासन में कोई स्थिरता नहीं है। सरकार अधिकांशतः प्रत्येक दो वर्ष के बाद बदल जाती है। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण समस्या को सुलझाने का अच्छा अवसर है, यह बात सरकार को ध्यान में रखनी चाहिये।

कहा गया है कि विरोधी दल शरणार्थियों को बंगाल से बाहर ले जाये जाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रहे हैं। विरोधी दल इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की किसी भी योजना का समर्थन करने को तैयार हैं परन्तु शरणार्थियों को बाहर भेजने का कार्य तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जाना है, विरोधी दलों द्वारा नहीं।

शरणार्थियों की देख-रेख करना केवल पश्चिम बंगाल का ही दायित्व नहीं है। यह समस्त देश की समस्या है अतः इसका दायित्व दूसरे राज्यों पर भी है। तमिलनाडु सरकार भी 1 लाख शरणार्थियों को बसाने के लिये सहमत हो गयी है। आंध्र प्रदेश को भी कुछ शरणार्थी भेजे गये हैं। हम और भी कुछ शरणार्थी बसाने के लिये तैयार हैं।

किन्तु मुख्य बात यह है कि समस्या की जड़ तक पहुंचे बिना हम उनके पुनर्वास पर करोड़ों रुपये व्यय क्यों करें। सरकार समस्या को हल करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। ऐसा न तो कि स्थिति और अधिक बिगड़ जाये।

बड़े आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में स्थिर सरकार होते हुए भी हमने राष्ट्रपति शासन लागू किया। यद्यपि मुख्य मंत्री श्री अजय मुखर्जी थे परन्तु वास्तविक शासन सत्तारूढ़ कांग्रेस के हाथ ही में था। अतः फिर सरकार को मुख्य मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए अनुरोध करने तथा तत्पश्चात राष्ट्रपतिशासन लागू करने की आवश्यकता ही क्या थी ? सरकार इस ढंग से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। सरकार का वहां अपना प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए। केवल तब ही समस्या का हल निकल सकता है।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : निर्वाचन के पश्चात् भी हम देख चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वर्तमान राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में यह आवश्यक है कि सभी दलों को एक होकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए।

श्री सिद्धार्थशंकर राय को पश्चिम बंगाल के कार्यों का प्रभारी मंत्री नियुक्त करने के बारे में भी कहा गया है। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। श्री राय को वहां राष्ट्रपति की ओर से प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु भेजा गया था। पश्चिम बंगाल के लोगों की यह धारणा थी कि केन्द्र ने उनकी कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया है, केन्द्र को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता नहीं है। सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिये वहां के कार्यों के लिए एक मंत्री की नियुक्ति कर दी।

यद्यपि पश्चिमी बंगाल में राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति गम्भीर है तो भी मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट में इस स्थिति का बिलकुल ही पता नहीं लगता है। यह एक ऐसा बजट प्रतीत होता है जिससे पश्चिम बंगाल के विकास की आशा नहीं की जा सकती। इसमें यह बात नहीं बतायी गयी है कि 19.34 करोड़ रुपये के पूरे न किये गये अन्तर को किस प्रकार पूरा किया जायेगा। यह सर्वविदित है कि पश्चिम बंगाल के लोग करों के रूप में एक पैसा भी देने की स्थिति में नहीं हैं। वर्तमान की स्थिति को देखते हुये 19.34 करोड़ रुपये के इस अन्तर को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाना चाहिये।

एक समय था जब बंगाल की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का नाम केरल के पश्चात आता था, व्यापार और वाणिज्य में यह राज्य सर्वोत्तम था और औद्योगिक क्षेत्र में इसकी स्थिति बम्बई के समान थी। परन्तु आज औद्योगिक क्षेत्र में पश्चिम बंगाल क्रम संख्या के अनुसार 11 वें स्थान पर आता है। व्यापार तथा वाणिज्य में भी ऐसी ही स्थिति है। ऐसा क्यों हुआ ? इन बातों के मूल कारण का पता लगाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार आज पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार करना चाहती है परन्तु अभी तक भी कोई सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

यदि सच कहा जाय तो पश्चिम बंगाल की स्थिति तो भारत के विभाजन के दिन अर्थात् स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को सदैव के लिये निर्धारित कर दी गयो थी।

15 अगस्त, 1947 की रात को हमारे प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने दो घोषणाएं कीं। एक के द्वारा पश्चिमी बंगाल को आयकर में से मिलने वाले भाग का प्रतिशत घटा दिया गया जबकि अन्य राज्यों, जैसे महाराष्ट्र और मद्रास के भाग का प्रतिशत बढ़ा दिया गया। दूसरी घोषणा के द्वारा जूट के निर्यात से विदेशी मुद्रा का $62\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग अर्जित करने वाले बंगाल का भाग घटा कर केवल 20 प्रतिशत कर दिया गया। शायद इस कारण कि बंगाल दो भागों में बंट कर अब आधे से भी कम रह गया था। यह सब पश्चिम बंगाल सरकार से बिना कोई सलाह किये किया गया। इस प्रकार पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को समय-समय पर ठस पहुंचाई गई तथा 1966 में यह ठेस सबसे अधिक थी और परिणामस्वरूप 1967 के बाद वहां हत्याओं आदि का क्रम शुरू हो गया।

इस सम्बन्ध में मैं एक दो बातें और बता दूं। 1956 में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने लोहे, इस्पात और कोयले के सम्बन्ध में एक मूल्य नीति बनाई जिससे कि राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे अधिक आवश्यक इन वस्तुओं का लाभ देश के दूर-दूर के भाग भी उठा सकें। परिणाम यह हुआ कि जमशेदपुर या टाटानगर से बम्बई इस्पात भेजने का रेल भाड़ा उसे हावड़ा भेजने से कहीं अधिक था अर्थात् जबकि हावड़ा के लिए यह 30 रुपये था तो बम्बई के लिए 120 रुपये। इस प्रकार बंगालियों को ये वस्तुएं अधिक दामों पर ही मिलती हैं जोकि उन्हें कम दामों पर मिल सकती थीं। देश के अन्य भागों के उद्योगों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल को अपने उद्योगों की बलि देनी पड़ी। मंत्री महोदय इन तथ्यों की ओर ध्यान दें और बताएं कि ऐसा क्यों किया गया ?

जूट से देश को 380 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिलती है और उसमें से 290 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बंगाल अर्जित करता है, पर इन जूट पैदा करने वालों को बदले में मिलता क्या है। एक मन जूट को दो मन धान के बराबर मान कर किसानों को अधिक जूट पैदा करने के लिए उकसाया गया। पर एक मन जूट का सहायक मूल्य 40 रुपये में रखा गया जबकि एक मन धान का मूल्य 70 रुपये है। यदि एक मन जूट दो मन धान के बराबर है तो उसका मूल्य 140 रुपये होना चाहिए था। पर उसका मूल्य रखा गया केवल 40 रुपये। इस प्रकार प्रति मन 100 रुपये का घाटा बंगाल के जूट उत्पादकों को हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि अब तक बंगाल के जूट उत्पादक 3000 करोड़ रुपये का घाटा उठा चुके हैं अथवा उन्हें उसे पाने से बंचित कर दिय गया है।

इस आशय से कि विश्व के बाजार में हमारा कपड़ा प्रतियोगिता में पिछड़ न जाय कपास के उत्पादकों और सूती कपड़ा मिलों की सहायता के लिए कपड़े से 80 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए हम 100 करोड़ रुपये की मशीनों, रंगों आदि का आयात करते हैं। यह एक अच्छी नीति है, पर जूट के सम्बन्ध में इस नीति का पालन नहीं किया गया। यदि पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादकों को भी जूट का सहायक मूल्य दिया जाये तो निश्चय ही पश्चिम बंगाल के गांवों की आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी।

अब शरणार्थियों की समस्याओं को लें। पश्चिम पाकिस्तान से आये 47 लाख शरणार्थियों को 1970 तक मुआवजा दिया जा चुका है। उन्हें 70 लाख एकड़ भूमि दी गई है। इसके अतिरिक्त, उन्हें लाखों मकान और दुकानें दी गईं। पर क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों पर एक पैसा भी खर्च किया गया? उनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया कहा गया। कि नेहरू लियाकत समझौते के अन्तर्गत वे वहां वापिस जाकर अपनी सम्पत्ति मांग सकते हैं। नेहरू लियाकत समझौते के बाद 1954 में पश्चिम पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर अधिनियम पास किया गया, पर इसे पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों पर लागू नहीं किया गया।

सरकार इन सब बातों पर गौर करे और देखे कि पश्चिम बंगाल के हक की किस प्रकार अवहेलना की गई है।

श्री बख्शी नायक (फूलबनी): पश्चिम बंगाल की समस्या समस्त देश की समस्या है। हजारों लाखों बंगला देश के शरणार्थी आ रहे हैं। प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे वापिस जायेंगे अन्य राज्य इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के साथ हैं। उड़ीसा ने सुझाव दिया है कि शरणार्थियों को मयूरभंज जिले के बजाय दण्डारण्य में बसाया जाये, क्योंकि मयूरभंज नक्सलवादियों का गढ़ बनता जा रहा है और इस कारण दिक्कत पैदा हो सकती है। आशा है केन्द्रीय सरकार इस सुझाव को मान लेगी।

***श्री लुतफल हक** (जंगीपुर): पश्चिम बंगाल के समक्ष आजकल बेरोजगारी, औद्योगिक संकट, कानून और व्यवस्था तथा बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों की समस्याएं हैं। पर पश्चिम बंगाल के इस बजट में कोई नई बात नहीं है। यह 1952 के बजट जैसा ही है। यदि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारना है तो यहां अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। सेना और पुलिस के बल पर व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती इस दिशा में अभी तक किए गए प्रयत्न पर्याप्त नहीं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने के लिए भूतकाल में करोड़ों रुपये स्वीकृति किये गये। पर उस पर कितना रुपया खर्च हुआ? भूमि सुधार के लिये दी गई राशि उस मद पर खर्च न किए जाने के कारण वापिस करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल में देश भर में सबसे कम सिंचाई सुविधायें हैं।

वहां पुलिस अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रही है। इसके विपरीत वह तस्कर व्यापारियों और चोर बाजारी करने वालों को राह दे रही है।

---

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

राजनीतिक दल आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। दलों के कार्यकर्ता गुण्डे हैं तथा प्रत्येक हत्या राजनीतिक हत्या होती है।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय की पश्चिम बंगाल कार्य प्रभारी मंत्री के रूप में नियुक्ति से उनके राजनीतिक विरोधियों के अलावा सभी प्रसन्न है। वे एक ईमानदार आदमी हैं। उन पर बड़ी जिम्मेदारी है।

देश में हजारों लाखों बीड़ी कर्मचारी हैं। पश्चिम बंगाल में भी है। पर उनके सम्बन्ध में कभी विचार नहीं किया गया कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उन्हें क्या कठिनाइयां हैं। 1950 में निम्न तम वेतन अधिनियम पास किया गया था पर पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे लागू नहीं किया और बीड़ी कर्मचारियों के लिये कुछ नहीं किया। बीड़ी कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में श्री पी० सी० राय से प्रश्न किया। 1964 में श्री राय ने निम्नतम मजूरी समिति नियुक्त की पर उसका क्या हुआ हमें नहीं मालूम।

जंगीपुर के बीड़ी कर्मचारियों ने सरकार की उपेक्षा की दृष्टि को देखते हुए स्वयं रुपया इकट्ठा कर एक कालेज की स्थापना की है, जिससे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर संसद में आ अपनी बात कह सकें, क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि उनके शिक्षित बच्चों की सरकार उपेक्षा नहीं कर सकेगी।

***श्री मनोरंजन हाजरा** (आराम बाग) : पश्चिम बंगाल के बजट के सम्बन्ध में श्री बी० के० दास चौधरी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। देश भर में कोयले और इस्पात का मूल्य बराबर है। पर कपास के सम्बन्ध में बराबर मूल्य होने से पश्चिम बंगाल को लाभ के बजाय हानि हुई हैं। उसे उस लाभ से वंचित रखा गया है और परिणामस्वरूप वहां 22 कताई मिलें बन्द हो गयी हैं, क्योंकि उन्हें कपास का अधिक मूल्य देना पड़ता है। यह अन्याय है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

राजस्व का 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार को मिलता है। अतः रुपये की कमी के कारण कई कल्याणकारी कार्य रुके पड़े रहते हैं। अन्य राज्यों की तरह हमने भी अधिक केन्द्रीय अनुदान की मांग की है।

मैं माननीय मन्त्री का ध्यान हाल ही में बाढ़ से पश्चिम बंगाल में हुई हानि की ओर दिलाना चाहता हूं। इस साल बीरभूम, बर्दवान, हुगली आदि जिलों में अत्यधिक हानि हुई है। बाढ़ को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए। दामोदर घाटी योजना को लेते समय इसमें आठ बांध बनाने की बात थी, पर उसके स्थान पर केवल चार बांध ही बनाए गये और इस प्रकार 50 प्रतिशत पानी को भारी वर्षा के दिनों में रोका नहीं जा सका और परिणामस्वरूप बाढ़ का प्रकोप हुआ। बार-बार बाढ़ आने से द्वारकेश्वरी, मुण्डेश्वरी आदि नदियों का पानी अब गंगा में बहने लगा और परिणामस्वरूप उसके मुहाने पर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और बड़े जहाज कलकत्ता बन्दरगाह तक नहीं आ सकते और उसका विकास नहीं हो सकता। कई बड़े-बड़े इंजीनियरों

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

का मत है कि दामोदर घाटी योजना के कारण बर्दवान, हुगली और हावड़ा का एक बड़ा क्षेत्र बंजर हो जायगा। कलकत्ता पत्तन को एक प्रकार से नष्ट करके केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के शिक्षित युवकों के लिये रोजगार के अवसर भी समाप्त कर दिये हैं अत: यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

बंगाल के युवक आज बेचैन हैं। आपने हल्दिया पत्तन तथा फरक्का बांध की बात की है। हलदिया पत्तन कभी भी कलकत्ता पत्तन से अच्छा सिद्ध नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार को कलकत्ता पत्तन की ओर ध्यान देना चाहिये।

पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। श्री सिद्धार्थ शंकर राय को पश्चिम बंगाल कार्य सम्बन्धी प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल कार्य के लिये श्री राय की नियुक्ति के बाद बीरभूम, बरदवान तथा हुगली को सेना भेजी गयी है। हिन्दुस्तान मोटर फैक्टरी, जहां 14000 लोग काम करते हैं, के हर विभाग में सेना ने छांट-छांट कर कर्मचारियों को पीटा है सेना के लोगों को कर्मचारियों के पास कोई शस्त्र नहीं मिले। श्री राय का अब कलकत्ता में कोई भी समर्थक नहीं। कानून और व्यवस्था के नाम पर वे किसानों, मजदूरों, सी० पी० आई—एम को यातना पहुंचाते आ रहे हैं। सन् 1962 में श्री गुलजारी लाल नन्दा ने घोषणा की थी कि हमारे दल के लोग देशद्रोही हैं। आपको मालूम होना चाहिये कि समस्त पश्चिम बंगाल के लोगों ने ऐसे देशद्रोहियों को अपनाया है तथा कांग्रेस को सत्ता से हटाया है। अभी हाल में विधान सभा के विभिन्न दल के सदस्यों की संख्या को आंकने में राज्यपाल ने गलती की है सत्तारूढ़ साझा मोर्चा वास्तव में बहुमत में नहीं था। 26 जून 1971 को विधान सभा की बैठक बुलाई गयी थी। उस दिन साझे-मोर्चे की सरकार अवश्य पराजित हो जाती। सत्तारूढ़ दल ने षडयंत्र रचकर राज्यपाल से यह रिपोर्ट दिलवायी कि विधान सभा में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। केन्द्रीय सरकार किसी भी विरोधी दल को सरकार बनाने देना नहीं चाहती। अतः यह सत्तारूढ़ दल का ही प्रजातन्त्र है और इस प्रजातंत्र को यह पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के नाम पर चला रही है। कांग्रेस नक्सलवादियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। हर कांग्रेसी का घर नक्सलवादियों का आवास है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह पश्चिम-बंगाल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को उचित सहायता प्रदान करें।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : पश्चिम बंगाल के कार्यों के लिये श्री सिद्धार्थ शंकर राय की नियुक्ति के सम्बन्ध में काफी आलोचना हुई हैं। पश्चिम बंगाल जिस स्थिति से गुजर रहा था उसके लिये केबिनेट स्तर के मन्त्री की इस कार्य के लिये नियुक्ति करना अनिवार्य ही था।

श्री ज्योति बसु ने, जब वे पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मन्त्री थे, नक्सलवादियों को पैदा करके सोचा था कि यह एक छोटा सा शैतान होगा लेकिन अब राक्षस बन गया है और अपने रचयिता को ही ग्रसने के लिए उतारू हो गया है। शिव ने भस्मासुर को पैदा किया और भस्मासुर शिव को ही मारना चाहता था लेकिन मोहिनी रास्ते में आयी। इन्दिरा गान्धी रूपी मोहिनी नक्सलवादियों को समाप्त करने के लिये उतारू है।

नक्सलवादियों की गतिविधियों के कारण बंगाल में उद्योगों का विनाश हो गया है और कई उद्योगपति बंगाल छोड़कर चले गये हैं। नक्सलवादियों के कारण प्रति व्यक्ति की आय भी घट गयी है।

मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि वह पटसन की पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न करे

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा (मलिवाड़ा) : केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल में बार-बार हस्ताक्षेप करने से समस्या हल नहीं होगी। सी० आर० पी० तथा पुलिस पर करोड़ों रुपया व्यय करने से भी समस्या हल नहीं होगी। सबसे अधिक आवश्यकता तो इस बात की है कि सी० आर० पी० को अधिक शक्तियां दी जायें।

शिक्षित युवकों ने भी नक्सलवाद को अपना लिया है शिक्षित युवक इसमें निराश्य के कारण गया है। भूमि सुधार लागू न करना भी पश्चिम बंगाल की बेचैनी का कारण है। केन्द्रीय सरकार ने जिस प्रकार पश्चिम बंगाल की ओर ध्यान देना शुरू किया है, उससे लगता है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति शीघ्र ही सामान्य होने लग जावेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : जिन माननीय सदस्यों ने पश्चिम बंगाल सम्बन्धी चर्चा में भाग लिया उनका मैं धन्यवाद करता हूं। बजट की निन्दा की गयी है। हम इस बात का दावा नहीं करते कि इस बजट में पश्चिम बंगाल की सभी समस्याओं का समाधान मौजूद हैं लेकिन फिर भी ऐसा करने का भरसक प्रयत्न किया गया है। बंगाल की स्थिति जिस संकट और बेचैनी की सीमा पर पहुंच गयी थी, उसे ध्यान में रखते हुये ही प्रधान मंत्री ने एक प्रख्यात नेता को पश्चिम बंगाल कार्य के लिये नियुक्त किया है।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने सारे राजनैतिक दलों को इकट्ठा करके वहां की हर प्रकार की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। श्री पन्त ने नक्सलवादियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिये पहल की है जो सचमुच सराहनीय है। पश्चिम बंगाल की स्थिति पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों के कारण और भी जटिल बन गयी है। इस समस्या का हल विभिन्न राजनैतिक मिलजुल कर ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये वहां कानून और व्यवस्था की मशीनरी तो चलानी ही होगी। लेकिन जब भी पश्चिम बंगाल में प्रजा-तंत्रीय प्रणाली लागु करने के लिये पहल की जाती है तो सी० पी० एम० बंगाल बंध का अयोजन करता है जो पश्चिम बंगाल तथा देश के हित में नहीं, विशेषतः ऐसे समय जब हमारी सीमा पर एक महान् समस्या उठ खड़ी हुई है। एक ओर तो ये बंगला देश को मान्यता देने तथा आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की बात करते हैं और दूसरी ओर ये ऐसी विकट स्थिति पैदा करते हैं जिसमें सरकार द्वारा काम करना कठिन हो जाता है। उन्हें इस बात को अनुभव करना चाहिये कि मुक्तिवाहिनी की सहायता करना तथा उचित अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण पैदा करना कोई आसान काम नहीं। अतः बंगाल बंध का आयोजन देशभक्ति विरोधी है।

27 मार्च को बजट पेश करते हुए हमने आशा की थी कि बजट सम्बन्धी सभी प्राक्कलनों का पूरी तरह पुनर्विलोकन किया जायगा। लेकिन बंगला देश की घटनाओं के कारण ऐसा न हो सका और केवल जरूरी परिवर्तन ही किये गये हैं।

पुनरीक्षित बजट में 19.34 करोड़ रु० का घाटा है जबकि पहले अनुमान के अनुसार 28.6 करोड़ रु० का घाटा था। योजना आयोग के परामर्श से चालू वर्ष के दौरान इस घाटे को पूरा करने का प्रयत्न किया जावेगा। ऐसा भी कहा गया है कि केन्द्रीय करों का पूरा भाग पश्चिम बंगाल को नहीं मिल रहा है। पांचवें वित्त आयोग ने चौथी योजना के लिये पश्चिम बंगाल को 369 करोड़ रु० करों तथा अनुदानों के भाग के रूप में दिया है केन्द्र से अतिरिक्त करों का भाग भी 1970-71 के बाद पश्चिम बंगाल को मिलेगा। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल को चौथी योजना के लिये 221 करोड़ रु० की अनिवार्य सहायता भी मिलती है। चालू योजना के अन्तर्गत 66.63 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। इसके अतिरिक्त सी० एम० डी० ए० पर 50 करोड़ रुपये और खर्च किये जायेंगे। इस प्रकार इस वर्ष विकास खर्च कुल 116.63 करोड़ रुपये होगा।

विभिन्न केन्द्रीय और राज्य की योजनाएं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में पूंजी-निवेश की दिशा में प्रगति के चिह्न हैं। एक नये औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना 25 करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर की गई है इसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है। इसे 110 मामले सौंपे गये हैं। संकटग्रस्त और बन्द पड़े एककों के विशिष्ट मामलों के अध्ययन के लिए एक अन्य समिति नियुक्त की जा चुकी है। हाल्दियों को एक बड़े औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाल्दिया विकास बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल को उद्योगों के लिए जुलाई 1964 से जुलाई 1970 तक 2700 लाख रुपये दे चुका है। जहां तक नगरपालिकाओं और कलकत्ता नगर निगम का सम्बन्ध है, चुंगी की राशि में से उन्हें उनका भाग मिलेगा। केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में कलकत्ता निगम को गन्दी बस्तियां हटाने के लिए 6½ करोड़ रुपये की राशि दे चुका है। यह सब बताकर मैं केवल इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि अपने संसाधनों की सीमा के अनुसार हमने पश्चिमी बंगाल की समस्याओं के समाधान के लिए निष्ठा से प्रयास किया है? यह मैं स्वीकार करता हूं कि वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। वहां औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए और वहां पर राजनीतिक जीवन को पुनः चेतना प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार अपने संसाधनों के अनुरूप हर सम्भव प्रयास करेगी। इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सभा को प्रस्तुत करता हूं।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान्, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट पर वाद-विवाद में भाग लिया और पश्चिम बंगाल की वर्तमान दशा के सभी पहलुओं का उल्लेख किया। वहां की विधि और व्यवस्था की स्थिति और वहां के आर्थिक विकास और प्रगति पर साथ-साथ विचार विमर्श हुआ। मुझे इससे संतोष हुआ कि अधिकतर सदस्यों ने पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति के शासन का समर्थन किया। जिन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का विरोध किया है, उन्हें मैं संक्षेप में वे परिस्थितियां बताना चाहता हूं जिनके कारण ऐसी उद्घोषणा की नौबत आयी। 25 जून को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री अजय मुखर्जी ने राज्यपाल को यह लिखा था कि बंगला देश की गतिविधियों के परिणामस्वरूप राज्य में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में आ रहे हैं और वहां के प्रशासन पर उन्होंने दबाव महसूस किया। इन घटनाओं का वहां की विधि और व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। इन बातों का उल्लेख करते हुए अन्त में मुख्य मंत्री ने अपने आप को राज्य की वर्तमान

स्थिति से निपटने के लिए असमर्थ बताया। और साथ ही उन्होंने राज्यपाल को यह सलाह दी कि वर्तमान विधान सभा भंग कर दी जाये और जनता से निर्वाचन के माध्यम से नया निर्णय लिया जाये ताकि पर्याप्त बहुमत वाला शासक दल इन सभी समस्याओं से निपट सके। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ख) के अन्तर्गत मुख्य मंत्री की सिफारिश स्वीकार कर ली तत्पश्चात् 28 जून को मुख्य मंत्री ने अपनी मंत्रि-परिषद सहित त्यागपत्र दे दिया। वह भी स्वीकार कर लिया गया। चूंकि विधान सभा भंग कर दी गई थी और उसके परिणाम स्वरूप 31 जुलाई के बाद में राज्य का शासन चलना कठिन हो गया था इसलिए बजट व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यह उद्घोषणा करने कि सलाह की थी कि वह राज्य के सभी कार्य अपने हाथ में ले लें। इस उद्घोषणा को 29 अगस्त 1971 से बाद भी लागू बनाये रखने के लिए हमने इसका अनुमोदन सभा से कराया है। परिणामतः यह अगले 6 मास तक लागू रहेगी।

कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि राज्यपाल को मुख्य मंत्री की सलाह नहीं माननी चाहिए थी और बहुमत की परीक्षा विधान सभा में हो होनी चाहिए थी। बात तो यह ठीक है किन्तु पश्चिम बंगाल का मामला कुछ भिन्न प्रकार का है और यह बात वहां लागू नहीं होती। वहां मुख्य मंत्री का बहुमत समाप्त नहीं हुआ था और वह अपने पद पर बने रह सकते थे, किन्तु कर्त्तव्य-भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया। ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल ने किया, वह ठीक ही किया और संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप किया। ऐसे प्रश्नों पर विचार दलगत नीति या संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर नहीं करना चाहिए। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों की शंकाएं दूर हो गई होंगी।

कई माननीय सदस्यों ने पश्चिम बंगाल की विधि और व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया। मैं यह नहीं बताना चाहता कि पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था की स्थिति कैसे बिगड़ी या वहां नक्सलवादी तत्त्व कैसे सक्रिय हुए। मैं यह स्वीकार करता हूं कि वहां की स्थिति जटिल हो गई है जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। मेरे विश्लेषण के अनसार इस स्थिति के निम्नलिखित कुछ पहलू हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नक्सलवादी तत्वों और कुछ अन्य उग्रवादी दलों ने, जो हर लोकतंत्रात्मक पद्धति को नष्ट करके हिंसा और भय का वातावरण बनाने पर उतारू हैं, अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। दूसरी बात यह है कि वहां राजनीतिक दल एक दूसरे को पछाड़ने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। वहां राजनीतिक दलों में वैर भाव है, जो प्रायः झगड़ों और हिंसा का रूप धारण कर लेता है। तीसरे, वहां पर गुन्डे और समाज विरोधी तत्त्व हैं, जो नक्सलवादी लूटपाट और राजनीतिक दलों के आपसी झगड़ों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। चौथी बात है वहां के सामाजिक-आर्थिक वातावरण की जिसमें युवक हिंसा को ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमें इस बात को भी भली-भांति समझना है कि युवक नक्सलवादी आन्दोलन को ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं। यदि हम इस समस्या की गहराई में नहीं गये, तो नक्सलवादी तत्वों की संख्या में वृद्धि होती जायेगी।

युवकों की सदा निन्दा करते रहने से समस्या हल नहीं होगी। समाज विरोधी तत्वों या नक्सलवादियों में कुछ युवक ऐसे भी हैं, जिन्हें समझा बुझाकर देश के अच्छे नागरिक बनाया जा सकता है। आज कलकत्ते में दिन-दहाड़े हत्या कर दी जाती है और स्थल पर मौजूद लोग भी डर की वजह से गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते। सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल में भय का ऐसा वातावरण बना हुआ

है। अतः मैं सभी से यह अनुरोध करूंगा कि वे हिंसा को त्याग दें। सभी प्रकार की हिंसा की घटनाओं के बन्द होते ही वहां का वातावरण ठीक हो जायेगा। हिंसा को त्यागने के अतिरिक्त वहां के सभी राजनीतिक दलों को वैरभाव त्याग कर मिलकर काम करना होगा। यह सच है कि उनमें परस्पर मतभेद है। लोकतंत्र में मतभेद का होना भी अनिवार्य है। किन्तु मतभेदों को लोकतांत्रिक ढंग से अर्थात् दूसरों को समझाकर अपने मत से सहमत कराने के ढंग से दूर करना है, हिंसा से नहीं। पश्चिम बंगाल की जटिल समस्या का समाधान वहां के सब राजनीतिक दलों को मिलकर खोजना है। यहां मैं अपने साथी श्री सिद्धार्थशंकर राय का उल्लेख करना चाहूंगा, जो पश्चिमी बंगाल के सभी राजनीतिक दलों से हिंसा और हत्या की राजनीति त्यागने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। यदि सभी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हो जाते हैं और गुंडा और नक्सलवादी तत्त्वों को समाप्त करने में सहयोग देने को तत्पर हो जाते हैं, तो पुलिस के लिए भी यह काम सरल हो जायेगा। इससे पश्चिम बंगाल राज्य की विधि और व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो जायेगी। जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या राज्य पुलिस के विरुद्ध की गई शिकायतों का सम्बन्ध है, यदि इस बारे में हमें विशिष्ट मामलों की सूचना दी जायेगी तो हम उस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

श्री समर गुह ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या पुलिस के पुनर्गठन की बात कही। यदि उनके पुनर्गठन के लिए वे कोई ठोस सुझाव देंगे, तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। जो पुलिस कर्मचारी ज्यादती करता है, मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा। मैं तो चाहता हूं कि वहां प्रशासनिक ढांचा ठीक और निष्पक्ष रूप से काम करे।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शासन में भी यदि कोई पुलिसवाला किसी की हत्या कर देता था तो उसके बारे में जांच कराई जाती थी किन्तु अब ऐसा नहीं किया जाता। **

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि हम सदैव पुलिस बल और प्रशासन की निन्दा और आलोचना ही करते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में राज्य में कौन विधि और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी लेगा। हां, उससे सम्बद्ध विशिष्ट मामलों की जांच की जा सकती है।

इस प्रकार मैं समझता हूं कि उन सभी बातों के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूं जो वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्यों ने उठाई थीं। [**अन्तर्बाधाएं**] यदि आप देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हड़ताल या 'बन्द' इस दिशा में बाधक हैं। ऐसे अवसर पर तो उत्पादन और अधिक होना चाहिए। फिर 'बन्द' का आह्वान इस समय कैसे तर्कसंगत है? अन्त में, मैं पुनः राजनीतिक दलों से यह अनुरोध करूंगा कि वे हिंसा और हत्या की राजनीति त्याग पश्चिम बंगाल की स्थिति को सामान्य बनायें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाजविरोधी या अपराधी तत्त्वों से सरकार दृढता से निपटेगी। [**अन्तर्बाधाएं**]

श्री दिनेन भट्टाचार्य * *

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The cut Motions were put and negatived

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

सभापति महोदय द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई :

The following demands in respect of the State of West Bengal were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1.	4–निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	7,71,000
	9–भू-राजस्व	5,19,54,000
2.	76–अन्य विविध प्रतिकर और समनुदेशन	22,01,000
	92–जमींदारी प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी भू-धारियों को प्रति कर की अदायगी	2,50,00,000
3.	10–राज्य उत्पादन शुल्क	78,92,000
4.	11–मोटर गाड़ियों पर कर	16,33,000
5.	12–विक्रय कर	57,67,000
6.	13–अन्य कर तथा शुल्क	74,61,000
7.	14–स्टाम्प	20,35,000
8.	15–रजिस्ट्रीकरण फीस	57,07,000
9.	16–ऋण तथा अन्य देनदारियों पर ब्याज	66,67,000
11.	18–संसद, राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र विधान मंडल	62,56,000
12.	19–सामान्य प्रशासन	5,74,89,000
13.	21–न्याय प्रशासन	1,69,39,000
14.	22–जेलें	1,75,39,000
15.	23–पुलिस	21,73,75,000
16.	26–विविध विभाग-दमकल सेवा	58,18,000
17.	26–विविध विभाग-दमकल सेवा को छोड़कर	4,48,25,000
18.	27–विज्ञान विभाग	51,000
19.	28–शिक्षा	54,75,26,000
20.	29–चिकित्सा	16,30,25,000
21.	30–लोक स्वास्थ्य	8,35,60,000
	31–कृषि-कृषि	10,23,99,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
22.	95–कृषि सुधार और अनुसंधान योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,78,04,000
23.	31–कृषि-मीनक्षेत्र	49,26,000
	33–पशु पालन	1,98,37,000
24.	124–सरकारी व्यापार योजनाओं-बृहत कलकत्ता दुग्ध पूर्ति योजना-पर पूंजी परिव्यय	10,92,58,000
25.	34–सहकारिता	1,03,67,000
26.	35–उद्योग-उद्योग	2,05,61,000
	96–औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	1,24,13,000
27	35–उद्योग-कुटीर उद्योग	1,80,46,000
	96–औद्योगिक तथा आर्थिक विकास-कुटीर उद्योग पर पूंजी परिव्यय	11,33,000
28.	35–उद्योग-सिंकोना	44,55,000
	37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	5,37,51,000
29.	109–अन्य कार्यों-सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	5,81,000
	सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम राशियां	4,33,000
30.	38–श्रम और रोजगार	3,91,56,000
31.	39–विविध सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,56,90,000
32.	39–विविध सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को छोड़कर	1,27,72,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
33.	42–बहुउद्देशीय नदी योजनायें	4,09,24,000
	43–सिंचाई, नौवहन, तटबन्ध और जलनिकासी कार्य (वाणिज्यिक)	81,87,000
	44–सिंचाई, नौवहन, तटबन्ध और जलनिकासी कार्य (गैर वाणिज्यिक)	2,91,84,000
	98–बहुउद्देशीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	2,26,66,000
	99–सिंचाई, नौवहन, तटबन्ध और जलनिकासी कार्य (वाणिज्यिक) पर पूंजी परिव्यय	93,93,000
	100–सिंचाई, नौवहन, तटबन्ध और जलनिकासी कार्य (गैर-वाणिज्यिक) पर पूंजी परिव्यय	86,93,000
34.	50–सार्वजनिक कार्य	10,64,79,000
	51क–बृहत्त कलकत्ता विकास योजना	6,11,93,000
35.	106क–बृहत् कलकत्ता विकास योजना पर पूंजी परिव्यय	2,22,19,000
36.	53–पत्तन और पायलेट का कार्य	13,13,000
37.	57–सड़कें और जल परिवहन योजनाएं	57,31,000
	114–सड़कों और जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	6,13,000
38.	64–अकाल सहायता	3,04,95,000
39.	65–पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	2,41,95,000
	120–पेंशनों के राशिकृत मूल्यों की अदायगी	6,30,000
40.	67–भारतीय नरेशों की निजी थैलियां और भत्ते	18,000
41.	68–लेखन सामग्री और मुद्रण	78,24,000
42.	70–वन.	2,17,65,000
43.	71–विविध-अंशदान	7,73,69,000
44.	71–विविध-पंचायतें	2,14,04,000
45.	71–विविध-खेल-कूद	26,75,000
46.	71–विविध-नागरिक सुरक्षा	1,21,17,000
	71–विविध-अन्य विविध व्यय	2,90,97,000
47.	109–अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4,11,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
48.	71—विविध-विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये वसूल न किये जा सकने वाले ऋण	7,33,000
	71—विविध-विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	53,74,80,000
	109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	51,33,000
	विस्थापित व्यक्तियों को ऋण तथा अग्रिम	40,00,000
50.	98—बहुउद्देशीय नदी योजनाओं पर पूंजी परि-व्यय दामोदर घाटी परियोजना	3,69,99,000
51.	103—लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	5,26,16,000
52.	124—सरकारी व्यापार सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,38,79,000
54.	**संघ/राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम**	18,22,70,000

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को पश्चिमी बंगाल राज्य के विधान-मंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 2 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 3 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 1 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 1 was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

पश्चिम बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक
WEST BENGAL APPROPRIATION (No. 2) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये पश्चिम बंगाल राज्य की संचित निधि में कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

डा० रानेन सेन (वारसाट) : मुझे इस अवसर पर बोलने के लिये थोड़ा समय दिया जाये ।

सभापति महोदय : नियमों के अन्तर्गत आपको समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपने इसके लिये लिखकर अनुमति पहले से नहीं मांगी है । किन्तु इसे विशेष मामला मानते हुए आपको समय देता हूं ।

डा० रानेन सेन : मैं केवल दो बात कहना चाहता हूं । राष्ट्रपति शासन में पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया किन्तु कई जिलों में वह लागू अभी तक भी नहीं किया जा सका है । जहां पर यह लागू कर दिया गया है वहां पर भी किसानों को बेदखल किया जा रहा है । एक समाचार पत्र के अनुसार किसानों के लगभग 300,000 मामले विचाराधीन हैं । मैं श्री पन्त द्वारा किये गये इस अनुरोध से सहमत हूं कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को पश्चिम बंगाल में बंध नहीं करना चाहिए । किन्तु साथ ही मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह भी वहां पर ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास करें जिसमें वहां शान्ति स्थापित की जा सके ।

श्री के० आर० गणेश : यह बात हमने नोट कर ली है और कार्यवाही की जा रही है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 2 was added to the Bill

खंड 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill,

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

वित्त (संख्या 2) विधेयक
FINANCE (No. 2) BILL

वित्त मंत्री (श्रीयशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने और विदेश यात्रा कर के उदग्रहणार्थ उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यहां मैं इस विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों का ही उल्लेख करूंगा क्योंकि इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है । ये संशोधन माननीय सदस्यों,विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों और मंत्रिमंडल के मेरे साथियों के परामर्श से किए गए हैं ।

यह बात तो पहले ही स्वीकार की जा चुकी है कि इस विधेयक द्वारा करापवंचन को रोकने आर्थिक शक्ति का संचयन रोकने आय और सम्पत्ति में विषमताएं कम करने में सहायता मिलेगी । इन संशोधनों द्वारा विधेयक के उपबन्धों की युक्तियुक्त बनाने और ये उद्येश्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में कर्मचारियों की आय पर ऊपरी सीमा लगाने का प्रस्ताव है, जो कंपनी या किसी अन्य करदाता की करयोग्य आय जोड़ने में शामिल की जाएगी । सम्बन्धित लेखा वर्ष में भारत में कार्यरत किसी कर्मचारी की एक मास या इसके किसी भाग की आय की अधिकतम राशि 5000 रुपये तक सीमित कर दी गई है । ऐसे कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं का मूल्य भी उसके वेतन के 20 प्रतिशत तक या 1,000 रुपये मासिक तक जो भी अधिक हो, सीमित कर दिया गया है । निदेशकों या उन व्यक्तियों की आय भी, जिनकी कंपनी के हितों में ही विशेष रुचि है, 72,000 रुपये प्रति वर्ष तक सीमित कर दी गई है । यह सीमा लागू करते समय कर्मचारियों द्वारा स्वीकृत भविष्य निधि में अंशदान और घर जाने के लिये यात्रा रियायतें जैसी राशियां शामिल नहीं की जाएंगी । संगत उपबंध में मैं अब कुछ संशोधन करने जा रहा हूं ताकि इस संबंध में निदेशक-कर्मचारी अन्य कर्मचारियों के समान माने जाएंगे । जहां ऐसा कर्मचारी वर्ष में कुछ समय तक निदेशक रहा हो और शेष समय तक साधारण कर्मचारी रहा हो वहां उसको मिलने वाले वेतन तथा अन्य सुविधाओं की राशि 72,000 रुपये वार्षिक तक सीमित कर दी गई है ।

सरकारी सिक्योरिटियों, कंपनी-शेयरों, बैंकों में जमा राशियों आदि जैसी वित्तीय आस्तियों की विशिष्ट श्रेणियों में निवेशों से आय की 3,000 रुपये की छूट जो इस समय सभी प्रकार के कर-दाताओं को उपलब्ध है, अब व्यष्टियों और अविभक्त हिन्दू परिवारों को ही मिलेगी। दादरा और नगर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में विवाहित युगलों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह रियायत उन्हें भी देने का प्रस्ताव है।

कर-योग्य सम्पति के मामले में, मध्यम श्रेणी के करदाताओं की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, जहां वे मुख्यतः मकानों आदि से मिलने वाले किरायों पर ही निर्भर हैं, वहां व्यष्टि के संबंध में किराये के मकानों से होने वाली आय में भी 1 लाख रुपये की छूट मिलेगी जैसी कि उनके अपने निवासाधीन मकान के संबंध में उन्हें मिलती है।

विकास छूट के बारे में जो 31 मई, 1974 के बाद समाप्त करने का प्रस्ताव है, मेरे विचार में तो विकास रुकने की अपेक्षा और तीव्र गति से होगा क्योंकि उन्हें पता है कि तीन वर्ष बाद यह समाप्त हो जाएगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य प्रकार क प्रोत्साहन नहीं दिए जाएंगे। फिर भी मैं सुझावों का स्वागत करूंगा।

अब मैं विधेयक में अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रस्तावों की ओर आता हूं। मैदा और मोटे कपड़े पर से शुल्क पहले ही हटा लिया गया है। छोटे उत्पादकों की कठिनाइयां और असंगतियां दूर करने के लिये कुछ रूप भेद आवश्यक हैं। अब मैं सीमा-शुल्क और उत्पादन शुल्क में कुछ रूपभेद करूंगा।

पहले मैं सीमाशुल्क के बारे में कहूंगा। गैर-सेलूलोस-मुक्त धागे पर तो शुल्क यही रहेगा परन्तु सेलूलोस-युक्त धागे पर, जिसका आयात कपास की कमी के कारण करना पड़ रहा है और जो सस्ती जिन्स है, शुल्क घटा कर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा रही है।

सूखे मेवों के बारे में अब शुल्क अफगानिस्तान के मेवों पर ही नहीं, सभी मेवों पर समान रूप से लगेगा।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के बारे में, छोटी इकायों के लिये छूट पहले ही घोषित की जा चुकी है कि जो इकाइयां बिजली से नहीं चलती उन्हें चिकनाई के लिए तेलों और ग्रीजों पर पूरी-पूरी छूट दे दी जाएगी।

बढ़ाए गए शुल्क के विरोध में रबड़-उत्पादों और गैर-आवश्यक वनस्पति तेल-उत्पादकों के काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैं ने इन पर विचार करके कुछ प्रक्रिया संबंधी पाबन्दियों के साथ शुल्क की प्रभावी दर 845 से घटा कर 425 रुपये प्रति किलोलिटर कर दी है।

मोटर-गाड़ियों से कुछ विशिष्ट पुर्जों में पहले ही घोषित छूट को देखते हुए अब मैं ऐसी छूट उन पुर्जों पर भी दे रहा हूं जो ब्रेक-व्यवस्था या गाड़ियों के इंजन बनाने के काम आते हैं, जिन्हें नई गाड़ियों में फिट किया जाता हो।

पहले घोषित उपयुक्त रियायत अब बिजली के हार्नों पर भी लागू होगी।

इस्पात और उरवर्क उद्योग को होने वाली कठिनाई रोकने के लिए अब इन उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली आक्सीजन गैस पर से केन्द्रीय उत्पदान शुल्क पूरा पूरा समाप्त किया जा रहा है ।

निर्माताओं की निर्धारण-मूल्य सम्बन्धी भावी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आक्सीजन, क्लोरीन और अमोनिया गैसों के शुल्क-मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर लागत-भार घटाने के लिए चीनी के बिजली-इंसूलेटरों पर बजट-पूर्व दर बहाल कर दी गई है ।

सिनेमा प्रोजेक्टरों पर शुल्क-मूल्य के मामले में 16 मिलीमीटर के यन्त्रों पर से शुल्क पूरा-पूरा हटा लिया गया है ताकि शिक्षा, परिवार नियोजन, कृषि और लोक-स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कोई भार न पड़े ।

विद्युतचालित हल ट्रेक्टर नहीं कहे जा सकते । फिर भी सीमाशुल्क आयातित विद्युतचालित हलों पर ही लगेगी ।

छोटी इकाइयों द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर अब यह निर्णय किया गया है कि सूती वस्त्र तैयार करने वाली इन इकाइयों से लिए जाने वाले शुल्क में काफी कमी कर दी जाये ।

तैयार वस्त्र निर्माताओं की चालों को रोकने के लिए इस सम्बन्ध में परिभाषा में कुछ संशोधन कर दिए गए हैं । साथ ही 5 लाश रुपये वार्षिक मूल्य तक के वस्त्र तैयार करने वाले निर्माताओं को पूरी पूरी छूट दे दी गई है ।

बोल्टों, नटों और पेचों के निर्माताओं की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं मदों को शुल्क योग्य समझा जाएगा जो केवल जोड़ने के काम में आते हैं और उनका कोई क्रियात्मक महत्व नहीं है । साथ ही सभी प्रकार के नट-बोल्टों और पेचों के निर्माताओ को. जिनके वार्षिक उत्पादन का मूल्य 5 लाख से अनधिक है, पूरी-पूरी छूट दे दी गई है ।

सिगारों और चुरटों पर से भी उत्पादन-शुल्क पूरा का पूरा हटा लिया गया है । आशा है इस राहत से इस उद्योग को नया जीवन मिलेगा और इनकी किस्म में सुधार होगा ।

विदेश यात्रा पर लगे नए कर को घटा कर अब मानक प्रथम दर्जे पर 15 प्रतिशत और टूरिस्ट दर्जे पर 10 प्रतिशत शुल्क लगेगा ।

यात्री-कर की घोषणा के समय मैंने सभी प्रकार के छात्रों और वैज्ञानिकों की यात्रा कर मुक्त कर दी थी परन्तु यह यात्रा टूरिस्ट दर्जे में ही की जानी चाहिये । प्रथम श्रेणी में उनके द्वारा यात्रा पर कर बना रहेगा । वैज्ञानिक, यदि विश्वविद्यालयों और भारत सरकार से अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली संस्थाओं द्वारा विदेश भेजे जाएं तो उनकी यात्रा भी टूरिस्ट दर्जे में ही कर-मुक्त होगी । हज-यात्रियों को भी 'डैक' यात्रा करने पर कर-मुक्त रखा गया है । विमान-कम्मनियों के कर्मचारियों को पास दिए जाने पर या आरंभिक सेवाओं में मात्रा करने पर केवल 'इकानामो' दर्जे के लिए ही कर-मुक्त रखा गया है ।

क्योंकि यह शुल्क वसूल करने से पूर्व नियम और प्रक्रिया संबंधी प्रबन्ध पूरे किए जाने हैं, अतः यह शुल्क 15 अक्तुबर, 1971 से प्रभावी होगा।

बजट पेश किए जाने के बाद घोषित सभी रियायतों के बाद इस वर्ष राजस्व में लगभग 15 करोड़ रुपये का घाटा होगा। फिर भी ध्यान रखा गया है कि लघु निर्माताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि इस वर्ष लघु बचतों में 197 करोड़ रुपये अर्थात् गत वर्ष की अपेक्षा 70 करोड़ अधिक जमा हुए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति रोकने के लिए इन बचतों को प्रोत्सहन देने की आवश्यकता है। अतः निर्णय किया गया है कि 1 अगस्त, 1971 से 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों (II तथा III प्रकर्ण) में इकट्ठे 25,000 के स्थान पर व्यष्टि जमा राशि 50,000 रुपये और संयुक्त जमा राशि 50,000 से बढ़ाकर 100,000 रुपये कर दी जाये। 31 जुलाई, 1971 से डाकघरों और स्टेट बैंक आदि में पांच-वर्षीय जमा के लिए राशियां स्वीकार न की जायें।

सरकारी भविष्य निधि योजना में राज्य सरकारों का योगदान प्राप्त करने हेतु निर्णय किया गया है कि यह योजना लघु बचत योजना का अंग बने ताकि इसके अधीन एकत्र राशियां राज्य सरकारों को मिलने वाले ऋणों में शामिल की जा सकें। मेरा विश्वास है कि अब राज्य सरकारें इस योजना के अंतर्गत राशियां जमा कराने में अधिक रुचि लेंगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक के लिये 15 घंटे का समय नियत किया गया है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : बजट में और अधिक कर लगाये गये हैं। वास्तव में कर विगत 24 वर्षों से बढ़ते ही जा रहे हैं। वित्त मंत्री समाजवाद लाना चाहते हैं परन्तु उनका समाजवाद करों का समाजवाद है जिसका अधिकांश भाग साधारण व्यक्ति को देना पड़ता है।

स्वतन्त्रता के पश्चात डाक तार विभाग तथा रेलवे भारी लाभ कमाते रहे हैं, परन्तु आज उनको घाटा हो रहा है जो प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। यदि सरकार की नीति न बदली तो यह देश तीव्र गति से विनाश की ओर जायेगा।

कहा जाता है कि भारत समस्याओं का देश है। परन्तु समस्याएं पैदा किसने कीं ?

इस समय सबसे बड़ी समस्या बंगला देश के शरणार्थियों की है। सरकार को बंगला देश को तुरन्त मान्यता देनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि आपके घुटने टेक कर प्रार्थना करने पर भी याह्या खां शरणार्थियों को वापस ले लेगा। अब तक 70 लाख लोग आ चुके हैं। उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिये ही कम से कम 500-600 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय करने होंगे। आवास, चिकित्सा एवं वस्त्रों पर इसके अतिरिक्त खर्च करना होगा।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए]
[Shri N. K. P. Salve in the Chair]

और अन्ततोगत्वा यदि उन्हें स्थायी रूप से पुनर्वासित करना पड़ा तो कई जटिल समस्याएं पैदा हो जायेंगी।

याह्या खां को दोहरी सफलता मिली है। एक तो बंगला देश के जनतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर दिया गया है, दूसरे भारत अर्थ व्यवस्था को क्षति पहुंच रही है। भारत सरकार केवल दर्शक बनी हुई है।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।]
[Shri K. N. Tiwari in the Chair]

स्वतंत्रता के समय से ही यह मांग की जाती रही है कि हमारी शिक्षा उत्पादन तथा रोजगार पर आधारित होनी चाहिये।

संविधान ने हमें 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का निदेश दिया था। परन्तु अभी भी उक्त उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका है। सारे देश के लोग रोजगार की समस्या से पीड़ित हैं।

अबाध रूप से शोषण चल रहा है। सरकारी अधिकारी अपने घरों को सजाने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस देश को कुछ लोगों के लिये स्वर्ग तथा अन्यों के लिये नरक बना दिया है। इन कार्यवाहियों द्वारा सरकार अपना ही नहीं समूचे राष्ट्र का विनाश कर रही है। यदि लोग सतर्क न हुए तो विनाश से बचा नहीं जा सकता।

मैं सदन से इस विधेयक को रद्द करने की अपील करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : बंगला देश की घटनाओं के कारण बड़ी कठिन परिस्थिति में हम इस वित्त विधेयक पर विचार कर रहे हैं। इस वर्ष वित्त विधेयक की तीव्र आलोचना हुई है। पिछले वर्षों में प्रोत्साहनों, छूटों और कर मुक्ति के प्रस्तावों की आलोचना मुख्य रूप से की गई थी।

सहकारी क्षेत्र में आय करों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया केवल कम्पनियों के अधि-कर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया था। भूमि और भवनों से होने वाले पूंजी लाभों पर कर 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किये गये हैं और अन्य पूंजी लाभों पर 35 प्रतिशत है। यदि किसी कम्पनी से 22.2 प्रतिशत तक लाभ प्राप्त होते हैं तो कोई अधि-कर नहीं लगता। यदि किसी कम्पनी को 33.3% से अधिक लाभ होता तब ही उसे अधिलाभ-कर देना पड़ता है। यदि किसी कम्पनी को पूंजी का 100 प्रतिशत लाभ होता है। तो उसे कुल 2.2 प्रतिशत अधिक कर देने पड़ेंगे। भारतीय कम्पनियों का अधिक लाभ उनकी कार्य क्षमता के कारण नहीं अपितु उनकी हेर-फेर में दक्षता के कारण होता है।

इस प्रकार के करों की यदि कोई आलोचना की जा सकती थी, तो वह यही हो सकती है कि उन पर कम कर लगाये गये हैं। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि निगमित क्षेत्र से लिये जाने वाले 411 करोड़ रुपये के करों में कुल 16 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

इकोनोमिक टाइम्स द्वारा 10 बड़े बड़े उद्योगों द्वारा पिछले 10 वर्ष में दिये गये करों का अध्ययन किया गया है। उन्हें कुल लाभ 230.51 करोड़ रुपए हुआ जिस पर उनका कर 85.86 करोड़ रुपये बैठता है जोकि पिछले 10 वर्ष में लाभ का 37 प्रतिशत रहा है।

श्री डी० डी० देसाई : निगमित कर 50 प्रतिशत से अधिक है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य को ठीक से समझा नहीं है ।

---

*खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अल्यूमिनियम का आयात

*ALUMINIUM IMPORT THROUGH MMTC

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : अल्यूमिनियम हमारे देश में पैदा होता है और इस पर कानूनी नियन्त्रण है। इसे अत्यावश्यक वस्तु करार दिया गया है और अल्यूमिनियम से बने कंडक्टर और केवल भी अत्यावश्यक वस्तुओं में गिने जाते हैं ।

वांचू समिति के प्रतिवेदन के पश्चात देशी अल्यूमिनियम का मूल्य 5,150 रुपये निर्धारित किया गया और गंतव्य स्थान पर पहुंचते समय इसकी लागत 5,450 रुपये हो जाती है। परन्तु देशी उत्पादन कम होने के कारण 24,000 टन अल्यूमिनियम का आयात किया जाता है जिसमें से 12000 टन का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये इसका आयात मूल्य अमरीका से लागत बीमा भाड़ा सहित लगभग 24 सैंट है जबकि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान से खरीदे गये 12000 टन अल्यूमीनियम पर लागत बीमा भाड़ा 23.29 सैंट आता है। जापान और भारत के बीच भाड़ा कम है। विश्व के सभी देशो से टेंडर मंगवाकर यह अल्यूमीनियम खरीदा गया है। मन्त्री महोदय का कहना है कि मूल्य नहीं बताया जा सकता जबकि तथ्य यह है कि टेंडर खोलते समय हाल में मूल्य हाल में खुले तौर पर बताये गये थे । अतः यह कोई रहस्य की बात नहीं है ।

जब यह अल्यूमीनियम ग्राहक तक पहुंचता है तो उसका मुल्य लगभग 7,057 रुपये प्रतिटन होता है जबकि देशी अल्यूमीनियम का मूल्य 5450 रुपये है। अतः 1600 रुपये प्रति मीटरी टन का अन्तर है। सरकार अलौह धातुओं का आयात कर रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र, विशेषकर बिजली और 'कोर' उद्योगों का कच्चा माल है। अतः कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये अथवा कोई प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिये जिसके अनुसार कुछ इन्डेंटिंग कमीशन निर्धारित की जाये और समुद्र में बेचा जाये जिससे 3 प्रतिशत से अधिक अदायगी को, जो कि विक्रय-कर के लिये तथा अन्य आनुषंगिक प्रभार के रूप में देनी पड़ती है, समाप्त किया जा सके। खनिज तथा धातु व्यापार निगम अल्यूमीनियम का मूल्य भारत में तथा विश्व में प्रचलित मूल्य से अधिक मांग रहा है और वह सरकार द्वारा जारी किये गये वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसों द्वारा दी गई अनुमति के वास्तविक आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक है। भारत को जिस भाव पर यह अल्यूमीनियम आकर पड़ता है और वह जिस मूल्य पर उद्योगों को बेचते हैं उसमें बहुत अधिक अन्तर है। सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात करने का आशय यह होता है कि एक तो जो लाभ कोई अन्य व्यक्ति अर्जित करेगा वह सरकार को मिले और दूसरा उपभोक्ताओं को ठीक ढंग से माल मिल सके। परन्तु इस मामले में दोनों बातें पूरी नहीं हो रही है ।

---

*आधे घंटे की चर्चा

*Half an hour discussion.

तकनीकी विकास महानिदेशालय ने इण्डियन इलैक्ट्रिकल्स मैन्यूफैक्चरर्स ऐसोसिएशन और कंडक्टर्स मेन्यूफेक्चरर्स ऐसोसिएशन पर दबाव डाला है कि यदि उन्होंने अल्यूमीनियम को इन मूल्यों पर नहीं उठाया तो तकनीकी विकास महानिदेशालय उन्हें अतिरिक्त आयात लाइसेंस देना बन्द कर देगा। केवल एवं कंडक्टर उद्योगों को मन्दी के कारण काफी घाटा हो चुका है। कुछ कम्पनियों की पूंजी भी समाप्त हो चुकी है। अतः अब वे अपना ऋण और बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये सरकार को मूल्य के बारे में फिर से विचार करना चाहिये। खनिज तथा धातु व्यापार निगम को निदेश देने के लिये सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि वे आयात व्यापार नियन्त्रण और उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उपर्युक्त ऐसोसिएशनों और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बीच टिप्पणों का आदान-प्रदान हुआ है और उन टिप्पणों को सरकार को भी भेजा गया है। अतः आयात व्यापार नियन्त्रण निर्देशिका में नीति के रूप में जो बात स्वीकार की गई है उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये। बिजली उद्योग देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिये काफी हद तक जिम्मेदार है अतः जस्ता, सीसा, तांबा और अल्यूमीनियम जैसे अलौह धातुओं का मूल्य बढ़ा कर कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिये। इन धातुओं का अधिकतर उपयोग बिजली उद्योग में होता है और उनको खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से खरीदा जाता है। फिर इनके मूल्य का प्रभाव उपभोक्ता को सप्लाई की जाने वाली विद्युत पर भी पड़ता है। अन्ततोगत्वा स्थानीय देशी उत्पादनों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिये और मूल ढांचे में मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबाव को दूर किया जाना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस उद्योग के साथ न्याय किया जाये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : क्या यह सच है कि बिजली उद्योग खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा खरीददार है ? क्या यह भी सच है कि बिजली उद्योग पर गैर-सरकारी क्षेत्र का नियन्त्रण है और यदि इस पर सरकारी क्षेत्र का भी नियंत्रण है तो दोनों में अनुपात क्या है ? दूसरे यह शिकायत है कि छोटे पैमाने पर एल्यूमीनियम की वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों को एल्सूमीनियम नहीं मिलता है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम लौह और अलौह धातुओं का आयात एवं निर्यात करता है। इस सम्बन्ध में उनकी नीति क्या है ? वे कैसे पता लगाते हैं कि किस धातु की कितनी कमी है और इस कच्चे माल के आयात के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? दूसरे उक्त निगम के लाभ का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लिये जाने वाले एल्यूमीनियम के मूल्यों के बारे में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। मैंने उस समय कहा था कि उक्त निगम किस मूल्य पर एल्यूमीनियम खरीदता है और किस मूल्य पर बेचता है यह बताना उचित नहीं होगा। टेंडर मूल्य के बारे में श्री डी० डी० देसाई ने जो कुछ कहा है, ठीक है। परन्तु इस सम्बन्ध में बातचीत भी हो सकती और बातचीत के परिणामस्वरूप मूल्य कम भी हो सकता है। अतः मैं क्रय और विक्रय मूल्य नहीं बता सकता। हमारी 80-85 प्रतिशत आवश्यकता देशी उत्पादन से पूरी होती है और 10-15 प्रतिशत आवश्यकता अमरीका, कनाडा, जापान और आस्ट्रेलिया से आयात करके पूरी की जाती हैं।

यह कहना उचित नहीं कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम एल्यूमीनियम की बिक्री से अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा है। कर, उत्पादन शुल्क आदि का भुगतान करने के पश्चात लगभग $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाभ होता है।

यदि मैं लघु उद्योग को सहायता दे सका तो मैं अवश्य दूंगा। अल्यूमीनियम के आवंटन में उनका विशेष ध्यान रखा जायगा। समाजवादी देशों में जिस मूल्य नीति का अनुसरण किया जा रहा है हम भी उसी नीति का अनुसरण करेंगे परन्तु उसमें जनसाधारण के हितों का ध्यान रखा जायेगा। परन्तु यदि सरकारी क्षेत्र को व्यापार करने में लाभ होता है तो उसके बारे में कोई शिकायत नही की जानी चाहिये। यदि किसी सरकारी उपक्रम को घाटा हो तो उसकी शिकायत अवश्य की जानी चाहिये।

माननीय सदस्य ने कहा था कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के मूल्य विश्व मूल्यों से अधिक हैं। एल्यूमीनियम का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 4090 रुपये प्रति टन है। उक्त निगम इसको 6750 रुपये प्रति टन के हिसाब से निर्माताओं को उपलब्ध कराता है। परन्तु इसमें कर, उत्पादन शुल्क आदि सम्मिलित है। यह सारा लाभ नहीं है।

माननीय सदस्य का कहना है कि यदि बिक्री समूह में हो तो कुछ रियायतें दी जानी चाहिये। हम निर्यातकों को कुछ सुविधाएं देते हैं जिससे बिक्री-कर जो कि विभिन्न राज्यों में 3 से 10 प्रतिशत तक होता है नहीं लिया जाता। खनिज तथा धातु व्यापार निगम पंजीकृत निर्यातको से आनुषंगिक व्यय बहुत कम लेता है जो कुछ मामलों में केवल 1 प्रतिशत होता है। उन्हें सीमा शुल्क की वापसी का भी अधिकार है जिससे उन्हें देशी मूल्य से भी बहुत कम मूल्य पर एल्यूमीनियम मिल जाता है।

एल्यूमीनियम के मूल्य को कम करने के बारे में मैं इस समय कोई वचन नहीं दे सकता हूं। परन्तु, मैं लघु उद्योगों की सहायता करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। जहां तक उपर्युक्त निगम के कार्यकरण का सम्बन्ध है उसमें कोई दोष नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य और बिक्रय मूल्य में कितना अन्तर है? यह 15 से 20 प्रतिशत है। क्या यह सच नहीं है?

श्री एल० एन० मिश्र : इस सम्बन्ध में मैंने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। माननीय सदस्य का दावा ठीक नहीं है। मेरे विचार में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 28 या 29 सेंट प्रति पौंड है और हमारा मूल्य इसके लगभग है परन्तु प्रश्न यह है कि हम उपभोक्ता को किस मूल्य पर एल्यूमीनियम बेचते हैं? मैंने बता दिया है कि हम लगभग 6,700 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचते हैं और उसमें सभी प्रकार के कर, उत्पादन शुल्क आदि सम्मिलित है।

श्री डी० डी० देसाई : कर लगाने के लिये उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा एल्यूमीनियम के निर्धारित मूल्य एल्यूमीनियम की निर्मित वस्तुओं के मूल्यों से भी अधिक हैं। टरिफ मूल्य तैयार वस्तुओं का मूल्य है जबकि निगम द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कच्चे माल का मूल्य निर्मित वस्तुओं के मूल्य से 10-15 प्रतिशत अधिक है।

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक मुझे पता है, तैयार वस्तुओं का मूल्य कच्चे माल के मूल्य की तुलना में 15 प्रतिशत कम की स्थिति नहीं होनी चाहिये। यदि ऐसीं स्थिति है तो मैं इसकी जांच करूंगा।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 27 जुलाई, 1971/5 श्रावण, 1983 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, July 27, 1971/Sravana 5, 1893 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—24-11-71—490